खण्ड-103, अंक-6
शनिवार, 21 आषाढ़, शक संवत् 1874
(12 जुलाई, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 103 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १२ जुलाई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५२)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी,श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाटी, श्री
कमला सिंह, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय , श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगननारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसदन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगला प्रसाद , श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री

रामढली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर विश्वासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतीफ हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लोलार्क अग्निहोत्री, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह, श्री
विश्वम्भरनाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्य नारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुखूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री

सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

संसद पुस्तकालय

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या १३--लेखा शीर्षक २५--गांव सभाएं और पंचायतें

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३--लेखा शीर्षक २५---गांव सभाएं और पंचायतों के अन्तर्गत ८७,०२,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह ८७ लाख की मांग के, जैसा कि इन कागजों से मालूम होगा जो सदस्यों के हाथ में हैं मोटे-मोटे ३ अंग हैं, एक यह हिस्सा है जो यहां हेडक्वार्टर्स पर स्टाफ की तनख्वाह, उनके डीयरनेस एलाउन्स (महंगाई भत्ता) तथा कनटिनजेन्सीज (आकस्मिक व्यय) में खर्च होता है। इसका ब्यौरा जो दिया हुआ है उसमें आप देखेंगे कि ३४ हजार ५ सौ अफसरों के वेतन में खर्च होता है और ७८ हजार १ सौ रुपया एस्टेब्लिशमेंट (कर्मचारीवर्ग) की तनख्वाहों में खर्च होता है और एलाउन्सेज व आनरेरिया (मानदेय) वगैरा मिलाकर ४२ हजार ९ सौ रुपया खर्च होता है। इसके अलावा कनटिनजेन्सीज वगैरा में १ लाख १८ हजार ८ सौ रुपया आता है। यह कुल २ लाख ७३ हजार ६ सौ की रकम होती है जो यहां के प्राविन्शियल हेड क्वार्टर्स परजो आर्गेनाइजेशन (संगठन) है उस पर खर्च होती है। दूसरा हिस्सा जिला आर्गेनाइजेशन (संगठन) का है जिसमें एक तो हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज आफिसर और ५१ सहायक डिस्ट्रिक्ट पंचायत आफिसर हैं और बाकी इंसपेक्टर्स और आफिस स्टाफ है। इनका खर्च भी जैसा कि आपको इन किताबों से मालूम होगा इसी हिस्से से होता है। १६ लाख ९० हजार ६ सौ इनके वेतन पर खर्च होता है, ६ लाख १० हजार ५ सौ एलाउन्सेज पर और ३ लाख २८ हजार के करीब कन्टिनजेन्सीज में खर्च होता है। इस हिस्से पर करीब सवा २९ लाख रुपये के कुल खर्च होता है। अब इस संगठन का तीसरा हिस्सा गांव सभाएं हैं। जो रकम अदालती पंचायतों के जुर्माने से वसूल होगी उसमें से ४ लाख की रकम इनको देने का प्राविजन (उपबन्ध) रखा गया है। बाकी और रकम है लेकिन एक और सबसे बड़ी रकम यह है जो ५० लाख रुपया गांव सभाओं के सचिवों की तनख्वाहों के लिये रक्खा गया है। इस प्रकार यह ८७ लाख रुपया जितना भी है इसमें राज्य, जिला और गांव-सभाओं के संगठन, वहां के वेतन और जरूरी खर्च के अलावा और कुछ शामिल नहीं है। यह इस महत्वपूर्ण मुहकमे का ढांचा मात्र है। यह बहुत थोड़ी रकम है, जो इस पर खर्च की जा रही है।

अभी तक सेक्रेटरियों का वेतन यहां से नहीं दिया जाता था और उनका नतीजा यह होता था कि गांव सभाएं अपना रुपया वसूल करती थीं और उसी में से उनको सेक्रेटरियों का वेतन देना पड़ता था। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत सी जगह पंचायतें सेक्रेटरियों का वेतन न दे सकीं। हमको अच्छी तरह से मालूम है कि बहुत सी जगह सेक्रेटरियों की कई महीने की तनख्वाह बाकी है। एक और भी दिक्कत थी कि जो कुछ रुपया गांव सभाएं वसूल करती थीं उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनको सेक्रेटरियों की तनख्वाह में देना पड़ता था और उनके पास बहुत थोड़ा हिस्सा बाकी रह जाता था, यह कहिये कि वह बावजूद तमाम कर लगाने के और वसूल करने के सेक्रेटरियों की तनख्वाह नहीं दे पाती थीं और कोई रकम उनके पास नहीं रह पाती थी, जिससे वह अपना इन्तजाम कर सकें। इस तरह से उनका सारा इनिशियेटिव (प्रेरणशक्ति) मारा जाता था। मैं अल्मोड़ा जिले के एक दूर के गांव में गया। वहां बरसात के दिनों में उनके बच्चों को

नाला पार करके स्कूल जाना पड़ता था। उसके लिये एक पुलिया बनवाने के लिये उन्होंने कुछ रुपया इकट्ठा किया लेकिन वह रुपया सेक्रेटरी की तनख्वाह में चला गया। इस तरह से गांव सभायें कोई कार्य नहीं कर सकती थीं क्योंकि जो थोड़ा बहुत रुपया वे वसूल करती थीं उसमें से एक बड़ा भारी हिस्सा मंत्रियों के वेतन में चला जाता था। यदि मैं १९५१-५२ की फीगर्स (आंकड़े) आपके सामने रखूं तो आप देखेंगे कि वह सारी पंचायतों की आमदनी मिला कर भी मंत्रियों के वेतन के लिए काफी नहीं है। इस सूबे की सारी पंचायतों को कर इत्यादि से ३८,३८,७१५ रु० वसूल हुआ। दान से २,२८,०८० रुपये अन्य ६,७१,७९० रुपये और पंचायती अदालतों से जुर्माने वगैरह के रूप में १२,६५,३०४ रुपये आये। जब सरकार की तरफ से १४,२५,००० रुपया सहायता के रूप में दिया गया तब उन इलाकों में जिन जिलों में यह सहायता दी गई थी वहां मंत्रियों की तनख्वाह दी जा सकी। इसलिये यह जो ५० लाख की रकम रखी गई है मंत्रियों के वेतन के लिये, यह बड़ा क़दम है पंचायत-राज की सफलता के लिये जो आगे के काम में सहायक होगा। यदि सेक्रेटरियों का वेतन नहीं दिया जाता है तो गांव सभाओं का इनिशियेटिव (प्रेरणा शक्ति) ही मारा जाता है रुपया वसूल करने में या और कोई काम करने में जो वे अपनी भलाई के लिये कर सकती हैं। दूसरी एक और भी दिक्कत थी। यह मुनासिब नहीं था कि सचिवों का वेतन, जिनसे हमें अपने संगठन में काम लेना था, कई कई महीनों तक न मिले। मैं इसे बहुत बड़ा कदम समझता हूं जो इस समय सचिवों के वेतन की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। सचिवों की तनख्वाह समय पर मिलने से वे दिल लगाकर काम करेंगे क्योंकि जिसकी तनख्वाह नहीं मिलती उससे यह आशा करना कि वह अच्छा काम कर सके मुश्किल मालूम होता है।

इसके अतिरिक्त जो रुपया पंचायतें कर या दान के रूप में वसूल करेंगी उसे वे अपने भलाई के काम में खर्च कर सकेंगी। इससे वे ज्यादा रुपया जमा करके ज्यादा अच्छा काम अपनी भलाई का कर सकेंगी। मैं यह समझता हूं कि यह कदम इस संगठन को बहुत मजबूत बनाने में, उससे ज्यादा काम कराने में, कामयाब होगा। इसलिये मैं अपने उन साथियों से, जो यह समझते हैं कि इससे खराबी होगी या सरकार से जो उन सचिवों को अपने प्रचार के लिये इस्तेमाल करेगी, कहूंगा कि वे ग़लतफहमी में हैं। अगर वे गवर्नमेंट के काम को कांग्रेस के प्रचार कार्य से कनफ्यूज (मिश्रित) करें तो दूसरी बात है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपना कार्य करे और जनता से कहे कि गवर्नमेंट ने जनता की भलाई के लिये यह कार्य किया है तो इसमें मैं समझता हूं, कोई बुराई की बात नहीं है। गवर्नमेंट जो कुछ करे उसे जनता को बताना चाहिये क्योंकि वह जनता से कर वसूल करती है और जनता जो सरकार को कर देती है उसको यह अधिकार है कि वह जानना चाहे कि गवर्नमेंट क्या क्या करती है। अगर कोई बताता है कि गवर्नमेंट यह काम कर रही है तो यह कोई नाजायज बात नहीं है। गवर्नमेंट जो कुछ करे उसका प्रचार करना चाहिये और जनता को यह अधिकार है कि वह जो कुछ रुपया देती है उसका हिसाब मांगे। गवर्नमेंट को उसका हिसाब देना चाहिये और बताना चाहिये कि जनता का रुपया किन किन कामों में खर्च हुआ।

गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों में पंचायतों के निमित्त जो व्यय किया है उसी के कारण यह सब कार्य होता रहा है। जब से ये पंचायतें कायम हुई हैं तब से २, ३५,४५,५००, रु० गवर्नमेंट की ओर से खर्च किया जा चुका है। सन् १९४७-४८ में ६,५७,००० रुपया १९४८-४९ में ७, ११,१०० रुपया १९४९-५० में १,२१,४७,४००, रु० १९५०-५१ में ४८,४४,७०० रुपया, और १९५१-५२ यानी पिछले वर्ष में ५१,८५,३०० रु० गवर्नमेंट की तरफ से इस संगठन में खर्च हुआ है और इस साल जैसा

[श्री मोहन लाल गौतम]

कि मैंने बताया ८३,०२,७०० रुपये की मांग है। यही खर्च है जिसकी वजह से ये पंचायतें अपना काम चला सकीं और बगैर इस सहायता के इस स्कीम को चलाने में काफी कठिनाई होती।

पंचायतों ने क्या किया, वह काफी है या नहीं और आगे किस प्रकार उनको उन्नत किया जाय, ये सवाल भी इसी वक्त विद्वान् सदस्यों के ध्यान में आ सकते है। जो जो कार्य पंचायतों ने अपने इस थोड़े से समय में किया उसका विवरण आपकी आज्ञा से भवन के सदस्यों को करा देना जरूरी समझता हूं। पंचायतों ने जो मकान बनाये हैं या उनको दान के रूप में मिले हैं उनकी संख्या १,८३१ है। सड़कों में कच्ची सड़कें १,५२९ मील बनाई, और पक्की सड़कें २५२ बनवाई। कच्ची सड़कों की मरम्मत २३८ मील और पक्की सड़कों की मरम्मत १७८ मील कराई। ५२५ मील कच्ची सड़क का पक्की सड़क में परिवर्तन किया गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि यह एक बहुत बड़ा कदम है जो पंचायतों ने सड़कों के निर्माण में उठाया है। पाठशालाओं द्वारा शिक्षा का प्रचार करने के लिये प्रौढ़ों की ७३८ पाठशालायें खोली गईं, बालक-बालिकाओं की ७८८ पाठशालायें खोली गईं, १२,६६१ वाचनालय खोले गये, ६,९८२ पुस्तकालय खोले गये और ८११ रेडियो सेट्स खरीदे गये। इन सब से मालूम होगा कि शिक्षा चाहे वह किसी शक्ल में हो क्यों न हो, चाहे वह पुस्तकों के द्वारा हो, चाहे रेडियो सेट्स के द्वारा हो, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने में कदम उठाया है। इसके अतिरिक्त पक्की नालियां ४८ मील और पक्की कच्ची नालियां १२१ मील बनवाई गईं तथा पक्की नालियां ८२ मील एवं कच्ची नालियां १३३ मील मरम्मत कराई गईं। २,३६,०४४ गड्ढे खाद के लिये खुदवाये गये। इस प्रकार आप देखेंगे कि गांव सभाओं ने जो कदम उठाया है वह सही कदम कहा जा सकता है। यह कदम इस मुल्क को उन्नति की तरफ जाता है और इस मुल्क के सामने एक नई तस्वीर रखता है। अगर मेरे साथी यह कहें कि यह काफी नहीं तो मैं उनसे इत्तफाक कर सकता हूं क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, उसकी जरूरियात बहुत ज्यादा है और गांव के रहने वालों की हालत काफी खराब है। हमारी ऐसी हालत है यह तो मैं मानने के लिये तैयार हूं, लेकिन अगर यह कहा जाय कि वे गांव सभायें बिलकुल बेकार हैं, नाकारा हैं, उनको बन्द कर दिया जाय, उड़ा दिया जाय, तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

एक बड़ा सवाल जो कई सदस्यों ने इस भवन के सामने रखा और जो इस वक्त हमारी सरकार के सामने भी विचाराधीन है, वह अदालती पंचायतें हैं। अदालती पंचायतों के बारे में भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न रायें हो सकती हैं। कुछ लोग यह समझते हैं कि इससे फायदे हुए, कुछ लोग समझते हैं कि इससे फायदे नहीं हुए। कुछ लोग यह समझते हैं कि ये चुनी हुई अदालतें है और यह सिद्धांत अच्छा नहीं है। कुछ दूसरे लोगों का यह सुझाव है कि अगर पंचायती अदालतों के सुपुर्द यह काम हो जाय कि गांव के जो छोटे छोटे मामले हों वे वहीं पर फैसला हो जाया करें, वे जिले में न जाया करें तो इस तरह से गांव के लोगों के जिले में वकीलों को और जिलों के अधिकारियों को फ़ीस वगैरह देने में जो रुपये खर्च होते हैं वे बच जायेंगे और इस तरह से गांवों के लोगों को काफी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वैसे ही मामले बाहर जाने चाहिए जिनके फैसले यहां पर न हो सकें। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है और अगर इस सदन के कोई माननीय सदस्य कोई कंस्ट्रक्टिव (रचनात्मक) सुझाव रखेंगे तो उस पर अच्छी तरह से गौर होगा। लेकिन कुछ आंकड़े हम आपके सामने रखना चाहते हैं जिससे कोई भी सदस्य जब अपनी कोई राय कायम करें तो इन आंकड़ों को भी अपने सामने रख लिया करें।

सन् १९५१-५२ के वर्षों में जितने मामले विचार करने के लिये इन पंचायती अदालतों के सामने आये उनकी संख्या ३,१४,४२२ है। इनमें से १,०४,४९७ मामले आपस के समझौते द्वारा निबटाये गये। यह भी मैं आपसे अर्ज कर दूं कि एक लाख से ज्यादा झगड़ों को पंचायती अदालतों द्वारा आपसी समझौते द्वारा तय करा देना कोई छोटी सी चीज नहीं है। आप सोच समझ सकते हैं कि इसमें लोगों के कितने लाखों रुपये बच गये। अगर वे झगड़े बढ़ते और आगे जाते तो न मालूम लोगों के कितने पैसे बरबाद होते। अदालती पंचायतों द्वारा आपस में समझौते करा देने से अब इन झगड़ों के आगे जाने की संभावना नहीं रह गयी है। इसमें दो संख्यायें मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं जो अपील या निगरानी के संबंध में है। ३,१४,४२२ मामले पेश थे जिनमें से सिर्फ १६,३५७ मामले अदालतों के सामने निगरानी की शक्ल में गये और जिनकी निगरानी मंजूर हुई ऐसे मामले सिर्फ ६,६२५ हैं। पंचायती अदालतों द्वारा करीब १०,००० मामले जो फैसल हुये थे उनको बहाल रखा गया और करीब ६,६२५ मामले ऐसे हैं जो पंचायती अदालतों की राय के खिलाफ वहां फैसल हुये, यानी करीब दो परसेंट से कुछ ज्यादा आता है। अगर दो परसेंट मामले अदालतों में गये तो यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिये कोई यह कहें कि इन अदालती पंचायतों को खत्म कर दिया जाय।

एक मित्र ने जनरल (सामान्य) बहस के दौरान में यह कहा था कि अगर माननीय मंत्री जी दौरा करें और गांवों में घूमें तो उनको मालूम हो जायगा कि पंचायतों की हालत क्या है। मैं इतना अर्ज कर दूं कि गांव से मेरा संबंध है और गांवों से मेरा संबंध कभी टूटा नहीं है। अभी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तारीख को मैंने जो इनकी हालत देखी उसमें से थोड़ा सा नमूना बता दूं। पहली तारीख को १६० मील के करीब मैंने दौरा किया और १४ गांवों में लोगों से मिला और उनसे बातें कीं और उनकी सभाओं में व्याख्यान दिये। उसमें जो एक डेवलप्मेंट ब्लाक (विकास विभाग) है उसकी जो थोड़ी सी रिपोर्ट उन्होंने मानपत्र के रूप में मुझे दी थी उसका थोड़ा सा सारांश मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से इस भवन के सामने रखना जरूरी समझता हूं। इस इलाके में जो एक तहसील का बहुत छोटा सा इलाका है, उसका जो डेवलेप्मेंट ब्लाक है उसकी यह फिगर्स (आंकड़े) हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने २ पुल बनवाये, २३ पंचायतघर बनवाये, ७ जूनियर हाई स्कूल कायम किये, ५ मील २ फर्लांग कच्ची सड़क बनवाई, ९०० गज पक्की नालियां बनवाईं, १३ पुलियें बनवाई, ११ पक्के गांधी चबूतरे बनवाये, ६० कच्चे कुंयें और ४५ पक्के कुंयें बनवाये, ७३ लालटेनें लगवाई, १८ रेडियो सेट लगाये, ३२११ कम्पोस्ट (मिश्रित खाद) के गड्ढे बनवाये, ११२ इरीगेशन वैल्स (सिंचाई के कुंयें) कायम किये, ६ फर्लांग नालियां बनवाई, साढ़े ४ मील लम्बी नहरें बनवाई, १६ क्षेत्र १६ ऐडल्ट स्कूल्स (प्रौढ़ पाठशालायें) कायम किये, १३ लाइब्रेरियां बनवाई, और ११३ प्ले ग्राउंड्स बनवाये। एक छोटे से पंचायत ने यह कार्यवाहियां कीं जिसको देखकर हर एक का सिर गर्व से ऊंचा होगा और कम से कम वह कहेगा कि हां यह पंचायतों का काम है जिसके लिये हर एक को गर्व करने का अधिकार है और भी कई जगहों पर लोगों से मुलाकात हुई। एक जगह मुझे बतलाया गया कि कई सौ मुकदमों से जो उनके यहां हुये थे कोई तीन या चार में निगरानी हुई और वे भी सब खारिज हुए। जो पंचायती अदालतें इस तरह पर काम कर रही हैं कि जहां निगरानी हुई कई सौ में ३ या ४ यानी एक या २ फीसदी में वह निगरानी भी सफल न हो अर्थात् पंचायतों के फैसले को सही समझा गया, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इस तरह की हालत के होते हुये हमें इन्हें शक्ति देने की जरूरत है। मैं जैसा अभी आपसे कह चुका कि अगर कोई सदस्य इस सदन में यह कहें कि हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन यह कहना कि इनको खत्म कर देना चाहिये यह ठीक नहीं है।

एक बात और कह कर मैं बैठ जाना चाहता हूं और वह यह है कि इन सभाओं के सामने बहुत उज्जवल भविष्य है। यह एक बहुत बड़ी चीजें बन सकती हैं। जब मैं यूरोप गया और मैं कई बार यूरोप गया तो वहां यहां की जिन चीजों के बारे में बातें होती हैं कि ये चीजें

[श्री मोहनलाल गौतम]

हिन्दुस्तान की उन्नति में इस चीज का नाम जरूर आता है। जब मैं जा रहा था तो मैंने पंडित जवाहरलाल जी से बातें की कि हमें वहां दूसरे मुल्कों में क्या क्या बातें बतलानी हैं तो जहां और बातें बतलाने के लिये कहा गया वहां यह भी था कि आप पंचायतों का जिक्र जरूर करें। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यूरोप वाले इसको कितना महत्व देते हैं इसको मैं ही कह सकता हूं और मैं इस भवन के सामने यह कहने के लिये तैयार हूं कि इस पर गर्व करने का आपको अधिकार है। यह बड़ी चीज है और उससे भी बड़ी बन सकती है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जितना चाहें आप क्रिटिसाइज (आलोचना) करें, परन्तु जो नुक्स हैं बतलायें और कंस्ट्रक्टिव सजेश्चन्स (रचनात्मक सुझाव) दें। जहां तक कानून का ताल्लुक है उसमें बहुत सी कमियां हो सकती हैं उनको दुरुस्त किया जायगा और पंचायत राज्य ऐक्ट को ऐमेंड (संशोधित) करने की बात है और उसको अमेंड करने के लिये हम एक अमेंडिंग बिल लायेंगे और उस वक्त सदन के सदस्यों को अख्तियार होगा कि वह जो चाहें तरमीमें पेश करें। उस वक्त तमाम तरमीमों पर गौर किया जायगा। लेकिन इतना मैं आपसे चाहता हूं कि अब तक जितना काम देश के निर्माण का हुआ है और आगे होगा उसमें आप एक बहुत बड़ा भाग ले सकते हैं और देश की कायापलट कर सकते हैं, उसमें आप सब सहयोग दें और सब मदद करें बजाय इसके कि यहां बैठकर आप क्रिटिसाइज करें और वहां गांव में जाकर, अपने इलाके में जाकर, उसमें कोई सहायता न दें। जो भाई इसमें सहायता न देंगे उनकी गलती होगी चाहे वह किसी पार्टी के सदस्य हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हों, या किसी विरोधी पार्टी के।

मैं फिर सब सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इसमें सहायता दे कर इसे सफल बनायें ताकि यह हमारे प्रदेश की उन्नति करने में कामयाब हो सके, इसकी शक्ल बदलने में सफल हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग को पेश करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने ग्राम सभाओं और पंचायतों के लिए जो ८७,०२,७०० रुपये का अनुदान मांगा है उसमें में १०० रुपये की कटौती पेश करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय हमारे प्रान्त में पंचायतों का निर्माण हुआ तो प्रान्त की सारी राजनीतिक पार्टियों ने इस का हृदय से स्वागत किया और खुले शब्दों में प्रान्तीय सरकार की योजना को बधाई दी। उस समय हमारे देश में एक महान् शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और उस शक्ति द्वारा हमारे इस प्रान्त में ८,४१४ पंचायती अदालतें कायम हुई। उसमें अगर एक पंचायती अदालत में २० पंचों का औसत लगाया जाय तो कुल पंचों की तादाद १,६८,२८० होती है और अगर पांच पंचों की एक अदालती बेंच मानी जाय तो अदालती बेंचों की संख्या ३२,६५६ होती है। दूसरी ओर हमारे प्रांत में ३५,९१९ ग्राम पंचायतों का संगठन हुआ और अगर हम २५ ग्राम पंचों का एक ग्राम पंचायत मान लें तो २५ के औसत से १०,६६,१५५ सक्रिय निर्भीक कार्यकर्ताओं की एक सेना खड़ी हो गयी। इस प्रकार एक महान् शक्ति का हमारे देश में प्रादुर्भाव हुआ।

हमारी पार्टी की स्पष्ट नीति है कि हम साम्यवादियों की तरह से सत्ता का केन्द्रीयकरण नहीं करना चाहते। साम्यवादी सत्ता का केन्द्रीयकरण करके फिर विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, लेकिन हमारी भारतीय समाजवादी पार्टी ने उस प्रक्रिया में संशोधन किया है। वह तरीका जिससे सत्ता का अन्त में पूर्ण विकेन्द्रीकरण हो सके, उसने अभी से चालू करने की व्यवस्था कर दी है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण का जहां तक सवाल है पंचायत राज विभाग भी कहता है कि हम सत्ता को विकेन्द्रीकरण की ओर इस विभाग को चला रहे हैं। इस देश के महापुरुष बापू जी भी विकेन्द्रीकरण चाहते थे। जहां तक मार्क्स का सवाल है उसने भी अन्त में कहा है कि समाजवाद द्वारा अन्त में एक ऐसा समाज बनेगा जो राज्य की जो शक्ति है उसको वह खत्म करेगा। तो जहां तक इन ऊंचे आदर्शों का सवाल है, अगर सचमुच सरकारी पक्ष के लोकसत्ता का

विकेन्द्रीकरण सही मानों में करना चाहते हैं तो हम कदम कदम पर उनका साथ देंगे। लेकिन जो इतनी बड़ी संख्या में जन-सेना का प्रादुर्भाव हुआ उससे सरकारी पक्ष के लोग घबरा उठे कि कहीं ऐसा न हो कि इतनी विशाल जनसेना का हम मुकाबला न कर सके और वह आगे बढ़ कर हमारी सत्ता खत्म कर दे।

आप जानते हैं कि जो पंचायत राज ऐक्ट बना उसमें राज्य आदेशों द्वारा तमाम ऐसे बंधन लगाये जिससे पंचायत राज की जो भावना थी, जो आदर्श था वह कुंठित हो गया। पहले पंचायत सेक्रेटरियों का संगठन हुआ। लेकिन जब सरकारी पक्ष के लोगों ने देखा कि इससे भी इस महान् सेना का मुकाबला करना मुश्किल होगा और संभव है कि इतनी बड़ी सेना आगे बढ़ जाय। इसलिये उन्होंने फौरन इसकी रोकथाम की और पांच सौ इंस्पेक्टरों का जाल जिलों में बिछा दिया गया और सेक्रेटरियों की तादाद और भी बढ़ाई गयी ताकि हर पंचायती अदालत में एक सेक्रेटरी हो जाय। इस प्रकार हमारी सरकार का जो रवैया रहा उसने उठी हुई शक्ति को निर्मूल कर दिया। हमारे माननीय स्वशासन मंत्री शायद यह कहें कि इसका प्रमाण क्या है। इसके प्रमाण में मैं केवल उनको बतलाना चाहता हूं कि ८७,०२,७०० रु० रुपये के इस अनुदान में ग्राम पंचायतों के लिये सिर्फ ४ लाख मांगा गया है और बाकी ऊपर से नीचे तक जो नौकरशाही है उसको कायम रखने के लिये और उसको मजबूत करने के लिए किया गया है। इसका क्या जवाब देते हैं, स्वाशासन मंत्री?

जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम चौखम्भा राज में विश्वास करते हैं और चौखम्भा राज में सत्ता के वास्तविक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था है। चौखम्भा राज, यानी फोर पिलर स्टेट, एक दिल्ली में, एक लखनऊ में, एक जिला पंचायत में होना चाहिये जिसका विकृत रूप वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड माने जा सकते हैं और चौथा गांव में होना चाहिये। हम राजसत्ता की बुनियाद ग्राम पंचायत को मानते हैं। आज प्रशासन मंत्री ने यह कहा कि क्या किसी सदस्य को कोई सुझाव पेश करना है। तो सुझाव क्या पेश किया जाय? एक तो रुपया कम है और उसमें भी अपव्यय जारी है। जो रुपया आप खर्च कर रहे हैं वह ग्राम पंचायत पर नहीं, बल्कि आपकी ब्यूरोक्रेसी (नौकरशाही) की मशीनरी, जिसकी काली छाया ने सारे देश के पंचायत जीवन को कुंठित कर दिया है उसके कायम रखने में लगाया जा रहा है। हमारी मांग यह है कि जितना राजस्व हो उसका चौथाई ग्राम पंचायतों को दे देना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि आप कहते तो ग्राम पंचायत राज हैं पर उसमें राज व्यवस्था क्या है? कितने उनके अंडर (अधीन) में कानिस्टबिल रहते हैं? कितने पटवारी हैं कितने स्कूल खोलने और खर्चा करने का अधिकार उनको आपने दिया? स्कूल चलायेंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा और पंचायतें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीन भी नहीं रह गयी, बल्कि आपकी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी के अधिकार में रहेंगी। क्या यही, सत्ता का विकेन्द्रीयकरण है?

हम चाहते हैं कि जो राजस्व देहातों से आता है उसका एक चौथायी ग्राम पंचायतों को दिया जाय जो इस बजट में १०-१२ करोड़ के रकम होगी। ८३,०२,७०० तो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी के लिये आपने दिया है। यह कितनी शर्मनाक बात है, इसको स्वाशासन मंत्री स्वयं जान सकते हैं।

जिला पंचायतों को उसके बाद शक्ति मिलनी चाहिये थी और ये चारों खम्भे, केंद्र का, लखनऊ का, जिले का और पंचायतों का, ऐसे खम्भे होना चाहिये कि बराबर सब पर राज सरकार का बोझ हो और उनमें बराबर शक्ति का बटवारा भी होना चाहिये। लेकिन आपको तो पूंजीवादी व्यवस्था इस देश में कायम करनी है इसलिये आपने सारी शक्ति दिल्ली में लगा दी है। आज विधान के अनुसार प्रेसीडेंट को अख्तियार है कि वह सारे देश की जनता की शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है। यह आपका विकेन्द्रीयकरण है! आपने ग्राम पंचायतों को शक्ति न देकर नौकरशाही की मशीनरी को दी जिसने देश के जन जागरण को कुंठित कर दिया और नतीजा यह हुआ कि नौकरशाही की काली छाया की वजह से जितने

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

इन्तजाम होते थे वे उसी प्रकार पंचायतों द्वारा होने लगे। पंचायतें भी घूसखोरी का अड्डा बनीं। यह पंचायत स्वयं ऐसी नहीं बनीं, बिना पानी में आये कोई तैरना सीख सकता है? अगर शुरू-शुरू में गांव पंचायतों में कोई गड़बड़ी होती है तो हम उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पंच चुन कर सरकारी दल की ओर से लखनऊ में आये हैं वह ग्राम पंचायतों से ज्यादा धांधली करते हैं। अगर हम उसको क्षमा कर सकते हैं तो उन ग्राम-पंचायतों को तो जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं है। परन्तु धीरे धीरे सुधर कर ग्राम पंचायत आदर्श बन जावेगी।

हमारी मांग है कि सही मानों में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को गवर्नर बनाये हुये हैं जिले का उनके तमाम अधिकार छीन कर जिले की पंचायतों के दिये जायं जहां जनहित में कार्य करने वाले जिम्मेदार कार्यकर्त्ता हों तो काम करने के लिये आगे आयें। इस प्रकार चौखम्भा राज के जरिये से ग्राम पंचायत का संचालन जिला पंचायत करे। इस तरह से संचालन करने से आप अपने काम में सफल होंगे और जनता भी आपको पसन्द करेगी। लेकिन आप रुपया दे रहे हैं नौकरशाही को जिसकी काली छाया के कारण हमारे देश का जन जागरण कुंठित हो गया है। तो फिर मैं यह कहूंगा कि ८३ लाख रुपया आपने लगाया वह ग्राम संगठन के लिये बेकार है क्योंकि इससे तो कर्मचारियों का वेतन ही संभव है। १० करोड़ दिये बिना ग्राम पंचायतों का काम नहीं चल सकता। १० करोड़ राजस्व में से उनको दीजिये बाकी प्रान्त के अन्य विभागों में लगाइये।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं और अन्त में जब मुझे कुछ मौका मिलेगा तो अन्य बातों का जवाब दूंगा।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान १३ में जो एक रुपया की कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका समर्थन करते हुए मैं इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि जब सन् १९४७ में पंचायत राज ऐक्ट पास हुआ तो उस वक्त प्रान्त की सारी जनता इस खुशी से गद्गद् हो उठी कि अब हमको अपने गांवों का उत्थान करने के लिये पूरा अधिकार मिल रहा है। लेकिन आज पंचायतों की हालत यह है कि वह पंचायतें पंचायत राज नहीं कही जा सकती हैं, बल्कि इंस्पेक्टर राज या टैक्स राज कही जा सकती हैं। पहले जो गांवों के मुखिया हुआ करते थे वे, जब गांवों में कोई अधिकारी जाता था, पकड़वा लिये जाते थे। ठीक उसी तरह से आज गांवों के सभापतियों की हालत है। जब कोई आफिसर, सेक्रेटरी हो या ऊपर का आफिसर हो, गांवों में जाता है तो वह उन सभापतियों से उनके अधिकारों का का दुरुपयोग करा लेता है। मैं एकाध उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं। सन् १९४८ में जब पूर्वी इलाकों में सूखा पड़ा और गांवो में भुखमरी आई, उस वक्त गांव गांव के सभापतियों ने अपने यहां की रिपोर्ट सरकार को दी। एक गांव शाहपुर जिला देवरिया में है। वहां के सभापति ने अपने यहां की सारी परिस्थितियों के संबंध में एक प्रस्ताव पास करा करके सरकार के पास भेजा कि हमारे यहां अकाल है, बहुत बुरी हालत है। इसपर सरकार की तरफ से इंक्वायरी (जांच) भेजी गयी। इंक्वायरी करने के लिये हल्का कानूनगो गये जिस के साथ सेक्रेटरी और पंचायत इंस्पेक्टर भी थे। उन लोगों ने सभापति को कानूनगो साहब के यहां बुलाया और उसको यह धमकी दी कि अगर तुम इस तरह के प्रस्ताव सरकार के खिलाफ पास कराओगे कि भुखमरी है तो तुम अपने पद से पदच्युत कर दिये जाओगे। उसके बाद उससे यह लिखाया गया कि हमारे यहां कोई गड़बड़ी नहीं है। यह बात सबूत में है।

दूसरे दुधई में एक इंस्पेक्टर था जो दूकानदारों को पकड़ पकड़ कर घूस लेता था और भ्रष्टाचार फैलाता था। वह इंस्पेक्टर भ्रष्टाचार में पकड़ा गया और उसपर मुकदमा चलाया गया। अब यह पता नहीं है कि वह इंस्पेक्टर कहां है और उसकी जमानत जब्त हो गयी है या नहीं।

इस तरीके से पंचायत इंस्पेक्टर जो चाहते हैं करते हैं। इंस्पेक्टरों को परमिट दिलाने का अधिकार है। एक भटई गांव है, वहां के सभापति को इंस्पेक्टर ने सीमेंट का परमिट दिलवा दिया। उस सभापति ने ५० बोरा सीमेंट ले करके ब्लैक (चोर बाजार) में बेचा। इस तरह से जितने काम होते हैं इंस्पेक्टरों के द्वारा कराये जाते हैं। सेक्रेटरी इंस्पेक्टर के इशारे पर काम करता है। क़ायदा यह है कि गांव के जितने सदस्य होते हैं उनके सामने सभापति हर प्रकार के प्रस्ताव को पास कराये, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। इंस्पेक्टर के इशारे पर सेक्रेटरी सब बातें अपने कागज में भर लेता है और भर करके सभापतियों से दस्तखत करा लेता है और उनसे कहता है कि यह प्रस्ताव पास हो गया।

मैंने इंस्पेक्टर आदि का जिक्र इसलिये किया कि जिन गांवों में भुखमरी है तथा लोग हाहाकार मचाये हुये हैं वहां पर अनेकों प्रकार के उन पर टैक्स लगाये जाते हैं। गांव के सभापति और लोग इकट्ठे होते हैं कि इस वर्ष जैसी परिस्थिति है उसको देखते हुये हम लोगों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। किन्तु वहां सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति नहीं है और तुमको सरकार के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव नहीं पास करना चाहिये, तुमको तो टैक्स वसूल करना चाहिये और जिस तरह से हो उस तरह से वसूल करना चाहिये। तब तय की हुई बात रद्द कर दी जाती है।

माननीय मंत्री ने निर्माण के कार्यों का जिक्र करते हुये बतलाया कि इतने पंचायत घर बनाये, गये इतनी सड़कें बनीं, इतने स्कूल बने, औषधालय और अखाड़े बने और इतने कम्पोस्ट के गड्ढे बने। लेकिन मैं यह बतला देना चाहता हूं कि यह तो केवल कागज में दिखलाने के लिये है और वास्तविकता कुछ नहीं है। यह तो जिस तरीके से पटवारी अपने घरों पर बैठा खेतों की पड़ताल करके आज आपको रिपोर्ट देता है ठीक उसी तरह से सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर रिपोर्ट देते हैं। यह पड़ताल की एक नकल है। तो इस तरह से गांवों मे आज धांधलियां हो रही हैं। आज इंस्पेक्टर गांव सभाओं की मर्जी से नहीं, बल्कि जिस तरह से वह चाहता है इन गांव-सभाओं को अपनी मर्जी के माफिक घुमाता है। मैं तो यह सुझाव रखना चाहता हूं कि इन सेक्रेटरियों का चुनाव गांव सभाओं द्वारा होना चाहिये। इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को जिसने सबसे पहले इस आजाद भारत में दो क्रांतिकारी कार्य आरम्भ किये। एक पंचायत राज की स्थापना और दूसरा जमींदारी। जहां तक पंचायत राज की स्थापना और उसके कार्यों का संबंध है, माननीय श्री मोहन लाल जी गौतम ने कुछ आंकड़े आपके सामने पेश किये हैं। जहां तक उन आंकड़ों की पूरी जांच का संबंध है उसके संबंध में तो सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं। चूंकि मुझे सारे प्रांत के गांवों में घूमने का अवसर मिलता है इसलिये इतना भी जरूर मानता हूं कि बहुत सी ग्राम सभाओं ने अनेक निर्माण संबंधी कार्य किये हैं और कुछ अदालती पंचायतों ने तो ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला दिया है जो बड़ी बड़ी अदालतें नहीं कर सकतीं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हुआ है कि कुछ अदालती पंचायतों की वजह से गांव गांव में पार्टीबन्दी शुरू हो गयी और मुकद्दमेबाजी शुरू हो गयी है। जहां पहले कभी फूट नहीं थी वहां अब फूट पड़ गयी है। इसका एक कारण यह है कि कितनी ही अदालती पंचायतों के जो सरपंच चुने गये हैं उन्होंने जिस पार्टी से वे चुने गये थे उसके पक्ष में फैसले किये। अगर ऐसे मामलों में कुछ गल्तियां तथा पक्षपात आदि भी देखी जाती हैं तो उनको हटाने का कोई विधान नहीं है। मेरा तो सुझाव यह है कि भविष्य में हमारे माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें और अगर उचित समझें तो भविष्य में सरपंचों की नियुक्ति करें या उनका सलेक्शन (चुनाव) करें और उनकी कोई कम से कम शिक्षा योग्यता भी निर्धारित कर दी जाय। अदालती पंचायत में सबसे महत्व की बात यह होनी चाहिये कि फैसला करने वाले पंच ईमानदार हों। अगर वह किसी पार्टी के द्वारा चुने जायेंगे तो वह ठीक ठीक फैसला नहीं कर सकेंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरपंचों की नियुक्तियां होनी चाहिये या सेलेक्शन कमेटी (चुनाव समिति) के द्वारा उनकी छांट की जाय।

[श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ]

दूसरी बात अदालतों के बारे में यह है कि ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के जो सेक्रेटरी हैं उनमें से कितने ही तीन तीन महीने तक गायब रहते हैं। उनकी तनख्वाहों के लिये सरकार ने ५० लाख रुपये की इस वर्ष सहायता दे कर तो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है लेकिन बहुत से सेक्रेटरी कार्य नहीं करते और अदालतों में नहीं पहुंचते। इसको ओर ध्यान रखा जाय और उनपर नियंत्रण रखा जाय और इस संबंध में जांच करने की व्यवस्था कराने की आप कृपा करें।

गांव पंचायतों के सरपंच और प्रधान कोई कार्यवाही नहीं कर पाते क्योंकि प्लानिंग आफिसर (नियोजनाधिकारी) को ही उनके सचिवों की नियुक्ति और निष्कासन के अधिकार हैं। इसलिये इस तरह की कार्यवाही की जांच का काम नियमित और निश्चित रूप से होना चाहिये। आजकी ग्राम सभाओं और अदालती पंचायतों का संगठन हर जगह मौजूद है लेकिन जांच करने के लिए कि कहां कितना सुधार हुआ है या कहां क्या कठिनाइयां हो रही हैं इस संबंध में भी पंचायतों के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनका काम भी कोई बहुत संतोष जनक नहीं मालूम पड़ता है। बहुत से जिलों में जाने का मुझे मौका मिला है। यह सच है कि जितना काम उनके पास है और जितनी जिम्मेदारी उनके ऊपर है अगर वह पूरी नहीं हो पाती तो जनता में असंतोष होता है। वैसे उन्होंने पंचायतों को देखने, गांवों में पक्की नाली बनवाने, रास्ते चौड़े कराने तथा निर्माण सम्बन्धी कार्य कराने के सम्बन्ध में काफी काम किया है। यही नहीं, उन्होंने गांवों की सफाई करायी है और गांवों में सड़कें भी बनवाई है। जनता ने अकेले हाथरस तहसील में अपने खर्चे से, श्रमधन से, तीन पुलियां बनवाई हैं। हाथरस क्षेत्र में एक ८२ गांव के प्लानिंग प्रोजेक्ट को बनाने की योजना जनता द्वारा आरंभ की गई है और उसका सारा काम गांव सभायें ही कर रही हैं।

पहले जिलों में पंचायत आफिसर्स मुकर्रर होते थे लेकिन अब लगभग दो वर्षों से प्लानिंग आफिसर्स नियत होते हैं। मेरी राय में पंचायत विभाग का एक अलग आफिसर नियत करना चाहिये। वे कानूनी अधिकार से मेरा सुझाव है कि पंचायत आफिसर्स फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स हों और उन्हें कम से कम ६ वर्ष का अनुभव हो और ए० डी० एम० के रैंक (श्रेणी) के हों ताकि ये जरूरत पड़ने पर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें।

एक बात यह भी है कि सरपंचों को कानूनी सलाह तथा सहायता नहीं मिल पाती और इस टैक्निक प्रविधि को न समझ पाने के कारण जब उनके मुकदमों की अपीलें हाईकोर्ट में पहुंचती हैं तो अनियमितता के कारण कितने ही मुकदमे हार जाते हैं। इसलिये अदालती पंचायतों की बेंच को एक एक वकील चाहे वह छोटी ही तनख्वाह का हो, जरूर मिलना चाहिये ताकि कानूनी मामलात में अदालती पंचायतों को उचित सलाह मिल सके। इसमें कुछ खर्चा जरूर बढ़ जायगा। लेकिन दूसरी मदों से खर्चे कम करके इस विभाग में उसे बढ़ा दिया जाय।

पंचायतों के प्रधान द्वारा जो टैक्स का रुपया इकट्ठा होता है वह प्लानिंग आफिसर के यहां जमा होता है। यह रुपया प्लानिंग आफिसर के यहां जमा तो हो जाता है लेकिन जब रुपया पंचायतों के प्रधान किसी कार्य के लिये वापस मांगते हैं तो तीन तीन महीने लग जाते हैं और रुपया नहीं मिलता। इसलिये जब रुपया मांगा जाय तो उसके जल्दी मिलने का प्रबंध होना चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि रुपया बैंक में जमा रखा जाय और प्लानिंग आफिसर और पंचायत के प्रधान के सम्मिलित हस्ताक्षरों से ही रुपया निकाला जा सके। यदि ऐसा हो जायगा तो बड़ी सुविधा होगी और बिना प्रधान, ग्राम सभा, की स्वीकृति के इस रुपये का कोई दुरुपयोग नहीं हो सकेगा जो अकसर प्लानिंग अफसर बिना ग्राम की स्वीकृति के खर्च कर देते हैं। पंचायत राज ऐक्ट के रूल (नियम) २२१ में संशोधन कर दिया जाय कि गांव में उत्पादन होने वाले सामान के बाहर जाने पर चुंगी लगाई जा सके ताकि प्राथमिक शिक्षा विद्यामंदिर निर्माण आदि के लिये धन एकत्रित हो सके। आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कुछ चीजों पर अपना टैक्स वसूल करता है और पंचायतें भी उन्हीं चीजों पर अपना टैक्स वसूल करती हैं। इस प्रकार एक ही चीज पर डबल टैक्स हो जाता है। यह बन्द होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जमींदारी अबालिशन के बाद लगान वसूल करने के लिये हाल में कुछ नायब तहसीलदार नियुक्त होने जा रहे हैं और हर जिले में शायद सात-सात, आठ-आठ होंगे । मालगुजारी, आबपाशी, जमींदारी उन्मूलन कोष आदि की वसूलयाबी अलग अलग जरियों से होती हैं। विभागों के अलग अलग कुछ कुर्क अमीन रखे जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक डिपार्टमेंट की अलग अलग वसूलयाबी की एजेंसीज हैं। इसलिये अगर सबकी एक ही एजेंसी बना दी जाय तो खर्च काफी कम हो सकता है। इसमें रुपया भी ज्यादा खर्चा होता है और किसानों को भी अलग अलग कितने ही आदमियों से डील (व्यवहार) करना पड़ता है। इस प्रकार के कार्यों की कुछ जिम्मेदारियां पंचायत इंस्पेक्टर्स के पास भी रहें यदि ऐसा हो जाय तो बहुत सुविधा हो सकती है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतें जिस अभिप्राय की पूर्ति के लिये बनी थीं उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आज आकर्षित करूंगा । सन् १९३८ में एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी नियुक्त हुई थी जिसने यह चाहा था कि इस प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में पूर्ण रूप से स्वराज्य स्थापित हो जाय। उस उद्देश्य को लेकर ही यह ग्राम पंचायतों का कानून बना परन्तु उस उद्देश्य के अन्दर वह समस्त बातें नहीं लाई गईं और समस्त अधिकार ग्राम पंचायतों को नहीं दिये गये। यदि आप पूर्ण स्वशासन इन ग्राम पंचायतों में स्थापित करना चाहते हैं तो आपको उस कानून में फिर कुछ संशोधन करके उन्हें कुछ और अधिकार देने होंगे। इसमें संदेह नहीं कि आपने ग्राम पंचायतों को म्युनिसिपिल अधिकार दिये, सफाई के कार्य, तन्दुरुस्ती की देखभाल के कार्य, गलियारे और सड़क बनाने के कार्य उनके सुपुर्द किये लेकिन उद्देश्य इससे बड़ा था और वह उद्देश्य यह था कि आप पूर्ण स्वराज्य उनके अधिकार में दे दें। आपने न्याय का भी अधिकार उनको दिया। ग्राम पंचायती अदालतें वहां कायम कीं। लेकिन इसके आगे आपको जाना था। वह यह कि उनके सामाजिक और आर्थिक उन्नति के अधिकार भी आपको उन्हें देने थे । शान्ति और सुव्यवस्था कायम करने के अधिकार भी उनको मिलने चाहिये थे। इस कानून के बनाने का लक्ष्य यही था कि ग्राम पंचायतों को पूर्ण अधिकार अपने ग्राम का समस्त प्रबंध करने के लिये सामाजिक, आर्थिक उन्नति, न्याय और शान्ति सुव्यवस्था आदि के सब अधिकार उनको मिलने चाहियें थे। मैं यह चाहूंगा कि ग्राम सभाओं के कार्य जिनकी सिफारिश उस कमेटी ने की थी वे सब उनको मिलने चाहिये। इनमें से कुछ तो आपने गांव पंचायतों को दिये। कुछ फंक्शन (कार्य) आपने ऐसे रक्खे कि यदि सरकार उनको देना पसन्द करे तो उनको दिये जायं और कुछ फंक्शंन रक्खे ही नहीं। मेरा आपकी सेवा में नम्र निवेदन यह है कि वे सब फंक्शंन्स (कार्य) दिये जायं जिससे पूर्ण स्वराज्य की स्थापना गांवों में हो । मैं आप से कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी के सभापति आप ही थे। आप ही के अधीन उसकी समस्त रिपोर्ट लिखी गई थी और प्रेषित की गई थी। आप जानते हैं ग्राम पंचायतों को पूर्ण अधिकार उस रिपोर्ट के मुताबिक नहीं दिये गये।

मैं समझता हूं कि यह सरकार इस बात को मानती है कि गांव में पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की जाय। यह ठीक है कि कुछ लोगों का यह कहना उस वक्त भी था और संभव है आज भी हो कि जो लोग अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर सकते वे अपनी सामाजिक, आर्थिक शिल्प—कला, शान्ति सुव्यवस्था आदि का काम कैसे संभाल सकते हैं ? यह लोगोंका संदेह है और यह संदेह उस समय भी था। उस समय कमेटी के कुछ विरोधी दल के मेम्बर उठकर चले जाते थे जब गांव पंचायतों की पूर्ण स्वराज की योजना कमेटी के सम्मुख पेश की जाती थी। परन्तु कांग्रेस पूर्ण ग्रामीण स्वशासन पर विश्वास करती थी और इसीलिये ग्राम पंचायतों का कानून बना। भले ही उस में पूर्ण अधिकार न दिये गये हों।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई तब विलायत के समाचार पत्रों में यह समाचार छपा कि यू० पी० में सरकार विलेज सोवियट्स कायम करना चाहती है। यह भी जाना गया था कि यदि उन सिद्धांतों के अनुसार ग्राम पंचायतों का कानून बनाया जायगा तो उस समय के गवर्नर उस पर अपनी असेण्ट

[श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी]

[अनुमति] नहीं देंगे। अगर ऐसा कानून बनाया जायगा तो उसके ऊपर वह हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उस हस्तक्षेप की आशंका होते हुये भी कांग्रेस सरकार ने ऐसा कानून बनाया और उसको पास करके यह अधिकार दिये गये। मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन अधिकारों को पूरा कीजिये और पूरे स्वराज्य की स्थापना उन गांवों में कर दीजिये।

हमारे समाजवादी भाई माननीय त्रिपाठी जी ने यह कहा है कि चौखम्भा राज्य की स्थापना का जो उद्देश्य है उसका एक खम्भा गांवों में होना चाहिये। यदि पूर्ण स्वराज्य का अधिकारी गांवों को बनाया जायगा तो इससे मैं समझता हूं कि विरोधी दल का जो उद्देश्य है उसकी भी पूर्ति होगी और हमारे यहां गांवों के अन्दर पूर्ण स्वशासन की स्थापना हो जायगी। परन्तु मैं यह जरूर कहूंगा कि सरकार ने प्रयत्न किया है और जिस उद्देश्य को लेकर गांव पंचायतें बनाई गई हैं उस उद्देश्य की पूर्ति कुछ अंशों में होती है और मैं इसकी सराहना करता हूं। जिस उद्देश्य को लेकर इस तरीके का कानून बनाकर अधिकार दिया उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये भरसक प्रयत्न किया गया और प्रयत्न किया जा रहा है इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जितना भी प्रयत्न किया जाय उतना ही कम है और मैं भी इसको मानता हूं कि बहुत कुछ अभी करने की आवश्यकता है और जब तक बहुत कुछ विशेष रूप से नहीं किया जायगा तब तक आप उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते हैं जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आपने यह कानून बनाकर गांव पंचायतों की स्थापना की है। मैं यह भी समझता हूं कि अभी उस उद्देश्य को गांव निवासियों ने समझा भी बहुत कम है और अभी उस भावना की बहुत कमी है और उस भावना को लाने की बहुत जरूरत है और जब तक उस भावना को लाकर और उस उद्देश्य से प्रेरित हो कर काम नहीं होगा तब तक गांव पंचायतें सुचारु रूप से नहीं चल सकती हैं।

समय बहुत कम है और म इस विषय पर बहुत कुछ कहना चाहता था। अब इतना ही कहूंगा कि गांव पंचायत के अतिरिक्त प्रत्येक गांव में जमींदारी उन्मूलन के नियमानुसार गांव सभा की स्थापना की जायगी जिन्हें वे सब अधिकार दिये जायंगे जो जमींदारों को प्राप्त थे। इस प्रकार गांवों में ग्रामपंचायतें और ग्रामसभाएं दोनों होंगी जिससे बड़ा भ्रम उत्पन्न होने की संभावना है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन दोनों के बीच कोई रास्ता निकाले या ऐसा नियम बनावें जिससे एक ही सभा रह जाय। दोनों सभाएं न रह कर एक ही अपना काम करें।

श्री विष्णु शरण दुब्लिश (जिला मेरठ)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गांव पंचायतों की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है और इन्होंने बहुत काम किये हैं और अब ये हमारे गांवों का एक आवश्यक अंग बन गई हैं। आज कोई भी प्रतिक्रियावादी यह नहीं कह सकता कि इन पंचायतों को हटा दिया जाय या बन्द कर दिया जाय। इन पंचायतों ने इस प्रदेश के अन्दर काफी काम किया है और मैं अपने जिले के अनुभव के आधार पर कहता हूं कि उन्होंने सैकड़ों मील लम्बी सड़कें, जिनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को बनाने की ताकत नहीं थी, बनायी हैं और बहुत से गांवों में मेरठ जिले में ही ५०, ६० गांवों में पक्के खरंजे बनाये हैं। स्कूल, लायब्रेरी और दूसरे खुदाई के भी काम किये हैं। जिन गांव सभा के अच्छे प्रधान बने गये हैं वहां पर तो बहुत अच्छा काम हुआ है और सराहनीय काम हुआ है। इसके साथ ही साथ हमारे देश की जो हालत थी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से चली आती थी उसका असर गांवों पर भी पड़ा है। गांवों में यह देखने में आता है कि गांव दो हिस्सों में बंटे हुये थे। एक तो जो अधिकारियों से मिलकर उनका साथ देते थे जिनका अधिकारी भी समर्थन करते थे और जिनके हाथ में एक तरह से कुछ सत्ता थी और दूसरे वे लोग जो इनके द्वारा सताये जाते थे। नतीजा यह हुआ कि चुनाव के वक्त अधिकतर गांवों में दो पार्टियां बन गईं। कहीं पर तो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग और जो कुचले हुए लोग थे चुनाव में एक दूसरे के विरुद्ध आ गये और जो पार्टी पावर में आई दूसरी उसका विरोध करती रही। इसी वजह से बहुत सी पंचायतें ठीक काम नहीं कर सकीं। इसके संबंध में मेरा सुझाव यह है कि हमारा जो एलेक्शन

(निर्वाचन) का तरीका है उसमें हमें तब्दीली करनी पड़ेगी। अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि पूर्व में तो छोटे छोटे गांव है लेकिन हमारी तरफ बड़े गांव हैं और बाज बाज की आबादी १६ हजार तक है। वहां बहुत सी पार्टीबन्दी है और पंचायतों का बनना और काम करना मुश्किल है और हर तरह के झगड़े वहां होते है। अगर ऐसे गांवों को हम कांस्टीटुएन्सीज (निर्वाचन–क्षेत्रों) में बांट दें और वहां भी एक मेम्बर, दो मेम्बर अथवा तीन मेम्बर कांस्टीटुएन्सी बना दें तो शायद हमें इतनी दिक्कत न होगी। कहीं कहीं यह होता है कि गांव के जो बड़े बड़े कुटुम्ब होते हैं वह सारे गांव को दो हिस्सों में बांट देते है या जैसा कि मैंने कहा एक तरफ किसान और दूसरी तरफ गैर किसान हो जाते हैं और इस तरह से पार्टीबन्दी चला करती है । ऐसे भी मौके आये हैं कि गांवसभाओं के प्रधान का चुनाव मुल्तवी रखना पड़ा है।

मैं साथ ही यह भी अर्ज करूंगा कि पंचों की तादाद बहुत ज्यादा है और वह ३० से ५१ तक रखी गई है। अक्सर ऐसा होता है कि गांव पंचायत की मीटिंग बुलायी जाती है और उसमें कोरम (गणपूर्ति) नहीं हो पाता है और इस तरह से बिला वजह मीटिंग टल जाती है। ज्यादा अच्छा हो कि यह तादाद घटाकर ७ से १५ तक रख दी जाय। मेरे इस सुझाव पर भी गौर करने की जरूरत है। मेरा तीसरा सजेशन (सुझाव) यह है कि स्टेचुटरी (प्रविधिक) तौर पर गांव पंचायतों को सब-कमेटियों में बांट दिया जाय जैसे कि सफाई कमेटी, रोशनी कमेटी है और इसी प्रकार के दूसरे काम के लिये अलग अलग सब–कमेटियां बना दी जायं। इस तरह से सब आदमियों को थोड़ा–थोड़ा काम मिल जायगा और सब की दिलचस्पी उसमें इस तरह से हो जायगी। मेरा चौथा सुझाव यह है कि हाफ वे रेसपान्सिबिलिटी (अर्ध–उत्तर–दायित्व) किसी को न देकर पूरी जिम्मेदारी देना चाहिये। अगर आप ऐसा नहीं करते है तो एक इरेंसपान्सि–बिलिटी (अनुत्तरदायित्व) की भावना रहती है जैसे कि आप देखते हैं कि लेजिस्लेचर (विधान मंडल) में अपोजीशन पार्टी (विरोधी दल) की हालत होती है। वह जानते हैं कि उनका काम सिवा क्रिटिसाइज (आलोचना) करने के कुछ करना तो है नहीं और इस तरह से एक गैरजिम्मेदारी उसमें पैदा हो जाती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि गांव पंचायतों को पूरी जिम्मेदारी दी जाय। रोज पतरौलों और पटवारियों के झगड़े आया करते हैं, अगर ऐसे मामलों में उनको कुछ अधिकार दिया जाय तो ज्यादा अच्छा काम वे कर सकती हैं। इसके अलावा अब जमींदारी हटने के बाद बहुत से अधिकार पंचायतों को दिये जाने वाले हैं। हमें सोचना चाहिये कि ए नंबर की जो पंचायतें हैं उन्हें हमें वसूली का काम भी देना चाहिये और उसके बदले में २० फीसदी के करीब उनको देना चाहिये। अदालती पंचायतों के बारे में भी मैं यही कहूंगा कि दो तीन अदालती पंचायतों के क्षेत्र में एक बेंच बना दी जाय और इसी तरह की एक दूसरी बेंच तहसील भर की और एक तीसरी बेंच जिले भर की बना दी जाय और अगर दो बेंच की राय में इत्तफाक हो जाय तो तीसरी बेंच को अपील की जरूरत नहीं है। बेंच एक साल के लिये बनावें और किसी को रिप्लेस (प्रतिस्थापित) करना हो तो हर साल करते रहें। इन बेंचों में वकीलों को जाने की इजाजत न हो ।

समय थोड़ा होने की वजह से मैंने थोड़े में अपने सुझाव पेश किये हैं उन पर गौर किया जा सकता है। अभी मंत्री जी ने कहा है कि वह पंचायत राज का अमेंडमेंट (संशोधन) पेश करेंगे। मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी चीज है और सबसे पहले पंचायत राज आफिसर अलग होने चाहिए। आजकल होता यह है कि उनको जमींदारी एबालिशन आफिसर भी समझा जाता है प्लानिंग आफ़िसर भी समझा जाता है नतीजा यह होता है कि उनको सुपरविजन (पर्यवेक्षण) का मौका नहीं मिलता। इसलिये इस बड़े महत्वपूर्ण काम के लिये अलग ही अफसर होना चाहिये ।

श्री अंसमान सिंह (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मंत्रीजी की निगाह में उन बातों को लाना चाहता हूं जिन्हें मैं सुझाव की तरह से पेश करना चाहता हूं। इसमें शक नहीं कि हमारे लिये पंचायत राज का और पंचायती अदालतों का होना

[श्री अंसवान सिंह]

बहुत जरूरी है, इससे गरीबों के बहुत से मुकदमे थोड़े से खर्चे में तय हो जाते हैं। लेकिन उनका चुनाव जिस तरीके से हुआ है उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं जिनको मैं आप के जरिये मंत्री जी के सामने लाना चाहता हूं। शायद आप लोगों को स्मरण होगा इन पंचायतों के पहले भी हमारे यहां अदालती पंचायतें थीं जो दीवानी के मुकदमे फैसल किया करती थीं। उनमें बहुत सी बेईमानियां हुई जिनके कारण वे तोड़ दी गईं। बाद को जब हमारी इन पंचायतों का चुनाव हुआ तो जो लोग गांव में ज्यादा चालाक थे और गैरजिम्मेदार थे वही अधिक संख्या में खड़े हुए, ज्यादा ईमानदार आदमी जो सीधी तबियत के थे वे पंचायतों की मेम्बरी या सभापति के पद के लिये खड़े नहीं हुए। नतीजा यह हुआ कि ज्यादा चालाक लोग उसमें आ गये और वे आम तरीके से अपने साथियों की इमदाद करते हैं और रिश्वतें भी खाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। पहली बात जो मैं आपसे चाहता हूं वह यह है कि उनके चुनाव का तरीका आप बदल दें। अपने कांग्रेस मेम्बरान से एन०एल० ए० लोगों से, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि दूसरे चुनाव के अवसर पर वे लोग अपने अपने हलकों में जाकर गांव के जो अच्छे आदमी हैं उनसे कहें कि वे खड़े हों और पंचायत में भाग लें। उन्हें जोर देकर खड़ा करना चाहिये। उसके साथ साथ यह भी किया जाय कि चुनाव का तरीका, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं में से किसी ने कहा है, बैलट (शलाका) से किया जाय, हाथ उठाकर न किया जाय क्योंकि गांव के लोग ज्यादा चालाक लोगों से डरते हैं कि यदि कहीं वे पंच सरपंच हो गये तो हमारे खिलाफ मुकदमे करेंगे और हमको तकलीफ देंगे।

मैं एक एडवोकेट हूं और मैंने यह देखा है एडवोकेट की हैसियत से, क्योंकि मुझे उनके मुकदमे देखने का बहुत मौका मिला है, कि बहुत से मुकदमें ऐसे होते हैं कि जब किसी ने अदालत में दरख्वास्त दी कि मुझे पंचायत में विश्वास नहीं है और मेरा मुकदमा वहां से हटा दिया जाय तो पंचायत वाले ऐंटीडेट (पहले की तारीख डालकर) उनके मुकदमे फैसल कर देते हैं। जब मिसल आती है तो देखा जाता है कि फैसला हो गया है। सेक्रेटरियों में मेरा ज्यादा विश्वास नहीं है क्योंकि वे लोग आम तरीके से पंचों या सरपंच से मिलकर बहुत कुछ नाजायज फ़ायदा उठाते हैं इसलिये कि वहां के पंच ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वे सेक्रेटरियों के रोब में आ जाते हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार इंस्पेक्टरों को यह हिदायत करे कि वे बराबर दौरा करें और उनकी मिसलें देखें और देखें कि क्या कार्यवाही हो रही है। आया वे ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं। इंस्पेक्टर लोग ज्यादा जिम्मेदार आफिसर हैं इसलिए अगर ये लोग बराबर दौरा करते रहें और दौरा करके मुकदमों को देखते रहें तो इसका असर अच्छा होगा। हमें उम्मीद है कि इससे ज्यादा शिकायतों का मौका न आयेगा।

मंत्री महोदय ने आखिर में एक बात यह कही है कि पंचायतों के बहुत थोड़े से मुकदमों में निगरानी हुई और इनमें से ज्यादा फैसले बहाल रहे। इसके बारे में उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि निगरानी में जो मुकदमे आये और उनमें जो मंजूर हुए उनमें से ९५ फीसदी कानूनी गलती की वजह से मंजूर हुए। वाकयात की बिना पर कोई मंजूरी नहीं हुई। रिवीजन (पुनरीक्षण) में नीचे की अदालत का ही फैसला माना जाता है अगर कोई कानूनी गलती होती है तो उस पर ही फैसला होता है। इसलिये इन आंकड़ों से यह नहीं कहा जा सकता कि पंचायतों के फैसले अच्छे रहे। अगर पंचायतों के लोग कानूनी गलती करें तो मेरी समझ में यह क्षम्य है। लेकिन हमें उनकी वाकयात की गल्ती देखना चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि वाकयात में ईमानदारी से फैसला होता है या नहीं। कहीं बेईमानी तो नहीं की जाती है। जो तरीका निगरानी का अदालतों के लिये रखा गया है उसे पंचायतों के लिये उलट देना चाहिये। यहां वाकयात के ऊपर फैसला होना चाहिये। मेरे ये सुझाव हैं और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उन पर ध्यान देंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा करने से पंचायतों का इंतजाम सुधर जायगा।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत ऐक्ट द्वारा वास्तव में हम ग्राम के लोगों को एक नये मार्ग से ले जा रहे हैं और इसके द्वारा पहले

से ही स्वतंत्र अधिकार दे दिये गये थे। जो भी अधिकार दिये गये उनसे भली प्रकार काम किया जा सकता है। जो भी अधिकार दिये गये उनसे हम समझते थे कि गांव के लोग बड़ी दिलचस्पी से काम करेंगे। मैं इससे इंकार नहीं कर सकता कि जो आंकड़े सरकार की तरफ से पेश किये गये हैं वह सही नहीं है। वे बिलकुल शत प्रतिशत सही हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिये मैं साफ कह देना चाहता हूं कि जितना सुधार का काम हम उम्मीद करते थे वह नहीं हुआ है। एक लाख गांव हैं उनके सुधार का कार्य एक समय में एक साथ ही हो जाय, सब इंतजाम हो जाय, यह मुमकिन नहीं है। जहां कहीं काम नजर आया है, जहां पर काम सफलता पूर्वक हुआ है मैं उसके लिये उनको मुबारकबाद देता हूं और जहां पर इसकी कमी है वह आपस के मनमुटाव और लड़ाई झगड़े की वजह से है। । यदि हम यह देखें कि ग्राम पंचायतों का चुनाव किस प्रकार हुआ और जो चुन कर आये उन्होंने क्या कार्यवाही की तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास अभी भी कई ऐसी रिपोर्ट्स (प्रतिवेदन) हैं कि जो कुछ कार्य वहां हुआ है उसका ज्ञान गांव सभाओं तक को नहीं है। गांव सभाओं के सामने भी वह मामले नहीं लाये गये और कार्यवाही हो गई। गांव सभा के प्रधान और सेक्रेटरी ने सब कार्यवाही रजिस्टरों में कर ली। सब कार्यवाही करके टैक्स का प्रपोजल (प्रस्थापना) पास करा लिया गया और लोग देखते के देखते रह गये कि यह क्या हुआ। जब एक साल के बाद टैक्स वसूल होने लगा तब लोगों को पता लगा कि फलां आदमी पर ५ रुपया टैक्स लगा है, फलां पर इतना लगा है और फलां पर इतना टैक्स लगा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मेरठ में रजपुरा एक ग्राम है। वहां के लोगों पर काफी तादाद में यह टैक्स लगाया गया था। अगर वहां की पार्टी-बन्दी की तरफ खयाल किया जाय तो मालूम होगा कि अगर ग्राम पंचायत बुलायी जाती तो वह टैक्स कभी नहीं पास होता, वहां के लोग उसे पास ही नहीं कर सकते थे। सिर्फ सेक्रेटरी और प्रधान दोनों ने मिल कर उस चीज को किया और लोगों को बिना बताये ही उस पर आफिसर की मंजूरी भी मिल गयी। जिस वक्त सैकड़ों की तादाद में लोग मेरे पास पहुंचे तो मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जाकर कहा। उन्होंने सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस को बुलाया और सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस ने इंसपेक्टर पुलिस को बुलाया और उनसे कहा कि उस गांव में तुरन्त जाकर इस मामले को ठीक कर दो। वहां जाकर उन्होंने उस मामले को तुरन्त ठीक कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से काम किया जाता है तो आपस में झगड़ा बढ़ता है। मैं इस बात को मानता हूं कि ईमानदारी का कदम है और ईमानदारी का कदम उठाने की वजह से ही आपस में मामला सुलझा। वहां के आफिसरों ने इस मामले में काफी दिलचस्पी ली, तभी मामला सुलझा। लेकिन इस तरह से लोगों पर टैक्स लगाना गरीब आदमियों को परेशान करना ठीक नहीं है। इस बात को देखना बहुत जरूरी है कि, तमाम जो सेक्रेटरी हैं वे अच्छी तरह से काम करते हैं या नहीं करते हैं।

मैं एक नहीं बल्कि कई गांवों की मिसाल दे सकता हूं जहां हरिजन रहते हैं, उनके चारों ओर तालाब हैं, बरसात के दिनों में वे पानी से घिर जाते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। न तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनके लिए कोई प्रबन्ध करते हैं न और कोई आफिसर ही प्रबंध करता है। इस तरह से उनकी फलाह व बहबूदी नहीं होती है बल्कि लोग अपनी मनमानी पूरा करने की गरज से काम करते हैं। जो तजवीज माननीय दुब्लिश जी ने तथा मेरे और साथियों ने रखी है मैं उसका समर्थन करता हूं कि अदालती पंचायतों को अपना काम बहुत सावधानी से करना चाहिये।

एक बात की तरफ मैं और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां तक एग्रीकल्चर का संबंध है एग्रीकल्चरल परपज (कृषि कार्यों) के लिये भी पंचायती अदालतों को काम करना ही चाहिये लेकिन साथ ही साथ दस्तकारी की तरफ भी पंचायती अदालतों को तवज्जह करना चाहिये जिससे कि मजदूरों की और गरीबों की हालत ठीक हो सके। उनका एक फंक्शन (कार्य) यह भी होना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसकी तरफ तवज्जह की जाय अन्यथा विकास बड़े लोगों का ही हो सकेगा गरीबों का नहीं।

राजा देवेन्द्र शाह (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भाषण (अनुदान) इस सदन के सामने पेश है उसके संबंध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि जिस तरह से सरकार ने पंचायतों को गठन करते हुए इसका जो उद्देश्य, जैसा कि माननीय बाजपेयी जी ने अभी भवन के सामने बताया, रखा है। आज मैं इस बजट में देखता हूं कि सिवा कर्मचारियों के वेतन के लिये ५० लाख रुपया रखने के ग्राम पंचायतों के खर्च के लिये सरकार ने और कोई तजवीज नहीं की है। मैं बतलाना चाहता हूं कि कर्मचारियों का जो वेतन आपने दिया है या देने के लिये विचार किया है वह तो हम लोगों की पुरानी मांग थी, उसको सरकार को देना चाहिये था आपका धर्म था। उसको अब आपने इतने दिनों के बाद पूरा किया। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी बड़ी बड़ी योजनायें हैं वह सब ग्राम पंचायतों के द्वारा करवाएं तो जनता में उत्साह होगा और जनता की यह भावना खत्म होगी कि सरकार का कार्य सुचारु रूप से नहीं होता है, उनका उत्साह बढ़ेगा कि हमारे ऊपर विश्वास करके सरकार हमारे द्वारा ग्रामोत्थान का कार्य करना चाहती है लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो दुर्दशा पंचायतों की है उससे तो अच्छा था कि पंचायतें न रहतीं। ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर अपने को प्रधानों का और उपप्रधानों का अफसर समझते हैं और उन पर हुकूमत करते हैं। यह प्रजातांत्रिक राज्य है; इसमें उसके ही हिसाब से काम चलना चाहिए।

मुझे एक भय यह भी लगता है कि हमारे अर्थमंत्री जी ने यह कहा कि यह ५० लाख जो दिये जा रहे हैं सेक्रेटरियों को, तो अब उनका कंट्रोल भी सरकार करेगी। जब सरकार से वेतन नहीं मिलता था तब तो वह कन्ट्रोल सरकार से होता ही था और वे गांव सभाओं पर हुकूमत करते थे और जिस उत्साह से काम चलना चाहिये वह नहीं चलता है तो अब जब सरकार का कंट्रोल होगा तो काम क्या होगा यह मुझे भय है। मुझे मालूम है कि सरकारी कर्मचारियों में यह भावना है कि वह जब किसी अस्थायी से स्थायी जगह पर हो जाते हैं तो वह समझते हैं कि कोई उनको निकाल नहीं सकता और डिपार्टमेंट उनकी मदद करेगा और इसलिये जो आफिशियल हैं वे गांवों में काम करने वाले नान-आफिशियल्स की बात को सुनते तक नहीं हैं और यही वजह है कि बहुत से लोग हतोत्साह हो कर इन ग्राम सभाओं के चुनाव वगैरह में हिस्सा नहीं लेते। वह समझते हैं कि जब वह कोई कार्य नहीं कर पाते तो क्यों लड़ाई मोल लें और फिजूल के लिए झगड़े में पड़ें?

मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यह एक किताब है जो विभाग के कामों की १९५१-५२ की रिपोर्ट है। वह हम लोगों को कल दी गई। मैं आपके जरिये से यह कहना चाहता हूं कि सरकारी मेम्बर्स जो हैं वे तो जान भी सकते हैं लेकिन जो विरोधी दल के लोग आये हैं उनको पता चलता नहीं है और इस तरह से रिपोर्ट देने से क्या फायदा होता है जब उसी दिन वह अनुदान पेश होनेवाली है। मैं तो कहता हूं कि यह हमारे लिये बेकार है और हम अपना सुझाव इस पर पेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम पढ़ नहीं सके। सिवाय इसके कि हम इसको अपनी लाइब्रेरी में रखदें, इससे हम और कोई काम नहीं ले सकते। इसलिये मैं कहूंगा कि जो रिपोर्टें दी जायं वह कम से कम विरोधी दल वालों को एक हफ्ते पहले मिलना चाहिये वर्ना वह अपने विचारों को नहीं रख पाते और हम लोग कसूरवार ठहरते हैं अगर कोई बात न जानते हुए सरकार से शिकायत करते हैं और उससे लज्जा भी उठानी होती है कि हमने पढ़ा नहीं।

हमारे एक माननीय सदस्य ने पंचायती अदालतों के चुनाव के सिलसिले में कहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि ग्राम पंचायत ऐक्ट में वह कोई संशोधन बहुत जल्द लाने वाले हैं। हम उस समय अपना विचार रखेंगे। लेकिन अब इन सज्जन ने एक बात कही है तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार प्रजातंत्र के नियमों को ही कुचल डालेगी अगर नामिनेटेड (नाम निर्देशित) अदालती पंचायतों को कायम करेगी, और अगर वह ऐसा करेगी तो नतीजा यह होगा कि जो उद्देश्य था वह सब रद्द हो जायगा।

मैं यह समझता हूं कि इतने थोड़े समय में जमींदारी अबालिशन (विनाश) और पंचायत राज के संबंध में ठीक कार्य नहीं हो सकता जिन पर सरकार और कांग्रेसी सरकार को बड़ा गर्व है कि हमने दो बड़े कार्य किये । मुझे इतना ही कहना है कि उसे आप कार्यरूप में परिणत कीजिये। समय कम है, नहीं तो मैं बतलाता कि किस तरह पंचायत राज की उपेक्षा की जाती है और सरकार औरों के जरिये से शासन कराना चाहती है और हमारी पंचायतों पर विश्वास न करके रुपया खर्च करने के लिये तैयार नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि अनुदान में बहुत कम रुपया रखा गया है। सरकार पुनः इस पर विचार करे ।

श्री केशव गुप्त (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि हमने जो गणराज्य सहकारिता द्वारा अपने देश में कायम किया है अगर उसे सफल और दृढ़ बनाना है तो पंचायतों का उसमें बहुत बड़ा महत्व है और इन्हीं पवित्र भावनाओं और शुभ आकांक्षाओं को लेकर पिछली विधान सभा ने पंचायत राज को अपने यहां स्थापित किया। लेकिन मुझे माय़ूसी होती है जब मैं उस नक्शे को जो इतनी पवित्र-भावनाओं के साथ बनाया था उसे अपनी आंखों के सामने धुंधला हुआ देखता हूं। इसलिये नहीं, आप यह न समझें कि जो पंचायतें चुन कर आयी हैं या जो अदालती पंचायतें बन कर आयी हैं उनमें कमी है । मैं ऐसा मानने के लिये तैयार नहीं, क्योंकि उसमें पहले कुछ थोड़ी बहुत खराबी होना संभव है जैसे हममें और आपमें खराबियां हैं, जैसा हमारा करेक्टर (चरित्र) है वैसा उनका भी करेक्टर है । जैसे जैसे हम ऊंचे उठेंगे वे भी उठेंगे इसलिये उधर मुझे कोई असंतोष नहीं है । मुझे असंतोष यह है कि एक रेड टेपिज्म का जाल इन पंचायतों के ऊपर बिछा दिया गया है । जो पंचायतें स्वतंत्र हवा में पलतीं उनके बढ़ाव को हमने रोक दिया। हमने अदालतों के अन्दर इंस्पेक्टर्स का जाल फैला दिया, पंचायत राज अफसर बनाये, सेक्रेटरीज बनाये और उनकी बरखास्तगी और तकर्ररी अपने हाथ में रखी । इस तरह से जैसे पहले ब्यूरोक्रेसी (नौकरशाही) चलती थी उसी तरह से हमने पंचायतों के ऊपर अफसरों का जाल बिछा दिया जिनको तकर्ररे और बरखास्त करने का अधिकार हमारी पंचायतों के हाथ में नहीं रखा। उसका नतीजा यह हुआ कि पंचायतें कुछ करना चाहती हैं और वह कुछ और करना चाहते हैं । एक तरह से दोनों में संघर्ष है । मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पंचायत राज अफसर के दिमाग़ में यह बात आयी कि पंचायत घर बनें । वहां की पंचायतें कहती हैं कि हमारे यहां सफाई की जरूरत है, गलियां ठीक हों, खड़ंजे बने और चौतरे ठीक हों लेकिन वह कहते हैं कि पंचायत घर न बनें । एक संघर्ष चल रहा है। इसी तरह से यह चीज़ उच्छृखंल तौर पर कायम हो गयी है। पंचायतें कुछ और चाहती हैं और वह कुछ और चाहते हैं और अंत में होता वही है जो वह चाहते हैं। करते हैं सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर और बदनाम होती है वहां की पंचायतें । टैक्स लगाने वाले वहां के सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर होते हैं ।

दूसरे मैं मिसाल के तौर पर अर्ज करूं कि हमारे यहां की गांव सभाएं यह चाहती हैं कि हम यहां रास्तों को चौड़ा करें, यहां इमारतों को ठीक बनाएं, लेकिन वह नहीं कर सकतीं हैं । इसका प्रोसीड्योर (प्रक्रिया) इतना बड़ा लम्बा है कि पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखें वह लैंड अक्वायर (भूमि अर्जन) करे तब जा कर कुछ हो सकता है ।

इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट (स्थानीय स्वायत्त-शासन) का ढांचा बिल्कुल बदल दें । पहले गांव सभायें और पंचायतें हों, फिर टाउन एरिया वगैरह और फिर म्युनिसिपल बोर्ड । यह तीन इकाइयां हों । इन तीनों के सम्मिश्रण से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाएं। उनका एलेक्टोरल रोल (निर्वाचक-नामावली) हो और पंचायत, टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड का सम्मिश्रण हो कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने । यह डिस्ट्रिक्ट

[श्री केशव गुप्त]

बोर्ड इनकी देख रेख करे, उन्हीं की तरफ से कार्रवाई हो। अगर ग्राम पंचायतें बनी तो उन्हीं की देख रेख में वहां के सब काम होने चाहियें। उनमें इनिशियेटिव पैदा होना चाहिये। आप यह क्यों मानते हैं कि जो हाकिम आपने बना दिये हैं उनमें इनिशियेटिव है, गांव वालों में नहीं। वे लोग तो पुरानी मशीन के पुतले हैं। मैं श्वेष्ठ कहता हूं तो वह श्वेष्ट कहने के लिये तैयार हैं। मैं दिन को चांद कहूं तो वे भी चांद कहने के लिये तैयार हैं और साथ यह भी कि चांदनी छिटक रही है। इसलिये मैं उनमें विश्वास नहीं रख पाता। मैं समझता हूं कि उनके नीचे रह कर ये पंचायतें कभी नही फल फूल सकती हैं, बल्कि जो डेमोक्रेटिक तरीका है वही हमें अपनाना चाहिये कि सब गांव सभाओं, टाउन एरियाज और म्युनिसिपल बोर्डस का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सम्मिश्रण कर के उनके ऐक्टों में तब्दीली करें और एक ऐक्ट में ले आयें।

आप देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी टैक्स ले रहे हैं और पंचायतें भी टैक्स लगाती हैं। इस प्रकार गरीबों पर दुगुना टैक्स पड़ जाता है। म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरिया वाले भी टैक्स लगाते हैं और गांव वाले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतों को भी टैक्स देते हैं। पंचायत में वसूली भी नहीं होती। आप देखें कि ३८ हजार की रक़म कितनी होती है। ६ करोड़, ३४ लाख की आबादी इस प्रान्त की है जहां ३५ हजार पंचायतें हैं, एक लाख से ऊपर गांव हैं। वहां यह वसूली १० पाई के करीब पड़ती है। अगर १०० रुपया के करीब भी टैक्स वसूल हो तो १ करोड़ के करीब पहुंचता है। लेकिन पंचायतें टैक्स लगाना नहीं चाहतीं, न उनमें इनिशियेटिव है, न उनके पास मशीनरी है। इसलिये बेहतरीन तरीका यह है कि एक उसका डिपार्टमेंट अलग बनाएं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अलग हो। उसका कोई ताल्लुक़ जिले की मशीनरी से न हो। लैंड अक्विजीशन हो तो उस डिपार्टमेंट के जरिये से हो और भी जो गांव से संबंधित काम हों वह उसके द्वारा कराये जायं। इस प्रकार अगर आप करेंगे तो पंचायतें फलें फूलेंगी और हमारी पंचायतों का सुधार होगा।

मैं मानता हूं कि पंचायती अदालतों ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर कुछ खराबी हुई तो मानने के क़ाबिल नहीं। जो मेरे भाई विष्णु शरण दुब्लिश ने कहा कि वहां बड़ी पार्टी-बन्दी है, वह सब समाप्त कर दी जायं और १५ मेम्बर की एक कमेटी बना दी जाय, मैं उसको मानने के लिये तैयार नहीं। प्रजातंत्र के अन्दर तो आपको उसको विस्तृत रूप ही देना पड़ेगा। आप उसकी खराबियों को दूर कीजिये और उनको उठाने की कोशिश कीजिये जितना आप से सम्भव हो सके।

श्री शिवस्वरूप सिंह (जिला मुरादाबाद)—अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल चाहे कितनी ही आलोचना इस पंचायत राज पर और इस सरकार के कार्यों पर करे, लेकिन यह बात माननी पड़ेगी जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि जनता ने और कार्यों के अलावा दो विशेष कार्यों पर अति प्रसन्नता प्रकट की है वे हैं पंचायत राज की स्थापना और जमींदारी का विनाश। विरोधी दल काफी आलोचना करता है। उसको अधिकार है, वह करेगा, लेकिन जब हम गांव में जा कर वहां की हालत देखते हैं तो पता चलता है कि वहां इन दो विषयों पर ग्राम निवासी काफ़ी संतोष प्रकट करते हैं। यह हो सकता है कि इनकी कार्य-शैली में कुछ परिवर्तन होने की आवश्यकता हो। मैं सदन के सम्मुख इसलिये उपस्थित हुआ हूं कि इस पंचायत राज के विषय में अपने दो तीन विचार माननीय मंत्री जी के सन्मुख रखूं। ग्राम पंचायतों की स्थापना से ग्रामों में बड़ा संतोष हुआ है, यह मैंने कहा। पंचायत राज के दो अंग हैं, एक ग्राम सभायें और दूसरे अदालतें। एक अंग का कार्य रचनात्मक है और दूसरे अंग का कार्य उस ग्राम के झगड़ों को दूर करना है। मेरा अपना विचार यह है कि इसकी स्थापना पर इन दोनों अंगों में से एक अंग सरकार की ओर से बहुत तेजी से भगाया जा रहा है और एक अंग की तरफ से कुछ कमी सी प्रगट हो रही है। हमारे राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी जी के विचारों के ऊपर इस पंचायत राज की स्थापना की आवश्यकता प्रकट हुई और यह विचार किया गया कि राज्य के जितने भी अंग हैं उनका विकेन्द्रीयकरण किया जाय। पंचायत राज की स्थापना से यह काम सफल हुआ है लेकिन जैसा मैंने कहा सर्वप्रथम जो ग्रामों का रचनात्मक

कार्य है और जो ग्राम सभाओं के सुपुर्द है, उसके लिये ग्राम सभाओं को कुछ प्रोत्साहन नहीं दिया गया है । ग्रामों में अदालतों को विशेषता दी गयी है, उनके कामों को बढ़ाया जा रहा है । इसकी वजह से बड़ी दिक्कत यह आ गयी है कि गावों में अदालतों के चले जाने से हर गांव में हुकूमत की और हाकिमपन की एक ऐसी बू फैल गयी है कि हर पंच और सरपंच अपने आप को वहां का हाकिम समझकर झगड़ों को निपटाने की तरफध्यान देता है और गांव के सुधार की तरफ या गांव के रचनात्मक कार्य की तरफ ध्यान नहीं देता है ।

ग्राम अदालतों को बहुत तेजी से चलाने की वजह से यह एक दिक्कत उनके सामने आ कर के खड़ी हो गयी है कि अब तक गावों में जो छोटे छोटे मुकदमे या झगड़े नहीं होते थे, वे भी इन अदालतों के पास जाने लगे हैं, इसीलिये जहां तक मेरा ख्याल है सरकार के पास इतने ज्यादा आंकड़े हैं जिन पर यह संतोष जाहिर किया जा रहा है कि इन अदालतों ने इतनी लम्बी तादाद में फैसले किये हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो झगड़े कभी भी हमारे सामने नहीं आते थे वे अब मुकदमों के रूप में अदालतों के सामने जाने लगे हैं, मसलन किसी ने किसी के गाड़ी की चुकेल निकाल ली तो वह मुकदमा भी अदालत में चला गया, या किसी के बच्चे ने किसी के मेंड़ पर घास छील ली तो वह मुकदमा भी अदालत में चला गया । इस प्रकार अब छोटे छोटे मामले, जिन पर पहले कभी गांवों में ध्यान भी नहीं दिया जाता था, मुकदमों का रूप धारण कर लेते हैं और गांवों में मनमुटाव पैदा करते हैं। यह बात मैंने इस लिये अर्ज की कि दोनों अंग अपनी अपनी जगह पर जरूरी हैं लेकिन मेरा अपना विचार यह है कि जो पहला अंग है ग्राम सभाओं का, उसको सरकार की तरफ से विशेषता दी जानी चाहिये । ग्राम सभाओं का कार्य रचनात्मक है । गांवों में सड़कें बनें, गांवों में रोशनी हो, गांवों में बीमारी दूर हो, स्कूल खुलें । लेकिन इस किस्म के काम जिस तेजी से ग्रामों में चलने चाहिये थे, मेरा अपना ख्याल है, उस तेजी के साथ नहीं चल रहे हैं जिस तेजी के साथ ग्रामों में मुकदमेबाजी चल रही है । इस ख़याल से मेरा यह सुझाव है कि दोनों अंगों के साथ साथ चलने के बावजूद भी सर्वप्रथम ग्राम सभाओं को विशेषता देनी चाहिये और उनके कामों को आगे बढ़ाना चाहिये । ग्राम सभाओं को सुचारुरूप से चलाने में या तेजी से चलाने में एक दिक्कत गवर्नमेंट के सामने या ग्राम सभाओं के सामने आ करके पड़ती है और वह यह है कि रचनात्मक कार्य जितने भी होते हैं उनमें रुपयों की आवश्यकता होती है ग्राम सभाओं के पास रुपयों की कमी है ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फ़र्रुखाबाद)---स्पीकर महोदय, मैं समझता हूं कि गांव पंचायतों के सिलसिले में जो बहस हो रही है उसमें आपको सब से ज्यादा दिलचस्पी होगी इसलिये कि आप ही के जमाने में और आप ही के जरिये इस ग्राम पंचायत की इस सूबे में इब्तदा हुई। मुझे यह भी यक़ीन है कि जो माननीय मंत्री अब आपको सक्सीड करके (आपके उपरान्त) आये हैं वह भी इसमें उतनी ही दिलचस्पी लेंगे और उनके जमाने में गांव पंचायतें और तरक्की करेंगी । यह जाहिर है कि हमारे सूबे में यह एक बहुत बड़ा तजुर्बा हुआ और इस तजुर्बे को हमने किया और अब तक़रीबन तीन साल गुजर गये कि जब से हम इस सूबे में गांव पंचायतों को चला रहे हैं। इस तीन साल की मुद्दत में हमें काफ़ी तजुर्बा हुआ। हमने यह भी देखा कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कामयाब हुईं और कौन सी दिक्क़तें और दुश्वारियां पेश आयीं । मैं समझता हूं कि चन्द वजहात की बिना पर गांव पंचायतों का इलेक्शन वक्त पर नहीं हो सका और अब जब आइन्दा इलेक्शन होंगे , मुझे यक़ीन है कि शायद आयन्दा साल इलेक्शन होंगे, तो उस वक्त तक चार साल की मुद्दत इनकी हो जायगी । मैं चाहता यह था कि गवर्नमेंट इस मसले पर ग़ौर करे कि वह इस अर्से में एक छोटी सी कमेटी बैठाये जो इस बात की जांच करे कि गांव सभायें कहां कामयाब हुईं और कहां उनके कामों में दुश्वारियां आईं और उनकी बुनियाद पर अगर इस ऐक्ट को जरूरत हो तो तब्दील करें । अगर इस एक साल के अर्से में हमने इन चीजों का जायजा लेना शुरू कर दिया तो हमें इस मामले में ज्यादा सहूलियत होगी जनाबवाला, यह चीज बड़ी क़द्र की नजर से देखी जायगी कि पिछला इलेक्शन जो

[श्री सुल्तान आलम खां]

गांव पंचायतों का हुआ और जो सब से पहला इलेक्शन था उसमें कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी मिसाल मुल्क के सामने रखी और वह यह है कि पंचायतों का इलेक्शन पार्टीबन्दी की उसूल पर नहीं कराया गया। मैं चाहता हूं कि मुल्क की तमाम पार्टियां इस बात पर गौर करें कि आइन्दा भी जो पंचायतों के इलेक्शन हों वह पार्टीबन्दी से बाला हों। इसलिये कि पंचायतों के जरिये हम मुल्क की कांस्टीट्यूशनल प्राबलम्स (सांविधानिक समस्याओं) को हल करना नहीं चाहते। पंचायतें तो हमारी इस लिये क़ायम की गयी हैं कि वे गांवों के मामलों को, गांवों के कारोबार को देखें और इसके लिये वे ही लोग सब से बेहतर हो सकेंगे कि जिन पर गांव वालों का सच्चा भरोसा हो। इसमें पार्टीबन्दी की जो बबा दूसरे इंस्टीट्यूशन्स (संस्थाओं) में आ गयी है और जो इनएविटेबल (अनिवार्य) है वह गांव पंचायतों में न लायी जाय। इसलिये कांग्रेस पार्टी ने जो यह काम किया है मैं समझता हूं कि मुल्क की सब पार्टियां इसे वेलकम (स्वागत) करेंगी।

जनाबवाला जहां तक इसके सिस्टम (कार्य-प्रणाली) का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक बहुत सी बातें आ चुकी हैं। यह सोचने के क़ाबिल बात है कि हमने गांव पंचायतों में अदालती पंचायतें क़ायम की है वह इलेक्टेड जुडिशियरी है। इलेक्टेड जुडिशियरी (निर्वाचित न्यायालिका) का जहां तक ताल्लुक है जब बिल बन रहा था उस वक्त भी यह चीज सोची गयी थी और सोच कर ही रखी गयी थी और वह कामयाब भी हुई। अब इस बात की जरूरत है कि हम गांव पंचायतों में इलेक्शन का सिस्टम (निर्वाचन की प्रणाली) रखें और अदालती पंचायतें इलेक्शन से अलग चीज हों।

जनाबवाला बजट को देखने से यह पता लगा कि सेक्रेटरियों की तनख्वाह के लिये गवर्नमेंट ने ५० लाख रुपया मंजूर किया है। ऐसी रक़में पहले भी कई मर्तबा गवर्नमेंट की तरफ से दी जा चुकी हैं। अगर इससे एक उसूली सवाल पैदा होता है और वह यह है कि अगर इसी तरह से उनको ग्रांटें दी जाती रहीं तो फिर पंचायतों में कोई इन्सेंटिव (प्रेरणा) इस बात का रहा नहीं होगा कि वे रुपया इकट्ठा करें और उससे अपना काम चलायें। मैं तो इस सिलसिले में माननीय मंत्री को एक और भी सुझाव उनकी इत्तिला के लिये देना चाहता हूं जिस पर मुझे उम्मीद है कि वह गौर करेंगे कि अब वक्त आ गया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पूरे स्ट्रक्चर (ढांचा) को जल्द से जल्द बदल देना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतों के जो ताल्लुक़ात हैं उसका हमें डिमार्केशन (सीमा विभाजन) करना है क्योंकि टैक्स लगाने का जहां तक सवाल है वही जुरिस्डिक्शन (क्षेत्राधिकार) पंचायतों का है और वही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है जिसकी वजह से बड़ी दिक्क़त पड़ती है। ज्यादा मुनासिब तो यह होगा कि गवर्नमेंट एक क़िस्म का कंसालिडेटेड टैक्स (संहत कर) मुक़र्रर करे जिसकी आमदनी का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट अपने पास रखे और कुछ हिस्सा लोकल बाडीज पर खर्च करे जिसमें पंचायतें भी शामिल हों क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो पंचायतों को या लोकल बाडीज को ज्यादा बदनाम करती है। इस मसले के मुताल्लिक बुनियादी बात यह होनी चाहिये कि पंचायतें बाकायदा चलती जायं। उनकी प्रोग्रेस (प्रगति) चाहे स्लो (मन्द) हो मगर स्टैडी (दृढ़) होनी चाहिये। हम उनको ऐसे अख्तियारात दें जिनसे वह रफ्ता रफ्ता काम को आगे बढ़ायें। हम इसको रिवाइज (पुनरीक्षण) कर सकते हैं, बढ़ा सकते है और घटा भी सकते हैं। ज्यादा मुनासिब तो यह होगा कि कंट्रोवर्शियल (विवादास्पद) चीजें पंचायतों को न दी जांय लेकिन सोचा यह जा रहा था कि पंचायतों को रैंट कलेक्शन (भूमिकर वसूली) का काम दे दिया जाय। गवर्नमेंट का बड़ा मुनासिब फैसला है कि पंचायतों को यह रैंट कलेक्शन का काम नहीं दिया गया। पंचायतों को वह काम देना मुनासिब है जो परसुयेशन (अनुनय) का हो, मसलन जहां तक कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स (खेतों की चकबन्दी) का ताल्लुक है वह इनको दिया जा सकता है और यह ऐसा काम है कि अगर इसमें पंचायतें हमारी मदद करें तो मैं समझता हूं कि जितना यह दुश्वार मालूम होता है उतना ही यह काम आसान हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदरणीय महोदय, माननीय सचिव ने बड़ी कृपा करके हम सब को सूचना दी कि अदालती पंचायतें बहुत ही कामयाब रही

हैं और उन्होंने भवन के सामने आंकड़े पेश किये कि इस साल ३ लाख १४ हजार ४२२ मुकद्दमे पंचायतों के सामने आये । अभी तमाम लोगों ने अपनी राय जाहिर की और माननीय मंत्री भी अगर ऐसी बात होती तो जरूर करते । आज सारे प्रांत में झगड़े और मुकद्दमें बढ़ रहे हैं । गांवों में केसेज (मुकद्दमे) बढ़ रहे हैं । लेकिन हम क्या देखते हैं कि पिछले साल से इस साल केसेज तीन लाख कम आये हैं । पिछले साल ४ लाख ६७ हजार ५४० केसेज आये थे और इस साल ३ लाख ५३ हजार ६५५ केसेज आये यानी इस साल केसेज पिछले साल की बनिस्बत कम आये । इसका मतलब यह हो सकता है कि मंत्री जी यह कहें कि पंचायती अदालतें अच्छा काम कर रही हैं इस लिये केसेज कम आये । लेकिन हम देखते कि रिपोर्ट यह है कि डेढ लाख केसेज कम आये । इसका मतलब तो यह यह बात न होती है कि जनता का पंचायतों पर से विश्वास हट गया मालूम होता है । अगर तो मंत्री महोदय जरूर अपनी स्पीच में दावा करते । इसके साथ साथ एक चीज इसमें और है और वह यह है कि पिछले साल केसेज ज्यादा थे तो अदालती पंचायतों ने जुर्माने में और फीस वगैरह में १२ लाख ९० हजार ९०० रुपया इकट्ठा किया और इस साल केसेज जब कि कम आये तो १७ लाख ६५ हजार ३०४ रुपया इकट्ठा किया । इसका मतलब यह है कि पंचायतों के काम करने के ढांचे में जरूर कुछ गड़बड़ी है क्योंकि जब केसेज कम आये तो आमदनी ज्यादा हुई और जब केसेज ज्यादा आये तो आमदनी कम हुई ।

इसके साथ साथ एक बात और थी कि पिछले साल पंचायती अदालतों ने ८,०८,३४४ रु० सभाओं को दिया । यह रुपया अपनी कोर्ट फीस वगैरह में से दिया । इस साल केवल ४ लाख रुपये का प्रावीजन (पबंध) ग्राम सभाओं के लिये रखा गया है । यह रक़म आधे से भी कम है । इसका मतलब क्या लगाया जाय ? इसके साथ साथ ५०,००,०००रु० बजट में तनख्वाहों के लिये रखा गया है । यह तो बड़ा अच्छा है । लेकिन पिछले साल जब कि इतने ही सेक्रेट्रीज थे तो ३९,६४,३४८ रुपया रखा गया था । इस साल क़रीब क़रीब ११ लाख रुपया ज्यादा है तो क्या उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गयी है या क्या बात है ? इसको मंत्री जी ने साफ नहीं किया । शायद यह हो सकता है कि चौकीदारों की तनख्वाह भी गवर्नमेंट ही दे । अगर पंचायत मन्त्रियों के वेतन में कोई इंक्रीमेंट (बढ़ोत्तरी) किया गया है तो गवर्नमेंट उसे बतलाये । ११ लाख रुपये जो हैं वे इंक्रीमेंट के हैं या किस के हैं। जो खामियां नजर आ रही हैं इस बारे में भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज्य आफिसर्स, की एक कान्फ्रेंस माननीय मुख्य मंत्री ने २८ अक्टूबर, सन् १९५० को लखनऊ में बुलाई थी। उसमें यह हिदायत उन्होंने दी थी कि "साथ ही साथ मैं यह भी समझता हूं कि सभी पंचायत अफसरों को दूसरे अफसरों की अपेक्षा गांव वालों की तरह अधिक से अधिक रहना चाहिये, क्योंकि अगर वे उनकी तरह, अपनी जिन्दगी ढाल लेंगे, और उनके साथ रह कर उनमें से एक होकर काम करेंगे तो गांव वाले यह समझेंगे कि पंचायत अफसर जो कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं सब कुछ हमारी ही भलाई के लिये है"। लेकिन मैं यह देखता हूं कि कहीं भी किसी जिले में माननीय मंत्री जी बतला दें पंचायत राज्य आफिसर्स इस प्रकार कार्यकर रहे हों। मैं समझता हूं शायद एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा। फिर माननीय मुख्य मंत्री ने कहा "आप जेक आफ आल (हर बात के ज्ञाता) बनें, ताकि कोई भी व्यक्ति आपके सामने से निराश होकर न जाय, उसे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, उसके कार्य में जो भी बाधा आती हो, उसको दूर करके उसके कार्य को सफल बना सकें"। गवर्नमेंट ने अपने एक जी० ओ० (सरकारी आदेश) के मातहत यह साफ कह दिया था कि

[श्री नरायणदत्त तिवारी]

जितने सब डिवीजनल आफिसर्स हैं उनको भी इन पंचायतों के संगठन मे सहयोग देना पड़ेगा, यह नहीं कि तिने के हेडक्वार्टर पर पड़े हुए हैं। मुख्य मंत्री को जो राय थी वह फंडामेंटल प्रिंसिपल आफ प्लानिंग (नियोजन के आधारभूत सिद्धान्तों) मे इस प्रकार लिखी है —

"I hink the Sub-Divisional Officers uncer him should also do this work as they have been doing other work. They should not think that this is a charge on separate individuals for what else is left for the Sub-Divisional Officers. Cases are now being tried by judicial officers, whether criminal or revenue, and the Sub-Divisional Officers have only to do executive work. What s the executive work except the work of redistribution ? The Sub-Divisional Officers have to take up this work and to see that no minute of their time is wasted in vain effort."

[मेरा विचार है कि उसके अधीन परगना अधिकारियों को भी यह कार्य उसी भांति करना चाहिए जैसे कि वे अन्य कार्य करते रहे हैं। उनको यह नहीं सोचना चाहिए कि उन पर यह प्रथक रूप से व्यक्तिगत भार है क्योंकि परगना अधिकारियों पर इसके अतिरिक्त क्या कार्य शेष रहता है। अब राजस्व सम्बन्धी अथवा दंड विषयक वाद न्याय पालक अधिकारियों द्वारा निर्णय किये जाते हैं और परगना अधिकारियों को केवल कार्य-पालक कार्य करने होते हैं। पुनर्वितरण के अतिरिक्त कार्य-पालक कार्य क्या है ? परगना अधिकारियों को यह कार्य ले लेना है और उनको यह ध्यान रखना है कि उनके आशय का कोई क्षण निष्फल प्रयत्न में व्यर्थ न जाए।]

मेरे कहने का मतलब यह है कि कहीं भी जहां जुडीशियरी (न्याय पालिका) और एक्जिक्यूटिव (कार्यपालिका) की पावर्स (शक्तियां) अलेहदा अलहदा कर दी गई हैं, माननीय मंत्री जी क्या बतला सकेंगे इस सदन को कि सब डिवीजनल आफिसर्स, यपंचायत राज्य आफिसर्स ने इन बातों को ध्यान में रख कर मिशनरी स्प्रिट (सेवा भाव) से काम किया हो, ग्राम पंचायतों को चलाया हो। जहां तक मेरी सूचना है मैं तो समझता हूं कि सारे प्रान्त मे ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—आप चैलेंज कर रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं। यह मेरी सूचना है। हो सकता है कि आपको कोई दूसरी सूचना हो। जहां तक मेरी सूचना है उसके बारे में माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि आज अदालती पंचायतों से जो विश्वास जनता का हट गया है वह कहां तक ठीक है। अगर ऐसी बात न होती तो वह शुरू में ही अपनी स्पीच में इसका स्पष्टीकरण कर देते। पिछले साल के मुकाबिले में बजट में यह जो इंक्रीमेंट हुआ है, चौकीदारों की तनख्वाह भी इसमें मिली हुई है या नहीं, यह भी वह बतलाने की कृपा करेंगे।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गांव पंचायत के ऊपर जो अनुदान चल रहा है उस पर मैं अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं। गांव पंचायतें जिस उद्देश्य से और जिस सिद्धान्त को लेकर बनाई गई थीं वह बहुत ही सुन्दर था। उससे गांव के लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिये एक अवसर मिला था। परन्तु बीच में चुनाव के आने से झगड़े के कारण अदालत पंचायतों की हालत खराब है। हर जिले में बहुत पार्टीबन्दी है। बहुत से लोगों ने पंचायती

अदालतों में एक ग्रूप बना लिया है जो दूसरे ग्रुप को सताने की कोशिश कर रहा है। आज वहां पर अमीरी और गरीबी के झगड़े को लेकर दुश्मनी निकाली जा रही है और बड़े अत्याचार किये जा रहे हैं और मारपीट तक कराई जाती है। यह सब चीजें आज वहां पर हो रही हैं। मैं आपके सामने दो एक नमूना रखना चाहता हूं और उसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। गोंडा ज़िले के अन्दर वजीरगंज के इलाके में अचलपुर और सेहरिया में जो वहां के पंच हैं वे अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिये गांव गांव में घूम कर अपनी पार्टी में लोगों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक जीता जागता चित्र रखना चाहता हूं। एक गरीब हरिजन है और उसका पंचायती अदालत में भी हाथ नहीं है, उसके पास एक जमींदार साहब आये और कहने लगे कि हमारे यहां हरवाही जोतो। उसने कहा कि हम आपके यहां नहीं जोतेंगे और मना कर दिया। उन जमींदार साहब ने मिट्टी को चोरी का एक झूठा इल्जाम लगा कर पंचायती अदालत में उसके ऊपर केस चलवाया। उस पंचायत में पांच आदमियों ने मिल कर काम किया, दो जमींदार साहब के पट्टीदार थे और तीन और आदमी थे, और उसका नतीजा यह हुआ कि उस बेचारे पर जुर्माना कर दिया गया और किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। इसी तरीके पर रानीखेत में भी हुआ है वहां पर एक गरीब हरिजन लड़के ने भुट्टा तोड़ा और उसके एवज में पंचायती अदालत ने मां और बाप पर जुर्माना कर दिया। ७५ रुपया बाप पर और ५० रुपया मां पर जुर्माना किया गया। इस तरह के जुर्माने पंचायती अदालतों के अन्दर किये जाते हैं। यह आपको पंचायती अदालतों के नमूने हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री का ध्यान इन गांवों के अन्दर ले जाना चाहता हूं।

आज गांवों के अन्दर हरिजन भाई निःसहाय हैं और उनके ऊपर बड़ी मुसीबत बीत रही है। गांव में उन लोगों का बहुमत है और हम लोगों को जो सीट वहां पर मिली है वह रिजर्वेशन (सुरक्षण) से मिली है। अब जमींदारी के खात्मे के बाद हम यह महसूस कर रहे हैं कि गरीब और अमीर के सवाल पर वहां पर चुनाव होगा और गांव सभा के अन्दर जो प्रधान है वह यह महसूस करता है कि वह दोबारा उसमें नहीं आयेगा। अभी हमारे बस्ती के भाई ने बतलाया कि क्या क्या वाक़ये वहां पर हो रहे हैं। एक जगह ऐसा हुआ है कि गांव पंचायत ने पंच लोगों को बुलाया और कहा कि कुछ कर लगना चाहिये। पंचों ने एक पैसा कर लगने की बात को तय कर दिया। बाद में पंचायत इन्स्पेक्टर का हुक्म आया कि नहीं एक आना कर होना चाहिये और वह फिर कर लगा दिया गया और कार्यवाही हो गई। न पंचायत बुलाई गई और न किसी पंच से राय ही ली गई। अपनी मर्जी के मुताबिक मंत्री और इन्स्पेक्टर ने इस कार्यवाही को कर दिया। यही नहीं आज जो टैक्स बैल-गाड़ियों के ऊपर लगाया जा रहा है वह भी बहुत ही अन्यायपूर्ण है। लोगों ने गाड़ियां अपने काम के लिये रखी हुई हैं। कोई किराये पर नहीं चलाता है और अगर कोई चलाता भी है तो वह बहुत कम किराये पर चलाते हैं। उनके ऊपर तीन रुपया टैक्स लगाया गया है। इस टैक्स का गांव वाले बहुत विरोध कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह इस पर ध्यान दें और इसको वापस कराने की कोशिश करें।

आज मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जमींदारी खत्म होने के बाद हरिजनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है और खासकर के पश्चिमी जिलों से वह बहुत शिकायत आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी पंचायत राज कानून में जो वह संशोधन करने जा रहे हैं उसमें वह इस चीज की गुंजायश भी रखेंगे कि जिन हरिजनों के पास या दूसरों के पास घर बनाने के लिये जमीन नहीं है उनको जमीन मिल सके और वह अपना घर वहां पर बना सकें। हर आदमी को एक

[श्री गंगा प्रसाद

छोटा सा घर बनाने के लिये ज़मीन मिलनी चाहिये और वह अवश्य दी जाय। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अब जमींदारी उन्मूलन के बाद सारा गांव समाज गांव सभाओं में विलीन हो गया है और जमीनों आदि का वितरण भी गांव समाज करेगा और गांव सभाओं के प्रेसीडेंट (प्रधान) को काफी अधिकार होगा। मेरी प्रार्थना है कि इन जमीनों के कुछ ऐसे हिस्से रखे जांय कि जिससे हरिजन भाई भी कुछ हिस्सा जमीन का पा सकें। साथ ही एक बात और कह देना चाहता हूं कि जब पंचायत राज ऐक्ट में संशोधन होने जा रहा है तो मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पंचायती अदालतों में हरिजनों का रिजर्वेशन जरूर रखा जाय जिससे उनके सदस्य वहां पहुंच कर अपनी आवाज और अपनी बात रख सकें।

श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जब गांव सभाओं और पंचायतों के बजट के ऊपर वाद-विवाद चल रहा है तो मुझे यह कहना ही पड़ता है कि एक नया अनुभव, एक नया तजुर्बा जो अपने प्रदेश में किया गया है उसमें क्या प्रगति हुई और उसमें क्या कमी रही इसको बताने के लिये काफी समय होना चाहिये। क्योंकि जब तक हम उसके ऊपर शुरू से आज तक जो कार्य हुआ है एक नजर नहीं डालते हैं तब तक हमें उसकी प्रगति या त्रुटियों का अन्दाजा नहीं हो सकता, लेकिन इस समय जितना भी थोड़ा बहुत समय है उसमें जो बहुत कुछ भी आपने सामने प्रस्तुत कर सकता हूं वह करता हूं।

बजट में देखने से मुझे खुशी हुई कि पंचायत मंत्रियों के वेतन के लिये सरकार ने ५० लाख रुपये का प्रतिवेदन किया है। यह एक बहुत बड़ी मांग थी और बहुत दिनों से थी और इसके लिये गांवों में नाराजगी थी। जो रुपया गांव सभाएं टैक्स से वसूल करती थीं उसका बहुत बड़ा हिस्सा पंचायत मंत्रियों के वेतन में दे दिया जाता था और उनके पास निर्माण कार्य आदि के लिये कुछ नहीं रह जाता था। इस नाराजगी को सरकार ने दूर किया है और इस साल सरकार ने ५० लाख का प्रतिवेदन मंत्रियों के लिये किया है। एक बात मैं और चाहता हूं कि अगर इसको नान-रिकरिंग (अनावर्तव) से हटा कर रिकरिंग ग्रांट (आवर्तक अनुदान) में ले आया जाय तो बहुत अच्छा होगा और इससे पंचायत मंत्रियों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। इससे ग्राम निवासियों की जो नाराजगी थी वह बहुत कुछ दूर हो जायगी लेकिन अभी उसका थोड़ा हिस्सा रह जाता है और वह यह है कि उनका कहना है कि हम पर जो टैक्स लगता है वह ले जाकर डिस्ट्रिक्ट पंचायत आफिसर के पर्सनल लेजर एकाउन्ट (खाते के व्यक्तिगत लेखे) में दे दिया जाता है और उस रुपये को पंचायत आफिसर बजाय सुरक्षित रखने के बिना पंचायतों की इजाजत लिये हुये मनमाने तरीके पर अन्य कार्यों में खर्च करते हैं जिनसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता। यह चीज भी ग्राम निवासियों की नाराजगी का बाइस है। मंत्री महोदय इस चीज को देखें कि जो रुपया जिस पंचायत के पर्सनल लेजर एकाउन्ट में हो उस पर किसी को अधिकार न होना चाहिये चाहे वह पंचायत आफिसर हो या पंचायत इंस्पेक्टर हो और बिना उस पंचायत की इजाजत के वह रुपया खर्च न होना चाहिये। पंचायतों के बारे में कहा जाता है कि वह टैक्स लगाती हैं। जिन मदों पर पंचायत टैक्स लगाती हैं वह तो लगानी ही हैं, बिना इसके तो काम ही नहीं चल सकता है, लेकिन जब हमारी पंचायतें निर्माण कार्य करके दिखलावेंगी और जब उससे ग्रामवासियों की भलाई होगी और उनका फायदा होता दिखाई देगा तो उनकी नाराजगी फिर कभी नहीं हो सकती है।

हम देखते हैं कि जो रुपया उन्होंने टैक्स से इकट्ठा किया उससे कोई भी फायदा पंचायतों को नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी अभी हमारे एक भाई ने यह भी कहा कि ५० लाख रुपया जो पंचायतों के मंत्रियों के वेतन का दिया गया है उसे देकर सरकार ने मंत्रियों पर अपना नियंत्रण कर लिया है। शायद मेरे उन भाई ने नियमों को नहीं देखा है। एक एक मंत्री के पास ४-४ और ५-५ पंचायतों का काम होता है। अगर वह चाहे कि मैं छुट्टी लूं तो एक या दो पंचायतों के पंच तो उसे छुट्टी दे देते हैं और बाकी के नहीं देते हैं तो ऐसी सूरत में यदि सरकार के नियंत्रण में हो तो क्या हो? या एक या दो पंचायत वाले तो उस मंत्री को चाहते हैं कि यह रहे और कुछ चाहते हैं कि यह ठीक नहीं है और निकाल दिया जाय, फिर कैसे इस बात का फैसला होगा? कोई प्रधान तो कहता है कि यह मंत्री अच्छा है कोई कहता है कि नहीं है। सरकार की मंशा मंत्रियों को अपने नियंत्रण में रखने की कभी नहीं थी लेकिन जब व्यावहारिक कठिनाइयां आ जाती हैं तो ऐसा करना ही होता है। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि सब-कमेटियां बनाई जावें तो मैं उनसे कहूंगा कि वे अधिनियम देखें। उसमें उसका प्रावीजन है। एक भाई ने कहा कि पंचायतों में नामीनेटेड एलीमेंट (नामनिर्देशित तत्व) होना चाहिये। यह तो एक हंसी की सी बात है। इससे जनता का सही प्रतिनिधित्व होना कठिन हो जायगा। बाज दफा गांवों में छोटी छोटी बातों को लेकर जबरदस्त पार्टीबन्दी हो जाती है। जैसे किसी ने किसी के लड़के को एक थप्पड़ मार दिया या किसी ने किसी के खेत से एक बाली ले ली। अदालत दूर होने से लोग ये सोचते थे कि वहां जाने पर हमें सैकड़ों रुपया वकीलों को देना होगा और बड़ी परेशानी होगी तो वे लोग इन छोटी छोटी बातों को दिलों में रख कर पार्टीबन्दी करते थे। लेकिन अब इन छोटी बातों का फैसला गांव में ही आसानी से हो जाता है और वह बात खत्म हो जाती है। इस तरह पार्टीबन्दी का स्वरूप हमारे सामने नहीं आता।

बहुत से साहब तो यह कहने के लिये तैयार हैं कि साहब, पंचायती अदालतों से जनता को बड़ा कष्ट हो रहा है। हां, कष्ट हो रहा है, मैं भी मानता हूं। लेकिन यह कुछ अनडिजायरेबिल (अवांछनीय) लोगों के पंचायतों में आ जाने से है। ये लोग डंडे के बल पर चुने गये हैं। लोग उनसे डरते थे। इसलिये उनको राय देनी पड़ी। ऐसी अवस्था में मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अगला चुनाव बेलट सिस्टम से कराव। इस तरह वे लोग छंट जावेंगे। समय बहुत कम है। मैं तो बहुत कुछ जो मैंने पिछले तीन सालों में देखा है, कहना चाहता था।

अध्यक्ष—अब विवाद सवा दो बजे जारी रहेगा।

उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति, राज्य म्यूजियम, लखनऊ, और आर्क्यालाजिकल म्यूजियम, मथुरा, की प्रबन्धकारिणी समितियों तथा भारतीय मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश, और सार्वजनिक लेखा समिति के लिये विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

अध्यक्ष—मैं कुछ सूचनायें माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं। ९ जुलाई को कुछ कमेटियों के सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्ताव इस सदन ने स्वीकार किये थे। वे कमेटियां ये हैं—उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति के ४ सदस्य, राज्य म्यूजियम, लखनऊ, की प्रबन्धकारिणी समिति का १ सदस्य, आर्क्यालाजिकल म्यूजियम, मथुरा, की प्रबन्धकारिणी समिति १ का सदस्य, का भारतीय मेडिसिन बोर्ड,

[अध्यक्ष]

उत्तर प्रदेश, के २ सदस्य, और सार्वजनिक लेखा समिति के २० सदस्य। उनके चुनाव के सम्बन्ध में मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं उसका प्रोग्राम तय करूं। अतः उसका प्रोग्राम तथा विधि निम्न प्रकार है :—

(१) नाम—निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि तथा समय—१६ जुलाई, १ बजे तक।

(२) नाम—निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा—१६ जुलाई, ४ बजे।

(३) नाम—वापिस लेने की तिथि और समय—१८ जुलाई, ३ बजे तक।

(४) यदि निर्वाचन आवश्यक हुआ तो—~~२१~~ जुलाई, ५ बजे शाम को असेम्बली का कार्य समाप्त होने के बाद होगा। क्योंकि उस दिन असेम्बली बैठ रही होगी।

सार्वजनिक लेखा समिति जिसके २० सदस्य हैं और जिसका चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट (एकल संक्रमणीय मत) के द्वारा होगा, उसके चुनाव का समय तथा स्थान ११ बजे से ३ बजे तक विधान वाचनालय होगा। इसके अतिरिक्त और सब कमेटियों के निर्वाचन का स्थान सभामंडप ही होगा

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—ग्राम सभाएं और पंचायतें (क्रमागत)

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इस सदन के इतने सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया। इससे जाहिर होता है कि इस मुहकमे को, ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के काम को, लोग काफी महत्व देते हैं और उसमें दिलचस्पी रखते हैं। इसके लिये मैं सदन के सदस्यों को बधाई देता हूं और मुझे यह आशा है कि यह कार्य तब कि सदन के सब सदस्य इतनी दिलचस्पी रखते हैं तो अवश्य सफल होगा। जो अब तक कट मोशन्स (कटौती प्रस्ताव) पेश हुये हैं उनको मैं चार मोटे मोटे विभागों में बांटता हूं। एक तो जनरल पंचायतों को आम वर्किंग। उसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। पंचायतों को किस तरह से दिक्कतें हैं, क्या क्या हैं, उसको थोड़ी सी मिसाल दूंगा। लेकिन आमतौर से पंचायतों की स्थापना की सराहना, इस विभाग की जरूरत महसूस करना और उसके काम की तारीफ करना, यह लगभग सभी सदस्यों ने, एकाध को छोड़ कर, की है। यहां पर ऐसा नहीं मालूम होता है कि कोई विशेष मतभेद है हमारे और इस सदन के सदस्यों के बीच में। कोई यह नहीं चाहता कि पंचायतें खत्म हों या पंचायतों का काम बन्द कर दिया जाय। इसलिये उसके लिये तो मैं सब को बधाई देता हूं।

जहां तक दूसरी तरह के कटौती के प्रस्ताव हैं वे ये हैं कि इस पंचायत ऐक्ट में काफी त्रुटियाँ हैं और वे उसमें संशोधन पेश करते हैं। एक बड़ा सवाल जो हमारे सामने पेश हुआ है और जो इस समय गवर्नमेंट के सामने है वह यह है कि पंचायतों अदालतें चुनी हुई हों या न हों। इस पर विचार हो रहा है। दूसरा बड़ा सवाल जो इस समय सरकार के सामने है वह यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् की क्या हैसियत हो और उनके क्या फंक्शन्स और ड्यूटीज हों किस तरह से उनके काम चलाये जांय। कितना पावर डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को दे दिया जाय। किस हद तक अपने जिले का काम उनके सुपुर्द हो। यह एक सवाल इस समय हमारी सरकार के

सामने है और इस वक्त ६ मिनिस्टर्स की एक कैबिनेट कमेटी भी इस पर गौर कर रही है। उसका नतीजा जल्दी ही निकलेगा, ऐसी मुझे आशा है। और उपाध्यक्ष जी, आपके द्वारा मैं इस सदन के सदस्यों को यह आशा दिलाता हूं कि यह मसला जल्दी ही तय हो जायगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की क्या शक्ल हो, उनके क्या अधिकार हों और पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का क्या संबंध हो। उसी वक्त यह भी तय हो जायगा कि पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को टैक्सेज लगाने के किस तरह से ऐसे सुझाव दिये जाँय जिससे झगड़े न हों और डबल टैक्सेशन (दुगुना करारोपण) न हो। तो यह सब प्रश्न इस वक्त गवर्नमेंट के विचाराधीन हैं और मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही यह फैसला होगा और उसी समय यह भी सवाल तय होगा कि पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डस का क्या हो, इस मसले को पहले ही तय किया जाय। जब पंचायत ऐक्ट में अमेंडिङ्ग बिल आयेगा, वह भी उसी वक्त साफ तौर पर हरएक की समझ में आ सकेगा जब कि यह मसला पहले ही तय हो जाय कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस की क्या शक्ल होगी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतों की क्या शक्ल होगी। तो ये दो तीन मसले हैं, एक यह कि पंचायती अदालतें चुनी हुई हों या नामजद हों। लेकिन जब यह प्रश्न हमारे सामने है तो जो सुझाव रखे गये हैं उन पर गौर किया जायगा। जब अमेंडिङ्ग बिल पंचायत ऐक्ट का इस सदन के सामने होगा उस वक्त सदस्यों को भी मौका मिलेगा और उससे पहले हम भी ऐसी कोशिश करेंगे कि जितने सुझाव रखे गये हैं उन पर गौर करके ही अमेंडिंग बिल लाया जाय। इसलिये इस वक्त मैं उन तमाम सुझावों पर अपनी राय नहीं देना चाहता हूं कि उन सुझावों के बारे में मेरी क्या राय है।

पंचायतों ने क्या-क्या किया, किस-किस तरह से काम किया, इसके संबंध में मैं शुरू में कह चुका हूं। अब जो सबसे बड़ी नुक्ताचीनी हुई है वह यह है कि पंचायतों के लिये इतना रुपया सिर्फ नौकरों के लिये खर्च कर दिया गया है लेकिन पंचायतों को कोई रक़म काम करने के लिये नहीं दी गयी है। मैं उपाध्यक्ष जी आपकी मार्फत उन सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वह बजट को जरा और गौर से पढ़ने की कोशिश करें और उसको जरा समझने की कोशिश करें कि किस तरह से यह काम हो रहा है और उसको समझने के बाद नुक्ताचीनी करें। इस वक्त जो बजट हमारे सामने है वह सिर्फ पंचायतों के ढांचे के बारे में है। यह मशीनरी किस तरह से होगी इसमें हेडक्वार्टर्स का डाइरेक्टोरेट क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट के जो सुपरवाईजिंग अथारिटीज (निरीक्षण प्राधिकारी) हैं उनका क्या होगा, गांव के जो सेक्रेटरीज हैं उन पर कितना खर्च होगा यह सब है लेकिन जहां तक कंस्ट्रक्टिव कामों का संबंध है अभी मेरे मित्र विरोधी दल के उपनेता ने कहा कि केवल १० करोड़ रुपया दिलवा दो तो काम चल जायगा। मैंने उनसे यही कहा कि एक १० करोड़ क्या, कई १० करोड़ रुपये की जरूरत है और कई १० करोड़ इस बजट में हैं और वह इस तरह से कि अगर उन तमाम कंस्ट्रक्टिव (रचनात्मक) कामों को ले जो इस वक्त बजट में रखे गये हैं और जिनमें से जितना काम पंचायतों द्वारा हो सकेगा कराने की कोशिश की जायगी तो मैं कहता हूं कि यह कई १० करोड़ हो जाते हैं। इरीगेशन, पावर, रोड्स, हेल्थ (सिंचाई, विद्युत सड़क, स्वास्थ्य) वगैरह जितने बजट हैं वह सब कंस्ट्रक्टिव कामों के लिये हैं। हमने तो कोशिश की है कि जितनी चीजें हैं, जितना काम हम लोग कर सकते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा रुपया कंस्ट्रक्टिव कामों के लिये रखा जाय और इसीलिये यह डैफीसिट (घाटे का) बजट है। इसमें कई १० करोड़ हैं जो इस पर खर्च होंगे। तमाम काम जो सरकार को करने हैं उन में से जितना पंचायतों द्वारा करा सकते हैं वह एक मैशीनरी है उसके द्वारा काम लिया जायगा, बाकी सरकार जितना कर सकती है वह खुद करेगी। जितना पंचायतें अपने धन से कर सकेंगी उसके लिये उनको प्रेरणा दी जायेगी और जितना रुपया उन्हें एकट्ठा करना होगा वह रुपया भी उन्ह दिलवाया जायगा। यह काम करने का तरीका है और इसमें काफ़ी रकमें हैं जो कंस्ट्रक्टिव कामों के लिये रखी गई हैं।

[श्री मोहनलाल गौतम]

एक भाई ने कहा कि इसमें सिर्फ ४ लाख रुपये पंचायतों के लिये हैं। वह रुपया कंस्ट्रक्टिव कामों का खयाल करके नहीं रखा गया बल्कि जो पंचायती अदालतों के जुर्माने वगैरह से रुपया वसूल होगा उसमें यह रुपया रखा गया है ताकि इस बजट में से जो जरूरत पड़े वह रुपया खर्च कर सकते हैं पंचायती अदालतों को चलाने के लिये, सम्मन जारी करने के लिये या और किसी काम के लिये। कंस्ट्रक्टिव कामों के लिये कोई रुपया ईयरमार्क [निर्दिष्ट] करके नहीं रखा गया, हां अगर इसमें से रुपया बच जाय तो उसमें जरूर लगाया जायगा। इसलिये जो भाई कंस्ट्रक्टिव कामों के लिये रकम देखना चाहते हैं वह बजट में और कहीं मिल जायगी, यहां नहीं है।

राम नारायण जी ने जो सबसे पहले तकरीर की थी उसमें दो तीन लफ्ज उन्होंने कहे कि यह तो पूंजीवादी सरकार है। तो दूसरी सरकार क्या होगी मैं नहीं कह सकता और यह अपनी अक्ल को तो बन्द करना ही है बल्कि दूसरों की आंखों में धूल भी झोंकनी है। अगर आप यह कहें कि पूंजीवादी सरकार है तो जिस तरह से इस सरकार का काम चल रहा है, जिस तरह से कोशिश की जा रही है उसमें इस सरकार को तो लोग पूंजीवादी नहीं मानते, अपितु किसान इसको अपनी सरकार मानते हैं। उन्होंने एलेक्शन में जाहिर कर दिया कि वह इसको अपनी सरकार समझते हैं। इसीलिये उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दिया। यह जो जनता की सरकार है, बालिग मताधिकार पर बनी है, किसी तरह से पूंजीपति के वोट पर नहीं बनी हुई है। जो लोग यह समझते हैं कि हम उसे कायम करके दिखा सकते हैं वह भ्रम में हैं। वह चाहे जितने बड़े-बड़े अल्फाज कहें। लेकिन मैं यह समझता हूं कि जनता पिछले चार पांच सालों में मुल्क की तमाम बातें समझ नहीं पायी है। इसलिये जो उन की पहले शक्ति थी वह आज नहीं रही उससे वह एक सबक लें और उससे सबक लेकर अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करें। पूंजीवादी कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपनी नीति को फिर समझने की जरूरत होगी और उसको पूरे तौर से बढ़ाने की जरूरत होगी। कहा गया कि नौकरशाही कायम की जा रही है। जब यहां दूसरों की हकूमत थी, जो इंग्लैंड से गाइड (पथ-प्रदर्शित) होती थी उस वक्त हर एक सरकारी मुलाजिम यह समझते थे वह सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया के प्रति जिम्मेदार है, वोटर के प्रति वह जिम्मेदार नहीं है। आज बड़े से बड़ा अफसर यह नहीं कह सकता कि वह उसका मातहत नहीं है जिसको जनता ने चुना है। चाहे वह बड़ा से बड़ा आदमी हो, अधिकारी हो, मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, जब तक जनता चाहती है तभी तक रह सकता है। इसको नौकरशाही कहना मेरी समझ में नहीं आता।

एक साहब ने कहा कि इस विधान में तो अधिकार है कि राष्ट्रपति जब चाहे सारी शक्तियों को केन्द्रित कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा डेमोक्रैटिक कांस्टीट्यूशन (लोकतंत्रात्मक संविधान) दुनिया में किसी दूसरे देश में अगर हो तो वह बतायें। कहीं नहीं है। पहले कुछ दिक्कत आती है। टेम्पोरेरी फेज (अस्थायी प्रावस्था) में दिक्कतें आती हैं मार्क्सिस्ट्स भी कहते हैं कि ट्रांजीशन (संक्रान्ति) में गवर्नमेंट आफ दि प्रालिटेरियट (सर्वहारा) होनी चाहिये। ट्रांजीशन पीरियड (संक्रमणकाल) में फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेसी (पूर्णतया विकसित लोकतंत्र) काम नहीं करती। इससे कुछ परेशानी होगी। इससे दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन किसी तरह से नहीं कहा जा सकता कि डेमोक्रेसी फेल हो रही है। किसी का हक मारा जाता है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले उसके मानी समझ लेने चाहिये।

एक साहब ने कहा—शायद जयपाल सिंह जी ने कहा था। मेरे कानों में ठीक आवाज तो आयी नहीं और कभी कभी सुनने में भी गलती हो जाती है। जयपाल सिंह जी ने शायद यह कहा था कि जो फीगर्स (आंकड़े) हैं उनपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कोई सवाल पैदा नहीं होता।

राजा वीरेन्द्र शाह जी ने कहा कि यह रिपोर्ट हमको परसों मिली थी। छोटी सी रिपोर्ट है मेरे खयाल में घंटे डेढ़ घंटे पढ़ने की रिपोर्ट थी। अगर उनको पहले मिल गयी होती तो शायद

राजा साहब उसे घर भूल आते, इसलिये परसों ही मिल गयी ताकि वह पढ़कर अपनी राय कायम कर सकें।

राजा वीरेन्द्र शाह—मंत्री जी का खयाल है।

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, खयाल गलत भी हो सकता है।

तो इस तरह से जो सजेशंस (सुझाव) हैं मैं भवन को विश्वास दिलाता हूं कि उन पर अच्छी तरह से गौर करेंगे। जो अकेले अकेले कहीं दिक्कतें हैं वह हैं और उनको दूर करने की कोशिश की जायगी। जो विधान में संशोधन की जरूरत है वह वक्त पर किये जायंगे।

इन शब्दों के साथ मैं फिर सदन के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने इस तमाम मुहकमे में दिलचस्पी दिखाई है वह आगे भी दिखाते रहेंगे ताकि यह काम आगे बढ़ सके और जिस जगह हम पहुंचना चाहते हैं वहां यह प्रदेश शीघ्र पहुंच सके।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह खुशी हुई कि हमारे स्वायत्तशासन मंत्री ने अपनी गलतियां स्वीकार की हैं। मैंने तो यह चार्ज लगाया था कि यह सरकार नौकरशाही की परम्परा करती जा रही है वह तो खुद उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुझे बताया कि एक १० करोड़ नहीं, कई १० करोड़ सरकार दे रही है। लेकिन गांव पंचायतों के हुक्म से कितना पैसा खर्च हो रहा है यह मैं स्वशासन मंत्री से पूछना चाहता हूं? मैं यह नहीं कहता कि सरकार जनहित योजनाओं में खर्च नहीं कर रही है, लेकिन मशीनरी क्या है और उसमें सब से ऊंचा अफसर कौन है, यह देखने की चीज है। डेवलपमेंट (विकास) की स्कीम ले लीजिये ऐग्रिकल्चर (कृषि) की ले लीजिये, मार्केटिंग की ले लीजिये, सब में एक प्रकार का सरकारी नौकरों का तांता ही है और वह सब नौकरशाही की मशीनरी से संचालित हैं। गांव पंचायतों की कोई बात नहीं पूछी जाती। अगर यह सारी रकम जो आप दूसरे तरीके से सरकारी मशीनरी को दे रहे हैं, गांव पंचों को दें और सरकारी नौकर जाकर उनसे हुक्म लें तो एक महान वैज्ञानिक शक्ति वहां पैदा होती, मगर उसको कुंठित किया गया है।

मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि जहां तक इस पूंजीवादी सरकार का सवाल है यह सरकार खुद जानती है कि ५ वर्ष के अपने कार्यों के नमूने के बाद यह सरकार ४४ फीसदी वोटों से यहां आई। कांग्रेस की नजर पेप्सू, ट्रावंकोर-कोचीन, मद्रास वगैरह की ओर नहीं जाती जिससे मालूम हो सके कि ५ साल के अन्दर अपने देश में वह इतनी अनपापुलर (अप्रिय) हो गई है कि कई-कई सूबों में तख्ता उलट गया है। इससे आपको सबक सीखना चाहिये।

हम लोगों के तो इरादे बिल्कुल साफ हैं। मुझे आश्चर्य है कि और बातों का जवाब तो स्वशासन मंत्री ने दिया, पर नारायण दत्त जी की बात का जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा। मैंने तो यह कहा था कि ४ लाख रुपया ग्राम पंचायत को दिया है। नारायण दत्त जी ने कहा कि जुरमाने से १२ लाख रुपया वसूल हुआ, उसमें से भी ८ लाख रुपये हड़प लिये गये। यह है ग्राम पंचायतों को सफल बनाने और महात्मा गांधी के विकेन्द्रीयकरण को लाने का नमूना।

माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि हमने एक ६ आदमियों की कैबिनेट कमेटी बैठा रखी है। मैं समझता हूं कि वह कमेटी ठीक काम नहीं कर सकेगी। अगर आपको सचमुच ही ग्राम पंचायत राज में सुधार करना है, वैसा नहीं जैसा कि कई बार त्रुटियों का नमूना पेश करके दे चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि संयुक्त दल से, कैबिनेट की तरफ से और हमारे दल से लोगों को लेकर कमेटी बनायें। तभी कुछ सुधार की आशा हो सकती है। यह कोई तरीका नहीं है कि आप ऐसी त्रुटिपूर्ण योजनायें लावें और हाउस में गिलोटिन के जरिये से पास करा लें और हम कुछ नहीं कह सकें। फिर भी आपको डिमोक्रेसी (लोकतंत्र) का दावा है। सरकारी दल के सदस्यों ने कहा कि ग्राम पंचायतों की संख्या बहुत ज्यादा है। सरकारी दल चाहता है कि यह १० लाख आदमियों की जन सेना कहीं तैयार न हो जाय, इसलिये वे चाहते हैं कि थोड़े से आदमियों की संख्या हो जो आसानी से हमारी पुलिस के जरिये से और और जरियों से कंट्रोल

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

में नाई जा सके मैं इसका विरोध करता हूं। गांव पंचों की जितनी संख्या है अगर वह ज्यादा नहीं हो सकती तो कम भी नहीं होनी चाहिये।

हमारे स्वशासन मंत्री ने पंचायत राज विभाग का बड़ा गुणगान किया। मैं यह नहीं कहता कि पंचायत राज विभाग ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन मैं माननीय मंत्री को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर वह १० लाख कार्यकर्त्ताओं की फौज से, ग्राम पंचायतों के पंचों की फौज से, काम लेते तो जहां दो मील लम्बी सड़क बनी है वहां ५० हजार मील लम्बी सड़क तैयार हो जाती। दूसरे मुल्कों की तरह से अन्न की समस्या हल कर लेते और चीन के सामने आप को शरमिन्दा नहीं होना पड़ता कि उसने इतने अल्पकाल में अपनी समस्या हल कर ली है। सरकार को यह मेरा सुझाव है।

नौकरशाही कहने के माने यह नहीं हैं कि नौकरों की तादाद ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब यह था कि उनकी जो मनोवृत्ति अंग्रेजों के जमाने में चल रही थी वही अब भी चल रही है। इसीलिये मैंने "नौकरशाही" शब्द का प्रयोग किया था।

पूंजीवाद के बारे में तो बात स्पष्ट है कि सन् १९४६ में आपने इस सदन में यह प्रस्ताव पास किया था कि जमींदारी के साथ साथ पूंजीवाद भी खत्म करेंगे और इसका बहुत प्रचार किया गया था, लेकिन विधान में यह कहा गया कि हम मुआविजा देंगे। दस गुना तो आप किसानों से वसूल नहीं कर सके, तो इन बड़े-बड़े पूंजीपतियों को मुआविजा देने के लिये धन क्या आप मजदूरों से वसूल करेंगे या क्या करेंगे? आप को अपने विधान को बदलना चाहिये।

मुझे इस बात की खुशी हुई कि माननीय मंत्री ने मेरे सुझावों का स्वागत किया। मैं यह चाहता हूं कि बड़े बड़े आफिसर जब गांवों में जांय तो ग्राम पंचों से यह कहें कि आप लोग ही सब कुछ हैं आपकी क्या राय है। आज यह हालत है कि जब इंसपेक्टर या सेक्रेटरी वहां जाते हैं तो उनके सामने पंच इस तरह से खड़े रहते हैं जैसे कोई जुर्म करने वाला हो। उनके सामने जाने में वे बेचारे बहुत घबड़ाते हैं और उनपर डांट भी पड़ती है। ऐसी ऐसी घटनायें भी हुयी हैं जिनमें पंचों को थप्पड़ मार दिया गया है। तिस पर भी हमारी सरकार को प्रजातंत्रवादी होने का बहुत फ़ख्र है। सिकन्दरराव म्युनिसिपैलिटी, अलीगढ़ में वहां के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश होने वाला था, लेकिन वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने और सरकारी अधिकारियों ने तीन मेम्बरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस सम्बन्ध में वहां से तार आया है और हमारे माननीय नेता के पास भी टेलीफोन के द्वारा वहां से सूचना आयी है। वहां के श्री नेकराम शर्मा, जो कांग्रेसी दल के हैं, उनके नाम भी तार आया है।

श्री मोहनलाल गौतम--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। क्या माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि कोई नया ऐसा मजमून इस वक्त इंट्रोड्यूस कर सकें जिसका जवाब देने में दिक्कत हो?

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि केवल सूचना के तौर पर यह कह रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मेरा काम हो गया। इन शब्दों के साथ मैं माननीय स्वशासन मंत्री से, जो मुझ से ज्यादा समाजवादी अपने को समझते हैं, यह अपील करूंगा कि वे हमारे सुझावों पर अमल करें और सही मानों में चौखम्भा राज्य कायम करके एक सच्चे और आदर्श स्वशासन मंत्री बनें।

उपाध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--जी नहीं।

अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि (कृषि सम्बन्धी विकास और खोज)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन एक सौ रुपये की कमी कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—)

पक्ष में—१८

विपक्ष में—१६१

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—गांव सभाएं और पंचायतें (लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत ८७,०२,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि (कृषि सम्बन्धी विकास और खोज)

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि (कृषि सम्बन्धी विकास और खोज) के अन्तर्गत १,६७,१६,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मनुष्य की सब से पहली जरूरत भोजन होती है और भोजन के तीन बड़े बड़े अंग होते हैं, अन्न, फल और दूध। फल और दूध मिल जाय तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन ये मिलें या न मिलें मगर मनुष्य के शरीर का व्यापार चलाने के लिए अन्न बहुत जरूरी है। लिहाजा अन्न जितनी भी मनुष्य को आवश्यकता है उनमें सब से पहला स्थान रखता है। इस अन्न की पैदावार के लिए केवल एक ज़रिया भूमि और दूसरा कोई स्रोत या जरिया नहीं है। अब हमारे देश में जैसा कि सबको विदित है अन्न की पैदावार जरूरत को पूरा नहीं कर पाती बल्कि जरूरत से बहुत कम है और इसकी पैदावार बढ़ाना हर गवर्नमेंट का सबसे पहला कर्तव्य कम से कम आज कल के ज़माने में है।

इसकी पैदावार बढ़ाने के दो ही मोटे से जराये हो सकते हैं, एक तो यह कि जहां खेती नहीं होती है वहां खेती की जाय और दूसरे जहां खेती होती है उसमें फी बीघा पैदावार जितनी आज होती है उससे ज्यादा की जाय। अतः एक्सटेंसिव कल्टीवेशन (विस्तृत कृषि) और इंटेंसिव कल्टीवेशन (गहन कृषि) दोनों की जरूरत है। जहां तक नई भूमि तोड़ कर पैदावार बढ़ाने का सवाल है उसको तो गवर्नमेंट कर ही रही है। इसके लिये कल मांग पेश की गई थी और भवन ने उसको स्वीकार भी किया है। अतः इस सिलसिले में तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

आजकल इंटेंसिव कल्टीवेशन जितनी भी हो रही है उसमें जितने भी उपाय बर्ते जा सकते हैं पैदावार को बढ़ाने के लिये, वह सब के सब बर्ते जाँय। इसके लिये गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या साधन इस्तेमाल कर रही है उसका मैं थोड़ा सा वर्णन करूंगा और इसके लिये जितने रुपये की मांग है वह मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। पेश्तर इसके कि मैं इसका थोड़ा सा वर्णन सदन के सामने करूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश की खाद्य समस्या बड़ी जटिल है। नई जमीन तोड़ी जाय और तोड़ी जानी चाहिये और तोड़ी जा रही है, लेकिन इससे मसला हल होने वाला नहीं है। हमारे देश की खाद्य समस्या इंटेंसिव कल्टीवेशन से ही अर्थात् जितनी खेती है उसकी पैदावार को बढ़ाने में ही हल हो सकती है। हमारे देश की फी एकड़ पैदावार दूसरे देशों से कहीं कम है। अतः इसको बढ़ाने की बहुत गुंजायश है।

[श्री चरण सिंह]

पैदावार बढ़ाने के तीन चार जराये हैं । पहला आबपाशी और सिंचाई का सवाल है, दूसरे अच्छा बीज हो, तीसरी चीज है कि खेतों को अच्छी खाद मिले। यदि खेतों को खाद नहीं मिलेगी तो जमीन की कुव्वत कम होती जायगी और पैदावार घटती चली जायगी। इसके बाद इस बात की भी जरूरत है कि जो जमीन निकम्मी होती जाती है अर्थात् जो जमीन बेकार होती जाती है उसको रोकने की जरूरत है अर्थात् भूमि की रक्षा करना है। इसी सिलसिले मे फसल के रोग हैं उनको रोकना है। जैसे चावल, ईख और गेहूं की फसल में जो रोग लग जाते हैं उनका इलाज करना है, अर्थात् इन रोगों को मिटाने की तरकीब होनी चाहिये।

आज की मांग के अन्दर कृषि शिक्षा, कृषि अन्वेषण, डिमांसट्रेशन (प्रदर्शन) और पब्लिसिटी (प्रकाशन) जिसे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कहते हैं, ये सब चीजें इसमे आती हैं। आज अमरीका वगैरह ने खेती में बहुत ज्यादा तरक्की की है। इसलिये इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किसानों के फायदे की चीजे उन तक उनकी भाषा में पहुंचाई जांय। यह बहुत बड़ा मसला है। कोई मामूली चीज नहीं है। इसकी सफलता के ऊपर ही हमारी कृषि की सफलता निर्भर है। एजूकेशन, रिसर्च (गवेषणा), डिमांसट्रेशन और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन वगैरा सब मदें इसके अन्दर आती हैं। फिर केन डेवलप्मेंट (गन्ना विकास) का विभाग है। वह भी इसी मांग में शामिल है । इसके अलावा हार्टीकल्चर सेक्शन [उद्यानीकरण विभाग] है जिसका मंशा है अच्छे फल और अच्छी तरकारियां पैदा करना। किसानों को जितनी इमदाद की जरूरत हो जमीन तोड़ने के लिये, में अपने यहां से नाला निकलवा कर पानी निकालने के लिये या जंगल काटने के लिये, ये सब सुविधायें दी जांय ताकि खेती की पैदावार बढ़ सके। ये सब बातें इसी मद के अन्दर आती हैं। मैं इन सबके लिये अपने सदन से दरख्वास्त की है कि १,६७,१६,७०० रु० मंजूर किये जांय।

पेश्तर इसके कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, महकमा कृषि की विशेषता की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मुहकमे का नाम है कृषि विभाग, या दूसरे अल्फाज में कहा जा सकता है कि फूड प्रोडक्शन (खाद्य उत्पादन) विभाग। मतलब यह है कि लोग ऐसा समझते हैं कि खेती के विभाग की जिम्मेदारी है कि सूबे या देश में अन्न बढ़े। एक प्रकार से यह जिम्मेदारी समझना ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि जितनी पैदावार होती है वह सब किसानों के पास है। गवर्नमेंट के पास कोई जमीन नहीं है जिसमें वह खेती कर सके । थोड़े बहुत फार्म्स को छोड़ दीजिये। जिसमे ज्यादातर पैदावार होती है वह सब जमीन है कल्टीवेटर (कृषकों) के पास । दूसरे मुहकमे में गवर्नमेंट के अधिकार ज्यादा होते हैं लेकिन कृषि विभाग के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। कृषि विभाग का काम केवल लोगों को शिक्षा देना है। लोगों को यह बतला दे कि किस तरह से अच्छा बीज पैदा हो सकता है, किस तरह से किसान पैदावार बढ़ा सकता है। इस तरह कृषि विभाग का काम ज्यादातर मशविरा देने का है लेकिन यह नहीं है कि सूबे में जो ४ करोड़ ५० लाख एकड़ भूमि जेरे काश्त है वह उसके कब्जे में हो, या जो उसके हल या ट्रैक्टर के नीचे चल रही हो। वह सारी जमीन किसानों के हाथ में है। तो कृषि विभाग केवल परामर्श दे सकता है लेकिन जब तक जनता, किसान, किसानों के सेवक और जनसेवक सब मिल कर किसान के अन्दर यह प्रेरणा पैदा नहीं करते कि हमें देश की पैदावार बढ़ानी है तो गवर्नमेंट की सब कोशिशें, सब नहीं तो बहुत कोशिशें, जायगां जा सकती हैं।

अब नम्बर आता है बीज का। बीज अच्छा हो और गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का इन्तजाम न हो, केवल अच्छा बीज हमारे किसानों को मिल जाय, तो

विशेषज्ञों का अनुमान है कि केवल अच्छे बीज से साढ़े. १२ फी सदी पैदावार बढ़ जायगी। कुछ बीज ऐसे हैं जिनसे २० से २५ फीसदी, कुछ ऐसे हैं जिनसे १० से १५ फीसदी, लेकिन ओवरआल (कुल) साढ़े १२ फीसदी प्रोडक्शन (उत्पादन) बढ़ जायगा। परन्तु सुधरे हुए बीज हर किसान को मिल जांय, या किसान सुधरे हुए बीज की कद्र करना जानता हो या उसे ठीक से रख सके, यह एक बड़ा भारी मसला है। गवर्नमेंट की तरफ से २३६ बेसिक सीड स्टोर काम कर रहे हैं। बेसिक सीड स्टोर्स का मतलब यह है कि एक तहसील के पीछे औसतन एक सीड स्टोर आता है जहां कि बीज रक्खे जाते हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि सन् १९५५ तक ८ हजार मन बीज ए क्लास हमारे सब गोदामों में हो जाय। अगर ऐसा हो जाय तो अट्ठारह, उन्निस लाख मन बीज हमारे गोदामों में हो जायगा। १९४८–४९ से इसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें बराबर प्रगति होती जाती है, मसलन १९४९–५० में ४ लाख ४२ हजार मन सीड हमारे गोदामों में था, सन् १९५०–५१ में ५ लाख २८ हजार मन इन गोदामों के जरिये तकसीम किया गया। १९५१–५२ में ५ लाख २० हजार २२९ मन तकसीम किया गया। १९५१–५२ में ८ हजार की कमी इस वजह से हुई कि इस साल अनावृष्टि से सूखा पड़ा। सारे सूबे के किसानों पर असर पड़ने के साथ ही गवर्नमेंट के जो फार्म्स थे, जहां यह बीज पैदा होता है, वहां भी असर पड़ा। इस वजह से यह ८ हजार मन की कमी हुई। जो भी यह नुक़सान हुआ या कमी हुई इसको देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि यह ८ हजार मन की कोई खास कमी है। जहां तक बीज के ए क्लास होने का ताल्लुक है उसमें हम बराबर तरक्की करते जा रहे हैं। ८० से ९५ फीसदी जिसमें अच्छा बीज रहता है उसको हम ए क्लास का बीज कहते हैं और इससे नीचे का दूसरे नम्बर का होता है। पहले हमारे यहां इसका प्रतिशत ३३ का था यानी १९४८–४९ में यह ३३ प्रतिशत था, १९४९–५० में यह ५६ प्रतिशत हुआ, १९५०–५१ में ६८ प्रतिशत हुआ और १९५१–५२ में यह ८० फीसदी हो गया है। तो बीज की मिकदार और उसकी क्वालिटी (किस्म) के बारे में धीरे-धीरे हमारा सूबा तरक्की करता जा रहा है।

यह कहना तो बहुत आसान है कि यह काम कुछ नहीं है। सूबे के परिमाण को देखते हुए और ज्यादा सीड स्टोर्स की आवश्यकता है लेकिन जैसा मैंने बतलाया हमारे सामने कुछ कठिनाइयां आईं और उनकी वजह से बहुत तेजी से बढ़ना मुश्किल है। एक तो कठिनाई यह है कि हमारे यहां इमारतों की कमी है। बहुत सी जगह पर गल्ला रखने की जगह नहीं है। इमारत हम काफी तादाद में बनवा नहीं सकते क्योंकि सूबे की माली हालत ऐसी है, हमारा कोष ऐसा है कि वह हमको इस बात की इजाजत नहीं देता कि हर जगह पर अपनी इमारत रख सकें और जितनी इमारतें हैं और जिस किस्म की जरूरत है उस तरह की इमारतें मिल नहीं पाती है। दूसरी बात यह है कि अभी तक कंट्रोल (नियंत्रण) था। कंट्रोल का नतीजा यह था कि अच्छा बीज खुले बाजार में ज्यादा कीमत का मिलता था और गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ गवर्नमेंट रेट (दर) पर खरीदने की इजाजत थी यानी साढ़े बारह प्रतिशत ज्यादा पर लेने की इजाजत थी। इसी मजबूरी की वजह से ज्यादा दाम नहीं दिया जा सकता था और सरकार उस बीज को सवाई पर किसानों को देती थी। किसान लोग अपने बीज को साढ़े बारह प्रतिशत ज्यादा पर देने में नुकसान समझते थे और वह बेचते नहीं थे। सरकारी रेट जो थे उसकी वजह से मुश्किल थी। अब मैं यह समझता हूं कि कंट्रोल के हटने के बाद वह मुश्किल अब इस साल गवर्नमेंट के सामने नहीं रह जायगी। लिहाजा इधर दो तीन साल से हमारे यहां फसल भी अच्छी नहीं हुई है और इतना इन्तजाम नहीं हुआ है। यह कठिनाई थी जो कि मैंने अभी आपके सामने रखी। मैं और ज्यादा डिटेल (विस्तार) में जाना नहीं चाहता लेकिन यह विचार है कि जो अच्छे किसान हैं और अच्छा

[श्री चरण सिंह]

बीज हमारे यहां ले लेते हैं उनको रजिस्टर किया जाय। इस तरह की एक स्कीम विचाराधीन है और इसी सिलसिले में गवर्नमेंट बहुत सजग है और मैं यह चाहता हूं कि कोई न कोई ठोस कदम जितना काम हुआ है उससे आगे बढ़ने के लिये उठाया जाय।

जहां तक खाद का सम्बन्ध है उसके लिये तीन चार काम हो रहे हैं। एक टाउन कम्पोस्ट स्कीम चल रही है। जो कस्बों और शहरों में कूड़ा करकट आदि है वह सब एक गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है और उससे कम्पोस्ट बनाया जाता है। हमने जो अपने यहां यह कम्पोस्ट की स्कीम चलाई है यह चीन के किसानों की नकल है। चीन का किसान खाद की कदर जानता है और वहां की स्कीम के आधार पर यह चल रही है। यह टाउन कम्पोस्ट स्कीम बहुत से जिलों में काम कर रही है और इस स्कीम के मातहत लाखों टन कम्पोस्ट हर साल पैदा किया जाता है जिसकी तफसील मैं सिर्फ इतनी बतलाना चाहता हूं कि सन् १९५१-५२ में २४८ कम्पोस्ट सेन्टर हमारे सूबे के अन्दर थे। उन्होंने ३ लाख २५ हजार टन कम्पोस्ट उस में पैदा किया। दूसरी स्कीम थी देहातों में गड्ढा खोदकर कम्पोस्ट बनाने की। इस का भी बहुत काफ़ी प्रचार हो चुका है। आफिशियल और नान-आफिशियल वर्कर्स (सरकारी और असरकारी कार्यकर्त्ताओं) की तरफ से भी और हमारे एग्रीकल्चरल (कृषि) और प्लानिंग विभाग की तरफ से भी काफ़ी काम इस दिशा में हुआ है। इसलिये अब हम समझते हैं कि इसको आगे रखना गैरजरूरी होगा और इसी लिये अब इसको मुल्तवी किया जा रहा है।

तीसरी स्कीम जो चल रही है वह यह है कि हमारे जो बूचड़खाने हैं और उनमें जो खून वेस्ट (नष्ट) जाता है उससे खाद का काम लेना। यह ब्लड मेन्योर (खून का खाद) खाद के लिये तो बहुत अच्छा खाद साबित हुआ है। इस का काम भी दो तीन जगह हो रहा है यह भी मैं सदन की इत्तला के लिये बतला देना चाहता हूं, मसलन जौनपुर और इलाहाबाद में इसके लिये जरूरी औजार और मेशीनरी मंगा ली गई है, और धामपुर म्युनिसपैलिटी और फैजाबाद में भी यह काम हो रहा है। यू० एन० ओ० की फूड एण्ड एग्रीकल्चरल आर्गेनाइजेशन है, उसके भी एक एक्सपर्ट हमारे यहां आये हुये हैं जो बहुत ही होशियार हैं। वैसे तो एक्सपर्ट सभी विशेषज्ञ होते हैं लेकिन यह एक विशेष प्रकार के एक्सपर्ट हैं और उन की रिपोर्टस को देखने से तबियत खुश हो जाती है। उनके मशविरे से काम हो रहा है।

सब से ज्यादा जो खाद सरकार की तरफ से दिया जाता है वह है एमोनियम सलफेट और आयल केक्स का और दूसरे केमिकल मेन्योर की एक आई० सी० आई० की फर्म है जिस का गवर्नमेंट आफ इंडिया से ठेका है। वह फ़र्म हमारे कहने के मुताबिक एमोनियम सलफेट देती है और वह नो लास नो प्राफ़िट बेसिस (बिना लाभ या हानि के आधार) पर सप्लाई करती है और उसको गवर्नमेंट की तरफ से सबसिडाइज (राज्य सहायता है) किया जाता है और इसपर लाखों रुपया खर्च होता है और खर्च कीमत व आमदरफ्त का खर्च, सब सबसिडाइज होता है। इस स्कीम के मुताबिक सलफ़ेट एमोनिया सन् १९५१-५२ में खेती करने वालों को करीब ४६ हजार टन सप्लाई किया गया। इस सिलसिले में बातें तो बहुत सी कहने को हैं लेकिन आशंका यह है कि समय उनके कहने में बहुत ज्यादा लग जायगा।

तीसरी बात स्वायल कनजर्वेशन की है यानी जमीन की रक्षा। इसके अन्दर ही ऊसर को रिक्लेम करने की बात आती है। करीब २० लाख एकड़ का एक क़िता अलीगढ़ से प्रतापगढ़ तक पड़ा हुआ है जो काबिल काश्त होना चाहिये लेकिन अलीगढ़ से प्रतापगढ़ तक कुल मिलाकर कई सौ मील लम्बा है कहीं दो मील लम्बा और कहीं और ज्यादा कहीं कम और इस तरह से यह सब २० लाख से २५ लाख एकड़ जमीन ऊसर है। एफ० ए० ओ० के जो एक्सपर्ट डा० वाही हैं उनके मशविरे से सरवे (पर्यवेक्षण) कराया जा रहा है कि जमीन को किस तरह से रिक्लेम किया जा सकता है। यों तो इसकी कोशिश सन् १८७५ से हो रही है लेकिन किसी

नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। अलीगढ़ में स्वायल का केमिकल एनेलेसिस (रासायनिक विश्लेषण) किया जायगा और उसके बाद नतीजा निकाल कर अमल किया जायगा। बहुत सी भूमि इसमें ऐसी है कि अगर उस में सिचाई का इंतजाम हो जाय और उस में पैडी (धान) ही पैदा की जाय तो वह बहुत जल्द ही अपने आप ही रिक्लेम हो सकती है। दूसरा काम जमुना के खालों में जो जमीन इरोड (कटती) होती है उस इरोजन (कटाव) को रोकना है क्योंकि बदकिस्मती से उसका भी रक़बा बढ़ता जा रहा है। तो उस पर प्रयोग करने के इरादे से, एक यहां बहटा नाला है रैहमानखेड़े के पास, लखनऊ जिले में, वहां किसानों की १२०० एकड़ भूमि कट चुकी है। उसे हमारे मुहकमे ने एक्वायर किया है। अनुमान यह है कि ३०० एकड़ जमीन इस समय ऐसी होगी जिस पर खेती की जा सकती है। बाकी ९०० एकड़ में एफारैस्टेशन (वनारोपण) करने का इरादा है। अगर सदन ने रुपया दिया तो हमारा इरादा है कि बड़ी बड़ी नदियों के किनारे, खासतौर से जमुना के किनारे, स्वायल रिक्लेमेशन का काम करें।

प्लांट प्रोटैक्शन (पौधों का संरक्षण) का सवाल है। आपको मालूम है कि पायरिला कीड़ा हमारी गन्ने की फसल में लगा और वह गेहूं और चावल में भी हो गया। उसके लिये प्लांट प्रोटेक्शन सर्विस कायम की गई। इसके बारे में मैं इतना बतलाना चाहता हूं कि बाहर से जो विशेषज्ञ आये हुये हैं उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की प्लांट प्रोटक्शन सर्विस का संगठन और उसूल बहुत अच्छे हैं। वैसे आप इस वर्ष इस प्लांट प्रोटैक्शन सर्विस में कई हजार रुपये की कमी देखेंगे। तो यह सवाल किया जा सकता है कि आखिर कमी क्यों की गई है। कमी इसलिये की गई है कि जिस बड़े पैमाने पर प्लांट प्रोटेक्शन सर्विस हमारे प्रदेश में चाहिये उस बड़े पैमाने पर हमारे फांइनेंसेज (वित्तीय साधन) बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। उसकी दवाइयां, तरीके और मशीनों आदि की ट्रेनिंग हम प्लानिंग विभाग को देकर उसके द्वारा गांव वालों को देना चाहते हैं। हमारे यहां पिछले से पहले साल ४२ जिलों में लोकस्ट (टिड्डी) आई और सन् १९५१ में ५१ के ५१ जिलों में आई। वहां उस समय प्लांट प्रोटेक्शन सर्विस वालों ने बहुत काम किया। हमारे यहां मीटियोरौलाजीकल रिपोर्ट आती हैं और उनसे हमें अंदेशा है कि इस साल भी टिड्डियों का आक्रमण होगा। मगर उसके लिये रुपया आप कल ही मंजूर कर चुके हैं और उसके लिये हमारा विभाग पूरे तरीके से तैयार है।

उत्तर प्रदेश की आम की फसल सारे मुल्क में मशहूर है। उसमें भी कुछ दिनों से रोग लग गया है। सन् १९५१ में ४४,००० दरख्तों की डी० डी० टी० मुफ्त की गई और फिर ४५ हजार पेड़ों की की गई और चार आने फ़ी पेड़ लिया गया। सन् १९५२ के मार्च अप्रैल में ६०,००० पेड़ों में दवा डाली गई और आठ आने प्रति पेड़ लिया गया। इसका नतीजा यह है कि वहां सारे आम के दरख्त बच गये। अब हमारे पास इस दवा को डालने की हैवी डिमांड (भारी मांग) है। लेकिन हमारा परसोनैल (कर्मचारी वर्ग) उस डिमांड को मीट (पूरा) नहीं कर सकता। अब हम यह काम प्लानिंग डिपार्टमेंट को देकर उसके द्वारा गांववालों को सिखाना चाहते हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरा सी जानकारी चाहता हूं। श्रीमान् ने विभिन्न मदों के सिलसिले में हाउस के सदस्यों के लिये उनके परामर्श से समय नियत किया है। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था और इस समय भी मैं यह कहना चाहता हूं कि दस पांच कटौती के प्रस्ताव वालों को तो समय मिल जाता है लेकिन हम लोगों को जो किसी विषय पर बोलना चाहते हैं कोई मौका नहीं मिलता। यह विषय बहुत व्यापक है और इसमें माननीय मंत्री घंटा दो घंटा भी लगा सकते हैं। जो बचा खुचा समय होता है वह कटौती के प्रस्ताव वालों को मिल जाता है। अब हम लोगों के लिये भी कुछ समय अवश्य होना चाहिये। अगर मंत्री महोदय का समय भी नियत कर दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री चरण सिंह—इन शब्दों के साथ मैं अपनी मांग को पेश करता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना कटौतीका प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य कृषि संबंधी विकास और खोज से संबंधित पूरे अनुदान की सामान्य रूप से आलोचना करना और सुझाव देना है।

श्रीमान् जी, समय कम है और जैसा कि अभी हमारे एक भाई ने कहा कि अभी बहुत से साथी इस अनुदान पर बोलना चाहते हैं, इसलिये मैं भी यह कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द समाप्त कर दूं। सबसे प्रथम मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात मैं मानता हूं कि कृषि विभाग ने जो योजनायें रखी हैं वे सब बहुत सुन्दर हैं जिनसे हमें संतोष है लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यदि सरकार कुछ और बातों पर ध्यान दे तो और भी लाभ हो सकता है। हमारे ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर अगर सिंचाई के मिनिस्टर भी होते तो अच्छा होता क्योंकि सिंचाई और कृषि का संबंध बहुत गहरा संबंध है, दोनों का चोली दामन का साथ है और जैसा कि हमारे मंत्री जी ने कहा कि सिंचाई से हमारे अन्न पैदा करने में बहुत सहायता मिलगी और तभी वे कृषि विभाग को अधिक उन्नति करने की आशा करते हैं। यह तो सरकार के ऊपर है कि यदि वह मुनासिब समझे तो ऐसा कर सकती है कि कृषि और सिंचाई एक ही मंत्री के पास रहें तो हमारी बहुत सी दिक्कतें दूर हो जायेंगी। मुझे इसका स्वयम् अनुभव है। पिछले वक्त हमने इरीगेशन परपजेज (सिंचाई प्रयोजनों) के लिये, नहर आदि के लिये कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दो विभागों के कारण मामला खटाई में पड़ जाता है इसलिये अगर ये दोनों विभाग एक हो जायं तो बहुत अच्छा है।

अब, श्रीमान्, मैं आपके जरिये से यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार ने अन्न की पैदावार को बढ़ाने का जो तरीका बताया मैं उससे सहमत हूं और मैं यह मानता हूं कि सरकार इसके लिये कोशिश भी कर रही है और उसके लिये विशेष ध्यान दे रही है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा जमीन तो किसानों के पास है इसलिये वे सिर्फ प्रचार के द्वारा उनसे अपना संबंध रख कर ही इस योजना को सफल बना सकते हैं। जहां तक कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों का ताल्लुक है, माननीय मंत्री जी का ताल्लुक है, वे इस बात की कोशिश करते हैं और प्रयत्न करते हैं। लेकिन अगर आप जिलों में जायं तो कृषि विभाग के जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं वे इस बात का कष्ट नहीं करते। उनके जो दफ्तर हैं वे ऐसी जगह पर हैं जहां कोई पहुंच भी नहीं सकता। किसानों को यह भी मालूम नहीं होता कि उनके कृषि विभाग का दफ्तर कहां है। जिस मकान में वे लोग रहते हैं वहीं विभाग भी खुला हुआ है जहां न कोई पहुंच सकता है और न जान ही सकता है और न कोई उससे फायदा ही उठा सकता है। यदि आज प्रचार चाहते हैं तो आप इसके लिये इनफारमेशन डिपार्टमेंट (सूचना विभाग) से काम ले सकते हैं। जो सरकार की खास-खास स्कीमें हैं उनको इस विभाग द्वारा प्रचार करना चाहिये। इनफारमेशन की जो वान्स (गाड़ियों) हैं उनके द्वारा प्रचार होना चाहिये। जब इलेक्शन का समय आता है तब तो हमारे मंत्रिगण और सरकारी पार्टी के लोग इन वानों से और अन्य सरकारी मोटरों से काम लेते हैं। लेकिन जब एक योजना का सवाल है, सरकार द्वारा देश की खाद्य स्थिति को सुधारने का सवाल है उस वक्त हर तरह की ताकत लगा कर, जितने सरकारी मुलाजिम हैं सबको यह हिदायत होनी चाहिये कि कृषि विभाग, सिंचाई विभाग के जितने भी काम हैं उनको सबसे प्रमुख स्थान देना चाहिये। उनको प्रायरिटी (प्राथमिकता) देनी चाहिये। मैं नहीं समझता कि यदि सरकार इस काम को कराना चाहे तो सरकारी कर्मचारी उसके इस हुक्म को न मानें, ऐसी कोई बात नहीं है।

मैं आपके जरिये सरकार से यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के सिलसिले में, जो आज कृषि कालेज जो खुल रहे हैं, चूंकि आपकी इतनी बड़ी योजना है, बहुत से ऐसे लोग भी

उसमें घुसने की कोशिश करते हैं जिनके पास जमीन नहीं है और जो किसान नहीं हैं। वे लालच की वजह से इस विभाग में जाना चाहते हैं। इसलिये गांव के रहने वाले किसानों के बच्चों को कृषि विभाग और कृषि कालेजेज में जाने के लिये विशेष रूप से सुविधा होनी चाहिये जिससे वे आसानी से उसमें जा सकें और पढ़ सकें। जो लोग कालेज में नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन प्राइवेट (निजी) तौर से पढ़ना चाहते हैं उनके लिये भी प्राइवेट ट्रेनिंग के लिये एग्रीकल्चरल फार्म्स वगैरह में एटैच होकर प्राइवेट ट्रेनिंग लेने का प्रबन्ध होना चाहिये, जिससे वे सुविधा से वहां काम सीख सकें और फिर अपने फार्म्स को ठीक ढंग से चला सकें।

इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि बीज गोदाम वगैरह इसलिये नहीं खोले जाते हैं कि बीज गोदामों की जगह गांवों में नहीं है। तो मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जमींदारों के बहुतसे मकान खाली हैं। अगर आप मुनासिब किराया देकर उन्हें लेना चाहें तो वे आपको मिल सकते हैं। यह बात दूसरी है कि जमींदारी की तरह आप उन्हें भी मुफ्त में लेना चाहें।

श्री चरण सिंह—क्या आप चीन की तरह से बिना मुआविजा देने को तयार हैं ?

राजा वीरेन्द्र शाह—सरकार ने बिना मुआविजा दिये हुये उनकी चीज नहीं ली है इसलिये मै समझता हूं कि ऐसी बात नहीं हो सकती है। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने कृषि विभाग के हर विभाग को तरक्की देने और सुधारने का बहुत प्रयत्न किया है। मै यह भी आपको बतलाना चाहता हूं कि आज कल जमींदार भी बहुत से बेकार हो गये हैं। अगर सरकार का सहयोग मिले तो वे अपने फार्म्स में भी अच्छी तरह से खेती बारी कर सकते हैं, क्योंकि यह उनकी जिन्दगी का सवाल है और वे उसकी तरक्की करने के लिये तैयार हैं। मै यह चाहता हूं कि सरकार की ओर से यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जो जिस योग्यता का हो, जिस तरीके से भी वह उपज को बढ़ा सकता हो, उसकी आपको मदद करनी चाहिये। जो आदमी सरकार की मदद के लिये भरोसा करें उनकी मदद अवश्य होनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि ट्यूबवेल्स के सिलसिले में, ट्रैक्टर्स के सिलसिले में, तकावी देने में सरकार को शीघ्र से शीघ्र मदद करनी चाहिये। मै आपके जरिये सरकार से यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक जिले जिले में आप संगठन नहीं करेंगे और इस बात की कोशिश नहीं होगी कि हमारे यहां के एग्रीकल्चर विभाग के मंत्री जी या उसके जो भी उच्चाधिकारी हों वे स्वयं बड़े बड़े फार्म्स पर जायं, किसानों के बड़े फार्म्स पर जायं, उनके बागों पर जायं और कृषि विभाग प्रचार करायें तब तक खेती का काम ठीक ढंग से नहीं हो सकता है। मैं एक सुझाव सरकार को और दूंगा कि तरकारी और शाक भाजी की जो योजना है सरकार उसको बन्द करना चाहती है, जब अनाज की कमी है तो फिर दूसरा कौन सा तरीका है जो अनाज की कमी को खाने में पूरा कर सकता है ? तरकारी और मांस ये दो चीजें हैं। और मुल्कों में ये करीब करीब खाई जाती हैं लेकिन हमारे देश में अनाज ज्यादा खाया जाता है, लेकिन अनाज की कमी जब है तब तरकारी ही है जो पूरा कर सकती है इसलिये इस योजना को बन्द न करना चाहिये और शहरों में जो आसपास जमीनें हैं अगर सरकार सहायता दे तो कोई वजह नहीं है कि उनमें तरक्की न हो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता था कि बख्शी के तालाब पर माननीय मुख्य मंत्री ने जो खेती और कोआपरेटिव विभाग वगैरह के बारे में रायें जाहिर की थीं उसके बाद कोई नयी धारा बहनी शुरू हो जायेगी लेकिन जो बजट देखा तो मालूम हुआ कि फिर वही पुरानी धारा चल रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत सफाई के साथ इन विभागों की आलोचना की थी जिससे यह मालूम होता था कि इन विभागों के काम की पूरी छान बीन होगी और भारी परिवर्तन होंगे लेकिन देखने से मालूम होगा कि उसमें पूरे का पूरा वही ढांचा है। मैं माननीय चरण सिंह जी से कुछ बातों में इत्तिफाक करता हूं। जहां पर उन्होंने यह कहा है कि अन्न की हर आदमी की जरूरत है उसमें

[श्री गेंदा सिंह]

किसी को आपत्ति नहीं हो सकती और मैं तो अन्न को ही ब्रह्म मानता हूं और शायद उपनिषदों में भी इस तरह की बात आती है। लेकिन बात यह है कि अन्न पैदा कैसे किया जाय? इसमें अलग राये हो सकती हैं। माननीय चरण सिंह जी की राय है कि अन्न पैदा करने की तभी उत्साह पैदा हो सकता है जब जमीन का बटवारा किसी हालत में न हो और हम सोचते ऐसा सोचते हैं कि जमीन का बटवारा होने के बाद ही जनता में उत्साह पैदा किया जा सकता है। कुछ आंकड़े ऐसे माननीय चरण सिंह जी पेश करते हैं जिनसे हाउस को और हमको भी भ्रम होता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि वे इस तरह के आंकड़े पेश करने की मेहरबानी न करें। उन्हीं के विभाग की जो रिपोर्ट है उससे ही उनकी खिदमत में कुछ अर्ज किया जाता है। इसमें यह कहा गया है कि कल्चरेबिल वेस्ट लैंड (कृषि योग्य परती भूमि) जो है उसमें सारी ऐसी जमीनें छोड़ दी गई हैं जो जंगल हैं, नदी है, ऊसर हैं और उसके बाद इस प्रदेश में ६५ लाख एकड़ जमीन है। यों तो १ करोड़ २२ लाख है। उन्होंने जो साढ़े सात लाख एकड़ की बात कही है वह भ्रम में डालती है। ६५ लाख एकड़ जमीन जो है और जो खुदकाश्त की जमीन है और बड़े काश्तकारों की जमीन है उस सब को लिया जाय तो बटवारे का काम सरल हो जायगा।

श्री चरण सिंह—जरा सा मैं यह बता देना चाहता हूं कि वह ६५ लाख एकड़ जमीन पंचायतों के पास जाने वाली है।

श्री गेंदा सिंह—मैं यह तो नहीं कहता कि पंचायतें बांटें या कौन बांटे। मैं सिर्फ बटवारे की बात कहता हूं और माननीय चरण सिंह जी का आशीर्वाद अगर पंचायतों को प्राप्त हो जाय तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी और वह ऐसा करने के लिये कोई कदम उठायेंगी।

अब मैं कुछ और बातों का जिक्र करना चाहता हूं। बजट की इस मद में कुछ मिल-मालिकों को इनाम देने का आइटम (मद) रखा गया है और वह पांच लाख अट्ठारह हजार कई सौ रुपये का है। वह इसलिये रखा गया है कि पिछले साल उन्होंने चीनी ज्यादा पैदा की। पूर्वी जिलों के लिये वह इनाम बांटने का प्रबन्ध है। तो मैं अर्ज करूंगा कि पांच लाख साढ़े हजार रुपये की रकम सरकार कुंवें खोदने या किसी भी डेवलपमेंट के काम में खर्च करती तो इससे बहुत फायदा होता। केन सेस में और एक्साइज ड्यूटी (उत्पादन कर) में इतनी ज्यादा छूट उनको दी गयी और पूर्वी जिलों की मिलों ने पिछले साल इतना रुपया कमाया जितना उन्होंने अपनी जिन्दगी मे कभी नहीं कमाया था। एक एक मिल ने बीस बीस, पच्चीस पच्चीस लाख रुपये कमाये। इतना कमाने के बाद उन को पांच लाख रुपया इनाम दिया जाता है इस सूबे की गरीबों की गाढ़ी कमाई से। यह मुनासिब नहीं मालूम होता है।

मुझे कुछ बातें अर्ज करनी हैं। केन डेवलपमेंट (गन्ना विकास) विभाग पर काफी पैसा खर्च होता है। लेकिन टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट यह है कि १९३२-३३ में एक एकड़ मे १५ टन गन्ना पैदा होता था। वह इस वक्त १४ टन तक पहुंच गया है। तो करोड़ लाख रुपया खर्च करने के बाद भी पीछे की तरफ हम जायं तो यह मुनासिब नहीं मालूम होता है। जब कि प्रयोग से यह साबित हो गया है। मेरठ में ही १८ सौ मन गन्ना एक एकड़ में पैदा हो सकता है।

एक बात और है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरहदों पर कुछ जंगल लगाने की योजना है। मैं नहीं समझता कि इस से क्या लाभ होगा। अभी कल पुलिस मंत्री जी ने बताया कि सरहदों पर बड़ी गड़बड़ी होती है। वहां चोर डाकू वगैरह रहते हैं तो क्या मतलब है कि जंगल लगा कर उन चोर, डाकुओं के बसने का प्रबन्ध करना है?

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो आज अनुदान प्रस्तुत किया है और उन्होंने जो तस्वीर हमारे सामने रखी है वह निश्चय ही बड़ी उत्साहवर्धक है कि जब हम उनकी तमाम स्कीमों पर, जो उन्होंने लैण्ड कंजरवेशन, प्लांट प्रोटेक्शन, और बागों के बारे में हैं गौर करते हैं तो उससे वास्तव में मालूम होता है कि हमारे प्रान्त की हालत इस वर्ष के बाद कुछ दूसरी हो

जायगी। लेकिन जब हम वस्तुस्थित को देखते हैं तो मालूम यह होता है कि तस्वीर वह नहीं है जो सदन के सामने प्रस्तुत की गयी है। उसका वास्तविक रूप दूसरा है।

जहां तक कृषि विभाग का संबंध है कल हमारे सामने दो मांगें आयी थीं, ऐग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन की। इन दोनों चीजों पर कृषि विभाग में कर्मचारियों के लिये ३० लाख रुपया रखा गया। पहले ४९२ ट्रैक्टर थे, अब इनमें से ७ ही नज़र आते हैं। इससे मालूम होता है कि कृषि विभाग में जो कर्मचारी हैं वे किस प्रकार अपना काम करते हैं और कितने एफिशिएंट (दक्ष) हैं। मैं समझता हूं कि जब से यह विभाग कायम हुआ है तभी से यह इनएफिश्येंसी (अदक्षता) चली आती है। ऐग्रिकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग के होते हुये भी मैं १० वर्षों से बराबर देखता चला आया हूं कि जो औज़ारात पुराने थे वही काम में आ रहे हैं। माननीय मंत्री ने अपनी बहस समाप्त करते हुये बताया था कि और भी नये औजार बने हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि गुजर [हल] प्लाउ मेरी शायद पैदायश से भी पेश्तर से वैसा ही चला आता है और उसमें कोई भी तबदीली नहीं हुई। इसी तरह के और भी प्लाउज़ है, जैसे मेस्टन प्लाउ और टर्न रेस्ट प्लाउ आदि। ये जितने भी हल हैं सभी पुराने हल हैं। ५ सालों में कभी नहीं सुना गया कि ऐग्रिकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग ने नये औजार दिये हैं। इसलिये एक तरफ तो यह कहते हैं कि मांगें होनी चाहियें और रुपया होना चाहिये और जगह भी चाहिये, लेकिन साथ में काम करने वाले से काम कराने वाला जब तक तेज नहीं होता है तब तक एफिशिएंसी नहीं बढ़ सकती है। यह जो इस विभाग में पोलखाता फैला हुआ है वह खत्म होना चाहिये। मैं समझता हूं कि श्री चरण सिंह के होते हुये जो कि हमारे पुराने कार्यकर्त्ता हैं और इस दल के कार्यकर्त्ता हैं जिनकी तरफ से कभी किसी किस्म की शंका नहीं हो सकती, अगर उनके देखते हुयें पोल खाता रहा तो यह हमारे ऊपर कलंक होगा। हमें आशा है कि जितना रुपया इस विभाग को दिया है उसका सदुपयोग होगा।

अब मैं अपने विषय की ओर लौटते हुये यह बतलाना चाहता हूं कि जहां तक एक्सपर्ट्स [विशेषज्ञों] का संबंध है, एक्सपेरिमेंटल फार्म्स (प्रायोगिक खेत) का संबंध है जिसमें एक लाख, अड़सठ हजार रुपया खर्च होना है, हमारे यहां काटन एक्सपर्ट (कपास विशेषज्ञ) हैं, व्हीट एक्सपर्ट (गेहूं विशेषज्ञ) हैं और नाना प्रकार के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं लेकिन हम नहीं देख पाते हैं कि कोई भी गेहूं की फस्ल हमारे सामने आई हो। हम यह नहीं देख पाते हैं कि कपास में कहां तक तरक्की हुई है या और कोई तरक्की किसी संबंध में हुई है। उसकी वजह यह है कि उनको यह ज्ञान नहीं है कि हमारे प्रांत के लिये किन किन चीजों की जरूरत है। मैं मिसाल के तौर पर आपको बतलाऊं कि रूस में स्टैलिन के हुक्म पर वहां के साइंसदां लोगों ने जान लगादी कई नई फसलों को हमारे सामने उठाकर रख दिया। अभी हमारे ५ या ६ बागात के एक्सपेरिमण्ट (प्रयोग) चल रहे हैं जिन पर हम १४ लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जहां तक फलों की तरक्की का सम्बन्ध है वही पुराने फल चले आते हैं और किसी प्रकार की तरक्की कहीं दिखाई नहीं देती। मैं आपको बताऊं कि रूस में मुचारिन और लिसैनको ने साइबेरिया प्रदेश के लिये खोज निकाली। २० वर्ष पहले लीची की और सन्तरों की नई नई वैराइटीज (किस्में) निकालीं। वहां के स्पेशलिस्ट (विशेषज्ञों) ने साइबेरिया के लिये पिरोनियल गेहूं की जातियां खोज निकालीं जिससे रूस को बड़ा लाभ पहुंचा। इसी प्रकार अमेरिका में एक बार जब चारे की कमी हुई तब वहां के बोटनिस्ट श्री लूदर बटबैंक ने वग़ैर कांटे की नागफनी (Cactus) पशुओं के चारे के लिये ईजाद की इससे अमेरिका की चारे की समस्या हल हो गई। आज भी इन विज्ञानवेत्ताओं का नाम इतिहास में अमर है।

[श्री शिवकुमार शर्मा]

हमारे यहां वही छः सात वर्ष पुराना गेहूं रखा जाता है और कहा जाता है कि यह विजयालक्ष्मी ह्वीट नम्बर एक है। अग्रिकल्चरल विभाग ने मंडुवे, धान, जौ इत्यादि के बारे में क्या तरक्की की है यह मालूम नहीं होता। किसानों को कैसी फसलों की जरूरत है और कैसी फसल के लिये कैसे बीज और पानी की और जमीन की जरूरत है यह हमारा ऐग्रिकल्चर विभाग कभी नहीं बतलाता। खेद की बात है कि हमसे कहा जाता है कि हमको इतना रुपया दीजिये और हम देते हैं। लेकिन रुपया देने के बाद जो परिणाम होता है उनको जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा अचम्भा होता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर बहुत लोग बोलने की इच्छा रखते हैं, इसलिये आप कुछ और अधिक समय देने की कृपा करें। यह मेरा प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष---मैं सदन को यह इत्तिला देना चाहता हूं कि इसके बाद का जो अनुदान है वह ३ बजकर ४५ मिनट से ४ बजकर १५ मिनट तक चलेगा। उसके लिये पहले से ही केवल आध घंटा रखा गया है। तीसरे अनुदान को आप बिलकुल ही छोड़ देना चाहते हों तो दूसरी बात है, नहीं तो अब समय नहीं रह गया है।

श्री हरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, समय की कमी के कारण मैं अपनी बात पूरी नहीं कह सका था, शायद तिहाई बात कह पाया था और बहुत से माननीय सदस्यों को इसकी शिकायत है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। मैं बहुत सी बातें सुन भी नहीं पाया, जैसे मैं अपने मित्र श्री शिवकुमार जी की बहुत सी बातें नहीं सुन पाया, लेकिन जो मैं सुन पाया हूं उसका मैं बहुत संक्षिप्त जवाब दूंगा।

जहां तक श्री वीरेन्द्र शाह साहब ने तकावी नियमों के बदलने की बात कही है, मैं उस पर विचार करूंगा और अगर तकावी नियम बदलने से किसानों को सहूलियत हो सकती हो तो वह जरूर बदले जायंगे। मैं उनसे इसी समय दरख्वास्त करता हूं कि जो उनके सुझाव हों वे मेरे पास भेज दें।

एक मित्र ने केन सेस (गन्ना उपकर) में से पांच लाख रुपया पूर्व की फैक्टरियों को देने की बात कही और उन्होंने शिकायत के तौर पर कहा कि उनको इस रुपया की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनको लाखों रुपया का मुनाफा होता है। बात यह है कि पिछले साल पूर्व के जिलों के जितने कारखाने थे, उन्होंने १०७ फीसदी से जितना ज्यादा गन्ना पेरा, उस पर उनका सेस माफ कर दिया गया। पश्चिम के जिलों के जितने कारखाने थे उनका ५० फीसदी माफ कर दिया गया। जो ५० फीसदी गवर्नमेंट ने लिया उसमें से ५ लाख रुपया उन कारखानों को, जो पूर्व के इलाके के कारखाने हैं, जिनका सेस माफ किया गया था, उनकी इमदाद के लिये दिया गया। अब शिकायत यह है कि आखिर इमदाद क्यों की गयी। वहां के कारखाने बहुत थोड़े दिन चल पाते हैं। इसलिये वहां के कारखानेदार अपने कारखानों को वहां से उठाने की फिक्र में रहते हैं। मैं अपने माननीय मित्र गेंदा सिंह जी को, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये बता देना चाहता हूं कि अगर १४ कारखाने देवरिया से हट गये तो रोजाना सत्याग्रह की धमकी हमको सुननी पड़ेगी। उन कारखानों को हम चाहते हैं कि पूर्व के जिलों में रहें। इसलिये उनके रेशनेलाइजेशन (वैज्ञानिकन) के लिये, उनकी इमदाद के लिये, अगर गवर्नमेंट रुपया दे, तो इसमें शिकायत की क्या बात है। वे कारखाने अगर वहां रहेंगे तो किसानों को फायदा होगा। आपकी अगर शिकायत यह होती कि उन कारखानेदारों को जितना मुनाफा होता है, उससे कम होना चाहिये, तो यह दूसरी बात थी।

श्री गेंदासिंह—इस रुपये के बदले में हम सत्याग्रह नहीं करेंगे।

श्री चरणसिंह—उस रुपये के बदले में अपने कारखाने की मशीनों को सुधारें, इस लिये रुपया उनको दिया गया है। बात यह है कि अगर कारखाने रखने हैं तो उनकी इमदाद होनी चाहिये। जो फारमूला (गुर) है गन्ने को कीमत का उसमें पूर्व वालों का हिसाब यह रहता है कि उनको मुनाफा कम होता है। इसलिये उनको यह इमदाद की गयी। यह बात नहीं है कि कारखानेदारों को हम बढ़ाना चाहते हैं और ब-मुकाबिले गरीबों के उनकी इमदाद करना चाहते हैं। हम इमदाद इस लिये करते हैं ताकि वे कारखाने वहां कायम रहें और पूर्व के जिलों से वे भाग न जायं।

तीसरी बात यह कही गयी कि साहब गन्ने के भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह बात कुछ हद तक सही है कि सारे सूबे को अगर पैदावार देखी जाय तो उसके औसत में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन जितने इंटेंसिव बलाक्स हैं, जो हमारे कारखाने ६७ के करीब हैं उनका जो जोन (क्षेत्र) का रिजर्व्ड (सुरक्षित) क्षेत्र (एरिया) है उसका रकबा १२ लाख एकड़ के करीब है। इस साल २९ लाख २७ हजार एकड़ में गन्ना बोया गया, लेकिन १२ लाख एकड़ के करीब रिजर्व्ड एरिया है। उस रिजर्व्ड एरिया के अन्दर २ लाख ७० हजार एकड़ का इंटेंसिव डेवलेपमेंट का एरिया है। उसकी जो पैदावार थी वह हमारे गन्ना विकास विभाग की मेहनतों का नतीजा था कि १९४८-४९ में जहां सारे सूबे को औसत ३२६ मन थी वहां रिजर्व एरिया को १९४८-४९ में ३५० मन, १९४९-५० में ४०० मन, १९५०-५१ में ४५० मन और १९५१-५२ में ५०० मन फी एकड़ रही है। इस लिये इतना हमारा गन्ना विकास विभाग काम कर रहा है कि वहां चार साल के अन्दर ३५० मन से ५०० मन औसत पैदावार हो गयी।

एक बात यह भी कही गयी कि २०० गज चौड़ी दरख्तों की बेल राजस्थान के किनारे पर आगरा और मथुरा के बीच में लगाने की क्या जरूरत है, क्या वहां डाकुओं को आश्रय दिया जायगा। अब इसका जवाब मैं क्या दूं। अगर गेंदा सिंह जी मुझसे बात करेंगे तो वे कहेंगे कि उनका यह मतलब नहीं था। वहां यह इंतजाम इसलिये किया जा रहा है कि यहां से जो प्रदेश हमारे पश्चिम में पड़ता है वह राजस्थान है वहां से इधर को बालू बढ़ती चली आ रही है। विशेषज्ञ जिनमें पहले मतभेद था अब सर्वसम्मति से इस राय के हैं कि आधा मील चौड़ाई में हर साल रेगिस्तान पूर्व की तरफ को यानी देवरिया की तरफ को आ रहा है। एक तो बाढ़ की मार और फिर रेगिस्तान की मार भी होगी तो बड़ी मुसीबत आ जायेगी। तो इसलिये वहां बालू को रोकने के लिये दरख्त लगाये जा रहे हैं।

मेरे मित्र, शिवकुमार जी ने कहा कि गूजर प्लाऊ (हल) बहुत पुराना है। ऐसा होगा,। मुझे उसकी जन्म तिथि तो मालूम नहीं है लेकिन जहां तक कल्टीवेटर प्लाऊ का संबंध है मैं समझता हूं कि वह उनसे बाद में पैदा हुआ। वह थोड़े दिन का है। उन्होंने कहा कि माना गूजर प्लाऊ और कल्टीवेटर प्लाऊ बने, लेकिन पांच साल के अन्दर तो कोई नया कार्य नहीं दिखाया। तो क्या जरूरी है कि हर पांच साल में प्लाऊ बदल दिया जाया करे, तभी तरक्की मानी जायगी? प्लाऊ तो एक ऐसी चीज है जो रोज नहीं बदली जाती है। अगर टैक्टर्स की बात होती तो उसमें सैकड़ों किस्म के टैक्टर्स आज जर्मनी, रूस वगैरह में हैं। लेकिन हमारे यहां छोटे पैमाने पर ही खेती हो सकती है और वह लाखों वर्षों से जो हल चला आ रहा है उसमें थोड़ा बहुत ही सुधार हो सकता है, कोई क्रांतिकारी चेंज (परिवर्तन) नहीं हो सकता।

हमारे एक मित्र ने फलों की पैदावार के बारे में शिकायत की उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि अभी चौपटियां के रिसर्च स्टेशन पर काफी काम हुआ है और उसका नतीजा यह हुआ कि रामगढ़ के सेबों की नस्ल सुधरती जा रही है। लेकिन इस सम्बन्ध में सबसे बड़ा काम सहारनपुर के रिसर्च स्टेशन पर हो रहा है और वहां के जो हमारे आफिसर डाक्टर सिंह हैं उन पर हमारा सूबा गर्व कर सकता है, निहायत अनुभवी, निहायत योग्य वे अपने यहां फलों के बारे में तरह-तरह की रिसर्च कर रहे हैं। वाकई में बड़ा अच्छा काम वहां हो रहा है। पहले मुझे मेरे

[श्री चरण सिंह]

मित्र ने रोक दिया। आकड़ों में ज्यादा समय ले रहा था और जो समय था उसमें सिंचाई के लिये उसके औचित्य को समझ कर मैं बैठ गया, लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य चाहें तो देखें कि सहारनपुर रिसर्च स्टेशन पर कैसा काम हो रहा है। आप कहें तो उसके लिये मेम्बरों के सामने पैम्फलेट पेश कर दूं जिसके लिये मैं फिर कहता हूं कि एफ० ए० ओ० कमीशन ने उनकी बड़ी तारीफ की कि इस मामले में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने पदीना आम वगैरह के बारे में बहुत कुछ काम किया है। इसके अलावा जो रिसर्च का काम है वह ऐसा नहीं होता कि जिसका नतीजा साल या दो साल में निकल आये। उसमें हमेशा देर लगती है, खासतौर से एग्रीकल्चरल रिसर्च में। मैकेनिज्म का जो रिसर्च होता है वह तो ऐसा है कि अगर एक बात बन गयी तो दो ही दिनों में रिसर्च हो गया, लेकिन जहां तक एग्रीकल्चर और फूड (कृषि और खाद्य) का ताल्लुक है यह बायोलाजिकल (जीव विज्ञान सम्बन्धी) चीज है और इसमें देर लगती है। इस लिए रिसर्च (गवेषणा) में हमारा सूबा किसी तरह से कम नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष, जैसा मैंने कहा मेरे मन में बहुत सी बातें रह गयी। मैं अगर सारी बातें सदन के सामने रखूं तो मुझे उम्मीद है कि जो सौ शिकायतें हैं उनमें से २५ रह जायंगी। लेकिन समय कम है और लाल रोशनी बराबर मेरी आंखों में आ रही है, इसलिये मैं इन अल्फाज के साथ बैठ जाता हूं कि यह अनुदान स्वीकार किया जाय।

राजा वीरेन्द्र शाह---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो उत्तर सुना उससे मुझे संतोष है। माननीय मंत्री जी ने इस बात को माना है कि जो सरकार की ओर से सहायता या सब्सीडी देने का तरीका है उसमें सुधार करेंगे तथा उसको बढ़ायेंगे। इसके अलावा शार्ट आर्डर की योजना में कमी करने के लिये जो रखा गया है उसके बारे में कोई विचार प्रगट नहीं किया गया है कि आया इसको फिर से चलायेंगे या नहीं।

दूसरी बात जो सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से हमेशा कही जाती है वह यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड (भूमि-वितरण) के बारे में कहा जाता है। मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि हमें भय है कि इससे अन्न के उत्पादन में कमी हो सकती है। किसानों को भी यह भय है कि जो हम बोयेंगे वह बेकार जायेगा इसलिये जब तक कोई चीज न आये तब तक ऐसी बात न कहना ही अधिक सुन्दर होगा।

अन्त में मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सिंचाई का मुहकमा और कृषि का मुहकमा एक ही हो जाय तो अन्न के उत्पादन में अधिक सुविधा हो सकती है। मैं यह कह कर अपनी कटौती के प्रस्ताव को, श्रीमन्, आपकी आज्ञा से वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१---कृषि संबंधी विकास और खोज (लेखा शीर्षक ४०-कृषि) के अन्तर्गत १,६७,१६,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक ४१---पशु-चिकित्सा

उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री इस बात का ध्यान रखें कि अनुदान के लिये समय केवल आधा घंटा है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि जब ७ मिनट हो जायं तो लाल रोशनी जल जाय। इससे मुझे आसानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४-पशु-चिकित्सा (लेखा शीर्षक ४१) के अन्तर्गत १,०६,३५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक ४१—पशु चिकित्सा

हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सन् १९४५—४६ ई० में कुल २६, ४०,५०० रुपया इस पशु चिकित्सा विभाग पर खर्च होता था। पिछले साल १ करोड़ ९ लाख रुपये की मांग थी और इस साल १,०६,३५,००० रुपये की मांग पेश की गई है। हमारे सूबे में ५ करोड़ ६३ लाख गाय भैंस हैं। ३ करोड़ २८ लाख भैंस और भैंसे होंगे। २ करोड़ ३५ लाख गाय और बैल होंगे। यह इतनी बड़ी तादाद है लेकिन इनकी नस्ल अच्छी नहीं है, अतः हमारे यहां की गाय भैंसों को जितना दूध देना चाहिये उतना नहीं देती हैं। लिहाजा पशु पालन विभाग को इसी उद्देश्य से कायम किया गया है कि इनकी नस्ल सुधारी जाय जिससे हमारे यहां के बैल और गाय भैंस अच्छी हों।

अब इस सम्बन्ध में जो काम हुआ है उसको मैं बता देना चाहता हूं। गवर्नमेंट ने कैटिल ब्रीडिंग फार्म्स (पशु पालन केन्द्र) या मिकैनाइज्ड फार्म्स खोले हैं। इनमें ४५,००० जानवर रखे गये हैं। उनमें से ३२५ बैल यानी सांड हैं। ये सांड गोशालाओं को और इंडवीजुअल फार्म्स (व्यक्तिगत फार्मों) को ३० रुपया देने पर दे दिया जाता है। वैसे एक सांड की कीमत ६००—७०० रु० है, लेकिन ३० रुपये नाम मात्र के लिये लिये जाते हैं। वह गांव सभा या मुखिया के प्रतिनिधि के रूप में ले सकते हैं। इस तरह से एक साल के अन्दर ३२१ सांड और १४३ भैंसे १२ जिलों में सप्लाई किये गये। एक स्कीम और यहां चालू हुई है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य जब अपने जिलों में जायं, जहां यह स्कीम लागू हो वहां वे इसमें दिलचस्पी लें। यह स्कीम है विलेज ब्लाक की, २८ इस तरह के विलेज ब्लाक्स खोले गये हैं और पहली अप्रैल से काम कर रहे हैं। मन्शा इसका यह है कि जिस रकबे में २ हजार गायों की आबादी हो वहां एक आर्टिफिशियल (कृत्रिम) इनसेमिनेशन सेण्टर अर्थात् पिचकारी के जरिये गर्भादान केन्द्र खोल दिये जायं। इसमें एक सांड से उतना काम लिया जा सकता है जितना कि ४२ सांडों से कुदरती तौर पर काम लिया जा सकता है। लेकिन हमारे यहां हजारों सांडों की जरूरत है। इसलिये ये आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन सेंटर खोले गये हैं ताकि ४२ सांडों का काम एक सांड से लिया जा सके और २ हजार गायें जिस गांव में हों वहां इस सेंटर को खोल दिया जायगा। और उस जगह जो पुराने किस्म के बुल्स (सांड) हैं उन सब को बधिया कर दिया जायगा ताकि आगे की नस्ल न बिगड़े। जहां जहां आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन सेन्टर्स खुलते जायेंगे वहां वहां सांडों को हटाते जायंगे। इस तरह से हमने २८ विलेज ब्लाक्स पहली अप्रैल से खोले हैं। यह सारे सूबे में किस किस जगह पर क़ायम हैं यह मैं नहीं बतला सकता। एक सेंटर मथुरा में गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से भी है। जितने सदस्य इस सदन में बैठे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वे इस स्कीम में दिलचस्पी लें, किसानों को समझायें, उसकी वर्किंग [कार्यशैली] में कोई नुक्स हो तो उसे मेरी नोटिस में लायें। यह स्कीम ऐसी है जो हमारे उत्तर प्रदेश की पशु-जाति का उद्धार कर सकती है। अगर एक कोने से ले कर दूसरे कोने तक इस तरह के सेंटरर्स (केन्द्र) कायम हो जायं तो हमारी सारी समस्या हल हो जाय। इसमें कुछ केन्द्र में ५० और कुछ में ७५ फीसदी सब्सीडी (राज सहायता) गवर्नमेंट आफ इंडिया देती है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्कीम के मुताबिक ७६ केन्द्र हमारे सूबे में खुलने हैं, जिनमें २८ खुल चुके हैं।

२२८ वेटेरिनरी अस्पताल, १० एनीमल हस्बैंडरी सेंटर (पशुपालन केन्द्र) कायम हुये हैं। सदस्यों को जान कर खुशी होगी कि यहां सीरा और वेक्सीन एक दवा होती है जो जानवरों के इलाज के लिये लखनऊ में और दूसरी जगहों पर तैयार की जाती है। ९० हजार के खर्चे से यह दवा तैयार होती है। इतनी दवा अगर बाहर से मंगवाई जाय तो ३ लाख रुपये खर्च करने पड़ते। जरूरत भर के लिये यह दवा हमारे यहां तैयार हो जाती है और सारे देश में सिवा इज्जतनगर के और कहीं इसका इंतजाम नहीं है।

हमारे यहां भद्रुक डेरी भी सब से अच्छा काम कर रही है। यहां ७,३८७ पौंड बटर सालाना पैदा होता है। १३ लाख ५८ हजार १६६ पौंड दूध साल भर में पैदा होता है। बहुत अच्छे पैमाने पर काम चल रहा है। जो लोग कस्टमर्स (ग्राहक) हैं मेरी निगाह में आज तक कोई शिकायत उनकी तरफ से नहीं आयी। हमारे सूबे में जितनी गौशालायें थीं वे ७ मन

[श्री चरण सिंह]

दूध रोज पैदा करती थीं लेकिन हमने गौशालाओं के लिये डेवेलपमेंट आफिसर रखे और उनकी कोशिश का नतीजा यह हुआ कि वे ३० मन दूध रोजाना पैदा करने लगीं। २३० अच्छी किस्म की नस्ल की हरियाना गाय सब्सीडी के बेसिस पर इन गौशालाओं को हमने दी हैं। जमुनापारी बकरी हमारे यहां की दुनिया भर में मशहूर है। इसमें भी गवर्नमेंट ने सब्सीडी दी है और इसी स्कीम पर यह इटावा के अन्दर चल रही है।

वैटरीनरी कालेज हमारे यहां कोई नहीं था। हमारे लड़के पटना जाया करते थे। अब एक फर्स्ट क्लास कालेज मथुरा में खोला गया है और वहां से जितने लड़के निकलते हैं उनको सरकारी सर्विसेज में लिया जाता है। अभी हमारे यहां और भी आवश्यकता है कि वे जल्दी से निकलें और हम उनको भी अपने यहां रखें। पहले वहां पर १२० से लेकर २५० रुपये तक का ग्रेड था लेकिन अब उसको २०० से ३५० का कर दिया गया है। अब वहां पर लड़कों की भर्ती के लिये बहुत काफी रश रहता है।

एक नई स्कीम जो इसी बजट में रखी गई है वह दो गोसदन खोलने की स्कीम है। एक गोसदन मलगांवां में खोला जायगा जो कि इटावा में है और दूसरा गर्गिया सीत में जो कि नैनीताल में है। इन गोसदन का खोलने का मतलब यह है कि जो बेकार जानवर हमारे यहां हैं वे वहां रखे जायंगे। जिन जानवरों को मालिक बेकार समझते हैं और किसी तरह से स्लाटर हाउस (कील घर) नहीं भेजना चाहते हैं तो इस तरह के बेकार जानवरों के लिये ये गोसदन खोले गये हैं। इसका कारण यह है कि हमारे यहां जो चारा है वह अच्छे और कारगर जानवरों के लिये ही नाकाफ़ी है और इन बेकार जानवरों के रहने से उस चारे पर और ज्यादा बोझ पड़ जाता है तो वह बोझ इन जानवरों के गोसदन में चले जाने से कम हो जायगा और वह अच्छे और दुधारु जानवरों के काम में आ सकेगा। जो लोग अपनी भैंस या बैल या गाय को किसी के हाथ बेचना पसन्द नहीं करते तो उनको चाहिये कि वे हमारे अफसरों को दे दें तो उनको वहां गोसदन में पहुंचा दिया जायगा और हमारे सूबे पर चारे का बोझ भी कम हो जायगा और किसी तरह से उनकी हिन्सा भी वहां पर नहीं होगी, उनकी स्वाभाविक मृत्यु होने के बाद उनकी हड्डी और जो चमड़ा होगा उसका एक्सपर्ट के जरिये से इन्तजाम कराया जायगा। चमड़े की टैनिंग की जायगी जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिये एक उपयोगी चीज है। इन शब्दों के साथ मैं सदन से दरख्वास्त करता हूं कि इस मांग को मंजूर किया जाय।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---श्रीमान् जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह चाहता हूं कि बजाय इसके कि मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करूं इस प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट को दे दी जाय।

उपाध्यक्ष---यह कटौती का प्रस्ताव आपके नाम पर है और उनके नाम पर नहीं है लेकिन मैं विशेष रूप से इस बात की आज्ञा देता हूं कि इस प्रस्ताव को पेश करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव नहीं दिया है वह भी कटौती का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं?

उपाध्यक्ष---इसीलिये मैंने यह कहा कि माननीय सदस्य जिनके लिये इजाजत चाही जा रही है उनके नाम से प्रस्ताव नहीं है परन्तु वह उसी पार्टी के हैं और उसी पार्टी के सदस्य ने यह प्रस्ताव दिया है। इसलिये मैंने उनको विशेष रूप से इस प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत दी है।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)---श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय। श्रीमन्, अभी हमारे सामने माननीय मंत्री ने पशुओं की संख्या बतलाई, इससे मालूम होता है कि भारतवर्ष में पशुधन जो है वह काफी तादाद में है। जिस वक्त खेती विकास के अनुदान पर वाद विवाद हो रहा था उस समय मैंने चाहा था कि बोलूं लेकिन मौका नहीं मिला। यह खेती का जो विकास है

उसके लिये पशुधन की रक्षा करना और उसमें डेवलपमेंट करना और पशु चिकित्सा का प्रबंध करना बहुत आवश्यक है । यह खेती के लिये ही आवश्यक नहीं है, बल्कि जिन्दगी के लिये भी अत्यन्त आवश्यक है । लेकिन मैं यह समझता हूं कि पशुपालन और पशु चिकित्सा की जो आज अवस्था है वह बहुत शोचनीय है । माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में अभी बहुत कुछ कहा है । मैं आशा करता हूं कि अगर इसकी तरक्की की गई तो भविष्य में देश का बहुत लाभ हो सकता है । लेकिन इस वक्त पशुओं की जो स्थिति है वह शोचनीय है । मैं अपने पहाड़ी परगनों की ओर अपने जिले की हालत बतलाऊंगा । वहां खेती बाड़ी और पशु-पालन दो ही साधन हैं और पर्वतों के शिखरों पर बहुत सी भेंडें पाली जाती हैं । वहां का यही मुख्य व्यवसाय है, लेकिन हम वहां देखते हैं कि कोई साल ऐसा नहीं जाता कि जब वहां हजारों की तादाद में भेंड़े बीमारी से नहीं मरतीं और साथ ही बहुत से पशु-गाय, भैंस वगैरह भी सैकड़ों की तादाद में हर साल बीमारी से मर जाती हैं । उनका कोई इलाज नहीं हो पाता है। अभी हाल में कार्तिनगर में पशु की बीमारी हुई है और उस तरफ के एम० एल० ए० ने वहां के पशुचिकित्सा के जो इन्चार्ज हैं उनको भी पत्र लिखा कि इस तरफ़ ग़ौर किया जाय, लेकिन खबर मिली है कि जब वहां बहुत से पशु खत्म हो गये उसके बाद वहां इलाज के लिये मैटरनिटी कम्पाउण्डर पहुंचे । हमारे यहां भी पशु की बीमारी बहुत जोर से फैली हुई है । वहां पर एक पशुओं के चिकित्सक भी हैं लेकिन उनके पास कोई साधन और औषधि नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि पशु चिकित्सालायों की तादाद बहुत कम है और इतनी तादाद से पशुओं की रक्षा नहीं हो सकती है । इसके अलावा दवायें भी अस्पताल में नहीं रहती हैं । हमारे जिले में पशुओं को रेण्डरपेस्ट की बीमारी हुआ करती है । इस की ख़ास वजह यह है कि जंगल विभाग की तरफ से गूजर लोगों को वहां पशु लाने की इजाज़त दी जाती है और उनसे पैसा लिया जाता है । उन गूजरों के जानवरों में हर तरह की बीमारी रहती हैं और जिस वक्त वे आते हैं और जिस वक्त वापस जाते हैं वे तरह-तरह की बीमारियां हमारे यहां फैलाते जाते हैं । इसलिये भी हमारे यहां पशुओं की हालत बहुत खराब है । मैं मंत्री जी से और फ़ारेस्ट मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसी व्यवस्था करा दें कि जब भी परमिट दिया जाय तो उसमें यह शर्त हो कि ऐसे पशुओं को इजाज़त न दी जायगी जिनको किसी तरह की भी बीमारी हो और अगर भेजा जाय तो उनको टीका या इञ्जेक्शन दिया जाय। यह चीज बहुत ज़रूरी है ।

नस्ल के बारे में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा नस्ल ज़रूर सुधारना चाहिये । मैं यहां पर आप के नोटिस में यह चीज लाना बहुत ज़रूरी समझता हूं कि हमारे उत्तर काशी टाउन एरिया में सांड मँगाये गये हैं और उन पर काफी खर्च किया जा रहा है और बहुत अच्छी तरह से उसको पाला जा रहा है, लेकिन वह पशुओं के ब्रीडिंग करने में नाकामयाब हो रहा है । बहुत रुपया खर्च करके वे हिसार या हरियाना से मंगवाये गये हैं। उसके साथ के एक दो तो मर गये हैं और उस पर टाउन एरिया कमेटी खर्च कर रही है, लेकिन अभी तक वे पशुओं के ब्रीडिंग के काबिल नहीं है । इसलिये सरकार को परिस्थिति देख कर जिलेवार सांड भिजवाना चाहिये । अगर बिना परीक्षा करके भेजे जायंगे तो उनसे कोई लाभ नहीं होगा ।

इसके अलावा मैं आशा करता हूं कि सरकार प्रत्येक पंचायत में या पट्टी के केंद्र में ऐसी व्यवस्था करेगी कि पशुओं की बीमारी की दवा हर पट्टी में मिल सके या ऐसा प्रबन्ध हो कि हर पंचायत में या पट्टी में एक एक कम्पाउन्डर ही रहें या जो ग्राम पंचायतों के सदस्य हैं उन्हीं को इस प्रकार की थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाय। रेण्डरपेस्ट वग़ैरह जो गाय भैंसों की बीमारी और महामारी होती हैं जिनको हमारे यहां गौरोड़ा कहते हैं उस बीमारी को दूर करने की ट्रेनिंग देनी चाहिये ताकि उसको रोका जा सके । अब चूंकि समय कम है, इसलिये मैं इतन कह कर समाप्त करता हूं।

श्री केशव गुप्त (ज़िला मुजफ्फ़रनगर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष, मैं माननीय मंत्री जी को और उनके इस विभाग के कर्मचारीवर्ग को बधाई दिये बगैर नहीं रह सकता कि इस विभाग के काम ने इस थोड़े से

[श्री केशव गुप्त]

असें में काफ़ी तरक्की की है । यह मसला एक बहुत बड़ा मसला है । हमारे देश में दूसरे देशों से पशु संख्या बहुत ज्यादा है और हमारा देश और कृषि प्रधान देश है । लेकिन इस देश के अन्दर सिर्फ़ ५ या ६ आउंस दूध पर कैपिटा (प्रति व्यक्ति) पीने के लिये मिलता है और जो दूसरे देश हैं जहां पशुओं की संख्या भी कम है और जो मांसाहारी भी कहे जाते हैं वहां फी आदमी १६ औंस और ३२ औंस और इससे भी अधिक दूध पीने के लिये मिलता है । तो यह हमारी दशा शोचनीय है और हमें इसका उपाय सोचना चाहिये । इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है । जितना भी ज्यादा रुपया इसके लिये रखा जाय वह अच्छा ही होगा

एक बात मुझे आप से यह कहनी है कि आपने अस्पतालों में दवाइयों के लिये जो रुपया रखा है वह बहुत ही कम है । वह कुल डिपार्टमेंट के बजट का १/११ है और हम जानते हैं कि आपके अस्पतालों में दवाइयां कम हैं । आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिये । मुझे यह देख कर खुशी हुई कि आपने ऐसा भी प्रबंध किया है जिससे आर्टीफ़ीशल इनसैमिनेशन द्वारा हमारे यहां की गउओं की नस्लों को बढ़ाने की कोशिश की गई है । मैं आशा करता हूं कि आप का यह प्रयत्न सफल हो क्योंकि अगर इसमें कामयाबी होगी तो बहुत मुमकिन है कि मनुष्यों की नस्ल में भी कामयाबी हो सके, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है । दूसरे देशों ने इसमें काफ़ी उन्नति की है ।

(इस समय ४ बज कर १० मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आप को इस तरफ़ भी ध्यान देना है कि हमारे यहां सूखे पशुओं की संख्या बहुत अधिक है । एक-एक चप्पा जमीन हम जोतने की कोशिश कर रहे हैं, ऊसर जमीनों को तोड़ रहे हैं और दूसरी जो भी जमीन हमें इस काम के लिये मिल सकती है हम लेना चाहते हैं, पास्चोर लैंड्स (चरागाह) को तोड़ रहे हैं । इससे चरागाह कम होते जा रहे हैं और दूसरी ओर पशुओं की संख्या बढ़ रही है । इन दोनों बातों का आप कैसे सामञ्जस्य करेंगे ? यह कैसे हो सकेगा ? कि एक तरफ तो हम फूड प्रोडक्शन (खाद्य उत्पादन) के मसले को हल करें और तमाम जमीनों को काश्त में ले लें और दूसरी तरफ ड्राई कैटिल (दूध न देने वाले जानवरों) की भी संख्या हमारे देश में बढ़ती चली जाय ? तो इन दोनों का कोआर्डिनेशन (सहयोग) आप कैसे करेंगे ? अगर आप इस पर प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा हो क्यों कि मैं समझता हूं कि जितनी ज्यादा संख्या ड्राई कैटिल की बढ़ेगी उनकी क्वालिटी भी गिरती जायगी । यह नहीं हो सकता है कि ड्राई कैटिल की तादाद बढ़ जाय और पशुओं की उन्नति भी हो । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब वे उत्तर दें तो इस बात का भी जवाब देने की कृपा करें कि इन दोनों बातों का सामञ्जस्य आप कैसे करेंगे ।

अन्त में मैं आप को फिर एक बार जो कुछ आपने किया है उसके लिये बधाई देना चाहता हूं । आपने अच्छी प्रगति की है । आपने विटैरीनरी (पशु चिकित्सक) अस्पताल भी खोले, लेकिन मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप और अस्पताल खोलें और उनमें अधिक से अधिक मात्रा में दवाइयां पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उससे उचित लाभ जनता उठा सके ।

श्री चरण सिंह—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, टेहरी गढ़वाल से जो माननीय सदस्य आये हैं उनकी यह शिकायत है कि मैदान से जो जानवर उनके यहां जाते हैं वे मैदान से रोग ले जाते हैं जिससे वहां पर रोग का इनफेक्शन फैल जाता है जिसकी वजह से पहाड़ों में बहुत से जानवर मर जाते हैं और गरीब किसानों को बहुत हानि होती है । नीचे से जानवरों के जाने, रोग ले जाने और उसके वहां फैलने की बात बिलकुल ठीक है । लेकिन आज कल यह नहीं हो रहा है । पहिले ऐसा हुआ करता था। लेकिन तीन सालों से कालसी में चकराता को जो मवेशी जाते हैं उनके प्रोफीलेक्टिंग एक खास क़िस्म का वेक्सीनेशन लगाया जाता है । इस का प्रबंध तीन साल से है और अब वे वहां रोग नहीं ले जा सकते । एक साल से ऋषिकेश में भी प्रबंध कर दिया गया है । वहां से जो मवेशी लक्ष्मण झूला हो कर टेहरी गढ़वाल जाते हैं उनका भी वेक्सीनेशन ऋषिकेश में होता है । माननीय सदस्य इसकी

तहकीकात कर लें । अगर इस वर्किंग में कहीं नुक्स हों तो मुझे वे बता दें, मैं उनको सुधारने की कोशिश करूंगा।

इसके अतिरिक्त दूसरे सदस्य श्री केशव गुप्त जी ने यह कहा कि हमारे यहां जानवरों की आबादी बहुत ज्यादा है । स्कीम बहुत अच्छी है और इसको अधिक फैलाया जाना चाहिये । जितना गुड़ पड़ता है उतना ही मीठा होता है । रुपया हमारे पास बहुत कम है लेकिन जितना भी आप लोग इस विभाग के लिये देते हैं उससे मेरी कोशिश यही है कि अधिक से अधिक काम किया जाय । हमारे विभाग के जो कर्मचारी हैं, खुशकिस्मती से वे अच्छे सेवक हैं और उन सब की कोशिश यही है कि हमारे विभाग का काम दिन दूना रात चौगुना हो। पैदावार बढ़ाने का एक साधन यह भी होता है कि किसान की गाय और बैल तथा भैंस दुधारू और खूबसूरत हों। जिस किसान के बैल देखने में कमजोर होते हैं वह किसान दरिद्र होता है । किसान के लिये गाय बैल का अच्छा होना बहुत जरूरी है । इन शब्दों के साथ मैं फिर अपनी पहिली दरख्वास्त करता हूं ।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट—माननीय कृषि मंत्री जी से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने जो यह कहा कि तीन साल से यह बात नहीं है लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि बीमारी फैल रही है । रिपोर्ट चाहे जो कुछ हो, लेकिन मैं जिस भाग से आ रहा हूं अगर वहां की आप रिपोर्ट मांगे तो आप को वस्तुस्थिति का पता लग जायगा। यह हो सकता है कि ऐसी व्यवस्था की गयी हो लेकिन यह मुमकिन है कि इंतजाम करने वालों ने बिना टीके लगाये उनको जाने की इजाजत दे दी हो लेकिन यह जरूर है कि बीमार पशु हो जाते हैं और उनसे वहां पर बीमारी फैली है। अब आयन्दा साल देखना है। कि यह व्यवस्था ठीक होती है या नहीं। इस वक्त तो जो हो गया सो हो गया लेकिन दूसर साल से हम आशा करते हैं यह व्यवस्था ठीक हो जायगी।

उधर कुछ बड़े-बड़े मैदान भी हैं जिनमें शीप ब्रीडिंग (भेड़ पालन) का काम भी हो सकता है और बड़ी तरक्की से हो सकता है । इन चन्द शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४ पशु चिकित्सा (लेखा शीर्षक ४१ पशु चिकित्सा) के अन्तर्गत १, ०६, ३५, ००० रुपया स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—माननीयअध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या —नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान (लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण—कार्य) के अन्तर्गत ३८,०१, ४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि डिटेल्ड एस्टीमेट (विस्तृत प्राक्कलन) से जाहिर होता है यह मांग सड़कों की वर्किंग और ड्रेनेज वगैरह के लिये लोकल बाडीज के लिये है। इसमें कोई खास बात नहीं है जिसका यहां कोई जिक्र करने की जरूरत हो सिवा दो बातों के ।

एक तो यह है कि इसमें तीन लाख रुपया तो लखनऊ की सड़कों के लिये रखा गया है जिससे वे इलाके जो म्युनिसिपल बोर्ड और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अन्दर आये हैं उनकी सड़कों को ठीक किया जा सके । सबसे महत्त्व की चीज जो इस मांग में है वह यह है कि बनारस के घाटों के लिये इसमें चार लाख रुपया रखा गया है । बनारस के घाट जैसा कि आप सब जानत हैं बहुत पुराने हैं, उनकी काफी मरम्मत की जरूरत है । एक घाट तो मीराबाई घाट है और दूसरा आनन्दमयी घाट है । उनकी मरम्मत के लिये दस लाख रुपये की जरूरत है। गवर्नमेंट

[श्री मोहनलाल गौतम]

ने इस पर विचार किया और जब दूसरे लोगों ने यह विश्वास दिलाया कि आधी रकम उनको और मिल जायेगी तो ५ लाख रुपये की व्यवस्था इसमें रखी गयी है। पांच लाख में से एक लाख तो पिछले वर्ष ही दिया जा चुका है, चार लाख इस साल के बजट में है। एक लाख पिछले साल खर्च हो चुका है और चार लाख यह तथा दूसरे पांच लाख मिला कर दस लाख रुपये में दोनों घाटों की मरम्मत अच्छी तरह से हो जायगी, ऐसी आशा की जाती है। बाकी तो हर साल जैसा कि होता है, सड़कों वगैरह के लिये होता रहेगा इसमें कोई खास बात कहने की जरूरत नहीं है (जिला नैनीताल) इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का पेश करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता तो यही था कि ३४ रुपया की कटौती का प्रस्ताव करूं लेकिन फिर भी मैं आपकी आज्ञा से एक रुपया की कटौती का प्रस्ताव करता हूं। लेकिन यदि बजट को देखा जाय और हिसाब को जोड़ा जाय तो म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत १२,०६६ रुपये जोड़ होता है। माननीय मंत्री जी कृपया अंग्रेजी बजटके वाल्यूम दो के पेज १३९ पर देखने की कृपा करें।

अध्यक्ष—पहले आप यह कहें कि मैं प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री द्वारा पेश किये गये अनुदान में एक रुपये की कमी कर दी जाय।

तो पृष्ठ १३९ पर जो टोटल है वह १२,०६६ है लेकिन यहां पर इसमें १३,००१ रुपये लिखे गये हैं तो इस तरह से यह ३४ रुपये कम होने चाहिये और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस गलती को स्वीकार कर लेंगे और इसको साथ ही साथ ठीक कर लेंगे।

दूसरी चीज जो बहुत ही एतराज की है वह यह है कि जो स्थानीय इकाइयां हैं लोकल बोर्डस, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरियाज आदि उनके लिये जो ग्रांट रखी गई है वह इतनी कम है कि अगर न रखी जाती तो अच्छा था। दो तीन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को रुपया दिया गया। एक को ७६१, दूसरे को५४००, और तीसरे को २८१ रुपया। अल्मोड़ा जिले के डाक बंगलों के लिये ५४०० रुपया दिया गया है। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है और जिलों की तो बात ही क्या अल्मोड़ा जिसको दिया भी गया है वहां के लिये भी यह ग्रान्ट कोई अर्थ नहीं रखती। जहां टाउन एरिया कमेटीज के लिये ५०,००० रुपया रखा गया है वह उत्तर प्रदेश के टाउन एरियाज को किस तरह से बांटा जायगा। पचास पचास और पचहत्तर पचहत्तर रुपये उनके हिस्से में आवेंगे और ७५ रुपये अगर हर एक टाउन एरिया के सिविल वर्कस के लिये रखे गये हैं तो फिर क्या काम हो सकता है? यह सोचने की बात है।

सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि इस ग्रांट के अन्दर सन् १९५०—५१ में सड़कों को सुधारने के लिये और बाढ़ों से टूट फूट, सड़कों और इमारतों की मरम्मत के लिये लोकल बाडीज को ३,२९,२७९ रुपया दिया गया था। १९५१ ५२ में यह रुपया पांच लाख कर दिया गया लेकिन १९५२५३ के लिये उसको जीरो रखा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी लोकल बाडोज इस नागरिक निर्माण कार्य के लिये क्या कर सकती हैं। पर्वतीय मार्ग जिसमें नैनीताल का जिक्र है उसके लिये उसके हिल साइड रोड्स और ड्रेनेज के लिये ३,००० रुपया रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो नैनीताल की जो झील है उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। चाइना पीक और तमाम किनारों के पहाड़ों से मिट्टी गिर गिर कर भरती चली जाती है। कुछ इंजीनियरों का यह कहना है कि कुछ सालों के बाद यह ताल पहाड़ को मिट्टी से भरता चला जायगा, झील उथली हो जायगी और बाद में पानी भी सूख जायगा और पिछले साल पानी कम रहा भी है। अगर नैनीताल को जिन्दा रखना है और कहा जाता कि करोड़ों रुपया यहां खर्च हो गया है तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह इस समस्या पर ध्यान दें।

इसी तरह आगे आइटम 'बी' पर बिहार के पालामऊ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को १,५०० रुपये की ग्रांट दी जा रही है ताकि वह मिर्जापुर जिले की कोई सड़क की मरम्मत करा दें। क्या मिर्जापुर में कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं है कि बिहार के पालामऊ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को रुपया दे दिया गया कि तुम मिर्जापुर की सड़क की मरम्मत करो । क्या यह नहीं हो सकता था कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह रुपया दे दिया जाता कि तुम अपनी सड़क की मरम्मत कर लो।

इसके साथ ही साथ किसी भी टाउन एरियाज के सिविल वर्क्स के लिये कुछ भी इस बजट में नहीं है। लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को ३ लाख रुपया दे दिया गया है और बनारस के दो घाटों के लिये ४ लाख रुपया की ग्रांट लिख दी गई है। लेकिन जहां पर सवाल आता है लोकल बाडोज का वहां पर यह स्पष्ट नहीं है कि वहां पर नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये क्या दिया जाने वाला है और इसलिये माननीय मंत्री जी जब अभी भाषण दे रहे थे तो मैं समझ रहा था कि वह बतलावेंगे कि कहां पर किस तरहसे यह धन दिया जायगा, लेकिन बड़ा दुःख है कि माननीय मंत्री जी ने इस पर कोई भी प्रकाश नहीं डाला। तो समय बहुत ही कम है। मैं चाहता था कि आप कुछ समय और देते ताकि मैं विस्तार पूर्वक बतलाता। पिछले साल लोकल बाडोज को सड़कें और इमारतें बनाने के लिये पांच लाख रुपया दिया गया था। इस साल बिलकुल नहीं दे रहे हैं। शायद इसके जवाब में मंत्री जी यह कहेंगे कि हमने इस साल ९ लाख रुपया उनको सड़कें बनवाने के लिये दिया है। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि ये सड़कें पहले सरकार के हाथ में थीं। इसलिये अगर आप नौ लाख लोकल बाडोज को दे रहे हैं तो यह कोई उन पर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं. बल्कि जो खर्चा पहले करते थे वही दे रहे हैं। इससे मैं समझता हूं कि लोकल बाडोज को बहुत नुकसान रहा है।

इसके साथ ही साथ अन्त में मैं फिर निवेदन करूंगा कि ३४ रुपये की जो गलती हिसाब-किताब जोड़ने में रह गयी है उसको भी कृपा करके मंत्री जी ठीक करवा दें।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय अनुदान जो सदन के समक्ष है उस पर मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं।

नागरिक निर्माण कार्य के सिलसिले में सरकारी ओर से जो सहायक अनुदान स्थानीय बोर्डों को दिया जाता है उस पर मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मैंने अब तक उत्तर प्रदेश के लगभग ५० जिलों का भ्रमण किया है और इस बात को मालूम किया है कि मेहतर बस्तियों पर इस धन को बिलकुल कम व्यय किया जाता है। उनके निर्माण कार्यों के लिये उनकी बस्तियों में पानी और रोशनी का प्रबंध करने के लिये, उनकी बस्तियों की सड़कें पक्की करवाने के लिये, इत्यादि इत्यादि। मेरे पास कई वर्षों से इस प्रकार की शिकायतें आ रही है और मैंने स्वयं जा कर वहां पर स्थिति का अध्ययन किया है। मिसाल क तौर पर मैं बतला देना चाहता हूं कि जिला फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, एटा, की शिकायत मेरे पास कई बार आयी कि वहां को म्युनिसिपैलिटी (नगरपालिका) शहर के और सब कुवों की सफाई करवाती है लेकिन मेहतरों के कुओं को छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार जलेसर से मेरे पास पीने के पानी के कुवें न होने की शिकायत आयी है। अभी मैं दो तारीख को शाहाबाद जिला हरदोई, से आया हूं। वहां पर भी इसी प्रकार की शिकायत है। वहां तीन कुवें बनवाये गये हैं लेकिन उन कुओं पर जितना धन व्यय किया गया है शायद उसका आधा भी उन पर खर्चा नहीं हुआ है। वह वें किसी ठेकेदार से नहीं बनवाये गये, आमानी ढंग से बनवाये गये हैं जो बिलकुल कमजोर हैं।

इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि सन् १९४७ के अगस्त की मेहतरजो इन्क्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर अब भी लोकल बाडोज (स्थानीय निकाय) उतनी सुविधाएं नहीं दे रही हैं। जब कभी मुझे जांच करने का अवसर

[श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि]

मिला, या मिलता है और मेहतर किसी प्रकार की हड़ताल करना चाहते हैं और मैं समझौते की बात करता हूं तो वहां के चेयरमैन और हेल्थ अफसरों से यह जवाब मिलता है कि हमारे बोर्ड के पास इतना धन नहीं है जो हम मेहतरों को सारी चीजें दे सकें । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पांच साल के पश्चात् भी वे मेहतर भाई जो कि संसार में जितनी जातियां हैं उन सबसे पिछड़े हुये हैं और मैं कहना चाहता हूं कि जो ऐसी गंदगी साफ करने का काम करते हैं, पेट भर खाना नहीं पाते । शाहबाद, हरदोई जिला, में मेहतरों की एक मीटिंग हुई। वहां मेहतर स्ट्राइक (हड़ताल) की तैयारी कर रहे थे । पहले कम्पोस्ट (मिश्रित खाद) का काम करने वाले मेहतरों को एक रुपया फी खंती खादी करने का मिलता था, लेकिन दो मास से वह भी बन्द हो गया है ।.इसलिये मेहतरों ने वह काम बन्द कर दिया । तब उन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया । मैंने जब वहां जाकर जांच की और लिखित रूप से प्रश्न किये बोर्ड के सामने, तो मुझे कल ही शाहाबाद के मेहतरों ने लिखित रूप से शाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का जवाब लाकर दिया । उसमें लिखा था कि गवर्नमेंट की ओर से हमें इस प्रकार के काम कराने के लिये जो रुपया मिलता था जब से वह बन्द हो गया तब से हमने मेहतरों को जो हम देते थे वह बन्द कर दिया । इसलिये मैं यह सुझाव देता हूं कि जितनी रेकरिंग या नान रेकरिंग (आवर्तक या अनावर्तक) सहायता स्थानीय बोर्डों को दी जाती है वे कुछ बढ़ा दी जाय जिससे कि वह इस तरह की शिकायत न कर सकें कि हमारे पास धन नहीं है ।

मैं तो बतलाना चाहता हूं कि जहां तक मैंने अध्ययन किया है वह शिकायत बहाना मात्र है। वह चाहें तो दे सकते हैं और यह भी बतला देना चाहता हूं कि वहां पर इस ओर तवज्जह करने वाला कोई नहीं है और लोकल बोर्डस् के चेयरमेन और अधिकारी मेहतरों के अधिकारों के निमित्त बिलकुल सोये हुए है। मेहतरों के लिये कोई भी तैयार नहीं है कि उनकी ओर ध्यान दिया जाय लेकिन जहां पर कुछ लोगों ने कुछ आंदोलन किया है, गलत या सही कदम उठाया है तो वहां वह देने के लिये तैयार हो जाते हैं। इसी के सम्बन्ध में निवेदन करता हूं कि पिछले महीने से जून से अमरोहा में हड़ताल चल रही है। इसलिये मैं अन्तिम प्रार्थना करूंगा कि और एक सुझाव के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि एक इस प्रकार की कमेटी बनाई जाय जो प्रदेश के लोकल बोर्डों की जांच करके अपनी रिपोर्ट दे और मेहतरों की कठिनाइयों की जांच की जाय ।

अन्त में मैं धन्यवाद देता हुआ अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

श्री विश्वम्भरनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय स्वशासन मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, हालांकि मेरा हृदय धन्यवाद देने के पक्ष में नहीं है ।

जैसा कि आप जानते हैं कि नगर हमारे सारे जीवन का, प्रादेशिक जीवन का, केन्द्र होता है। वहीं से संस्कृति की धारा, साहित्य की धारा, स्वास्थ्य की धारा और अन्य प्रकार की धारायें प्रसारित होती है। किन्तु नगरों की आजकल हमारे यहां उतनी बुरी हालत है कि अगर हम यह कहें कि लोगों को जो बुनियादी सुविधायें मिलनी चाहियें वह भी हमारे अच्छे से अच्छे नगरों को प्राप्त नहीं हैं तो अनुचित न होगा। हमारे नगर विदेशों के यूरोप के या अमरीका के नगरों की अपेक्षा, अगर आप तुलना करें, तो वे उस तुलना में कहीं भी ठहर नहीं सकते। आप यूरोप के और अमरीकन नगरों को देखिये कि ऐवेरेज (औसत) में जो वहां पानी ६० गैलन प्रति व्यक्ति मिलता है हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा ३५ या ३७ गैलन पानी मिल पाता है । किसी किसी म्युनिसिपलिटी (नगरपालिका) में ३७ गैलन और जिस नगर का मैं रहने वाला हूं, इलाहाबाद का, वहां पर ३५ गैलन पानी प्रति व्यक्ति मिलता है।

आप और सुविधाओं को देखें, ड्रेनेज को लें। हमारे नगरों में ड्रेनेज जैसी चीज नाम मात्र को है। अभी हमने सन् १९४८ में इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी में काम्प्रेहेंसिव ड्रेनेज स्कीम (विशद जल-निकास योजना) तैयार करायी। उसके एक हिस्से की पूर्ति में अनुमानित व्यय ८० लाख रुपये का आया और म्युनिसिपैलिटी के लिये जो पूरी काम्प्रेहेंसिव ड्रेनेज स्कीम है उसका तखमीना १ करोड़ २० लाख रुपये के बैठता है। अब यह १ करोड़ २० लाख रुपया कहां से आवे? कहां से क्या हो यह हमारी समझ में नहीं आता। पानी वितरण की जो योजना लोकल सेल्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने पिछली बार बनाई, सेकेंड रिआर्गेनाइजेशन स्कीम (दूसरी पुनर्संगठन योजना) वह २ लाख ४५ हजार व्यक्तियों के लिये थी।

अभी उनकी वह स्कीम सम्पूर्ण रूप से पूरी भी नहीं हुई, वह १९५४ में पूरी होगी। लेकिन कैफियत यह है कि २ लाख ४५ हजार के बजाय जन संख्या साढ़े तीन लाख हो गयी। जो उनकी स्कीम थी, आबादी उसकी बाई-पास (उल्लंघन) कर गयी। उनकी स्कीम वहीं है। लेकिन अब तीसरी स्कीम का प्रश्न आ गया है। सवाल यह है कि जो स्कीम बनाने वाले हैं, जो इंजीनियरिंग विभाग से संबंध रखते हैं, उनको यह देखना चाहिये कि अगले २० या २५ वर्षों में कितनी आबादी बढ़ सकती है। उस हिसाब से अगर वह अपनी स्कीम बनायें तो वह ज्यादा लाभदायक और मौजूं होगी वर्ना नतीजा होगा कि स्कीम अपनी जगह पर रह जायेगी और शहर की आवश्यकतायें आगे बढ़ जायेंगी।

इसी तरह से मैं सड़कों के संबंध में अर्ज करना चाहता हूं। इलाहाबाद म्युनिसिपैलटी को सन् १९४९-५० में १ लाख ४१ हजार १७५ रुपये की ग्रांट मिली, सन् १९५०-५१ में २ लाख १२ हजार ५ सौ रुपय की ग्रांट मिली और सन् १९५१-५२ में १ लाख ८५ हजार की ग्रांट मिली। कहा यह जाता है कि सड़कों के लिये सरकार ग्रांट देती है लेकिन मैं यह अर्ज करूं कि इस ग्रांट का एक इतिहास है। सन् १९३५ तक मोटर वेहेकिल्स के मातहत जितना टैक्सेशन (करारोपण) का रुपया आता था वह स्थानीय लोकल बाडीज को मिल जाता था। उसके बाद आपने उसको बन्द कर दिया। उस वक्त मोटर वेहेकिल्स टैक्जेशन से हमें कुल २९ हजार रुपया मिलता था। सन् १९४१ में यहां से एक सरकारी आज्ञापत्र गया। उसमें हमको यह बताया गया कि चूंकि अब मोटर वेहेकिल्स रजिस्ट्रेशन का रुपया गवर्नमेंट में जमा हो जाता है लिहाजा हम रोड्स के वीयर एंड टीयर (अपकर्षण) के लिये ग्रांट (अनुदान) देते हैं। उसके बाद जब हमने उनसे अर्ज किया कि साहब यह वीयर एड टीयर बहुत ज्यादा होता है और आप ने रुपया कम रखा है तो हमें बताया गया कि यह रुपया मोटर टैक्जेशन के एवज में दिया जाता है। यह क्या बात हुई, एक तरफ एक बयान दिया और दूसरी तरफ दूसरा बयान दिया। आजकल मोटरों की तादाद इतनी ज्यादा हो गयी है कि उसके टैक्स से बहुत काफी रुपया हमें हर साल मिल सकता है। मैं समझता हूं कि जहां तक रोड ग्रांट का सवाल है, वह निहायत नाकाफी है। वह इससे ज्यादा होना चाहिये।

जहां तक ड्रेनेज स्कीम को कार्यान्वित करने के सुझाव का सवाल है, ८० लाख रुपया आपकी ओर से हमें नहीं दिया जा सकता। इतना रुपया आप कितनी म्युनिसिपैलिटियों को देंगे? मेरा सुझाव यह है कि ड्रेनेज स्कीम के लिये आप किसी को कांट्रेक्ट (संविदा) दे दें और कांट्रेक्ट देने के बाद म्युनिसिपैलिटीज खासतौर पर एक टैक्स लगा दें, जो ड्रेनेज के लिये हो और वह टैक्स उस फ़ाइनेन्सर (वित्ताध्यक्ष) को मिलता रहे। नतीजा यह होगा कि फ़ाइनेंशल कारपोरेशन इस चीज को हाथ में ले सकता है और बिना म्युनिसिपैलिटीज को अनुदान दिये हुये हर नगर में ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो सकता है। मैं समझता हूं कि पिछले दिनों मद्रास के सामने यही प्रश्न था और मद्रास वाले यही करने की सोच रहे हैं। इस लिये गवर्नमेंट से मैं यह फिर कहना चाहता हूं कि यहां पर भी यही कर दिया जाय कि प्राइवेट ऐजेंसीज (असरकारी अभिकरण) रुपया लगायें, ड्रेनेज बनायें और टैक्स से जो रुपया आये उसको उतने अर्से तक

[श्री शिवम्भरनाथ पांडेय]

लेती रहें जब तक उसका क़र्ज़ अदा न हो जाय। इस प्रकार ड्रेनेज भी बन जायगा और उनके रुपये की अदायगी भी हो जायगी। अगर यह चीज की जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत आसानी हो सकती है।

इसी तरीके से वाटर मेन्स के फैलाव के लिये, जिस तरीके से केन्द्रीय सरकार के मंत्री ने टेलीफोन लगाने के लिये कहा था कि जो लोग लगाना चाहें वह एक रक़म जमा कर दें, उसी तरह से यहां भी यह कर दिया जाय कि जो लोग अपने यहां जल के मेन और नल लगाना चाहें वे एक रक़म जमा कर दें। उस रक़म के जमा करने से बहुत काफी पैसा आ सकता है। इससे जल के मेन्स का विस्तार हो सकता है। हिसाब चुकता होने तक लोगों का वाटर टैक्स ऋण अदायगी में मुजरा किया जा सकता है। लोकल बाडीज (स्थानीय निकायों) के काम को अंजाम देने के लिये ऐसे कई तरीके काम में लाये जा सकते हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय मेरे स्थान से जहां का मैं निवासी हूं और जहां से चुनकर आया हूं विशेष संबंध रखता हूं इसलिये, इसमें मैं आवश्यक तो यह समझता था कि मुझे इतना समय मिल जाता कि मैं पूरे तरीक़े पर इस पर प्रकाश डाल सकता, परन्तु चूंकि सदन का समय बहुत कम है इसलिये मैं मोटी मोटी बातों पर संक्षेप में अपने विचार प्रकट करूंगा और माननीय स्वशासन मंत्री जी से आशा करूंगा कि वह मेरी उन आवश्यकताओं पर जो मैं इस समय सदन के सामने प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ हूं विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इस बजट में तो खासतौर से इन कार्यों के लिये कोई विशेष प्रोविजन नहीं है, लेकिन यदि वह परिवर्तन कर सकें तो मैं आशा करता हूं कि अवश्य करेंगे।

आज नागरिक निर्माण विभाग के लिये जो एक हमारे सामने अनुदान आया है उसमें घाटों के लिये कोई विशेष रक़म नहीं रखी गयी है। मैं राम गंगा नदी के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का रहने वाला हूं। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं उस क्षेत्र के लगभग बीस गांव ऐसे हैं जो प्रति वर्ष रामगंगा नदी की मामूली बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं और उनके घर दो महीने के अन्दर नदी के इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं। मैंने गत वर्ष डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मुरादाबाद के जरिये गवर्नमेंट के पास एक सुझाव भेजा था कि इस क्षेत्र के रहने वालों के लिये जिनके खेत राम गंगा नदी के उस पार हैं और जिनके निवास स्थान वह इस पार हैं कृपा करके एक घाट यहां पर बनवा दिया जाय। मैंने बोर्ड से रिकमेंड (सिफारिश) करा कर प्रान्तीय सरकार को भिजवाया था, लेकिन प्रान्तीय सरकार की ओर से निराशाजनक उत्तर मिला। मैं जानना चाहूंगा अपनी सरकार से कि क्या इस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोगों को मनुष्य नहीं समझा जाता? क्या वहां की यह आवश्यकता दूसरी आवश्यकताओं के मुकाबिले में जरूरी नहीं समझी जाती? जो लोग बेघर हो जाते हैं, जिनकी जमीनें उनके जीवन का सहारा होती हैं वे नदी की भेंट हो जाती हैं, उनके लिये क्या एक घाट का भी प्रबंध नहीं किया जा सकता है? उनके रास्तों में नालाब बन जाते हैं, गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं उनका भी क्या कोई इन्तजाम नहीं हो सकता? मुझे तो इस पर आश्चर्य हुआ। इस अनुदान में एक जगह जिक्र किया गया है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की सड़कों के सुधार के लिये इस वर्ष बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। तो कितने आश्चर्य की बात है। अभी जो हमने इससे पहले अनुदान पास किया है उस अनुदान में मुर्गी पालन विभाग के लिये तो एक लम्बी चौड़ी रक़म हमने स्वीकार की है। सरकार ने मुर्गियों के पालन को तो आवश्यक समझा परन्तु उस क्षेत्र के निवासियों को, वहां के मनुष्यों को जो प्रतिवर्ष एक प्राकृतिक प्रकोप के शिकार बनते हैं उनके रास्तों की और उनके क्षेत्र के दूसरे सुधारों के लिये आवश्यकता नहीं समझी और कोई प्रोविजन (उपबंध) रुपये का नहीं रखा। तो यह एक

ऐसी बात है जिसको सुन कर कम से कम मुझ ऐसे आदमी के हृदय को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है और मैं यह समझता हूं कि उस क्षेत्र के लोगों को जो कि इस तरह से बाढ़ के शिकार बन जाते हैं बिलकुल दृष्टि से ओझल किया जा रहा है ।

चूंकि समय की कमी है इसलिये मैं सब बातों को एक संक्षिप्त रूप मे अपने माननीय मंत्री जी तक पहुंचाना आवश्यक समझता हूं । म्युनिसिपल बोर्ड का जहां तक ताल्लुक है मेरे पूर्व वक्ता ने बतलाया कि क़रीब क़रीब सब म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरिया के रहने वाले जो हरिजन और दूसरे पिछड़े लोग हैं उनके मुहल्लों में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं दिखायी देता । जब म्युनिसिपल बोर्ड के सामने सुझाव रखे जाते हैं तब उत्तर यह मिलता है कि रुपया नहीं है । तो इस ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । म्युनिसिपल बोर्ड, मुरादाबाद, ने इस रुपये की कमी को पूरा करने के लिये घास बेचने वाले, कुट्टी बेचने वाले और उपले बेचने वाले ग़रीब लोगों पर महसूल लगा रखा है । जब हमने इस बारे में म्युनिसिपल बोर्ड से कहा तो जवाब मिला कि हमारे पास रुपये की कमी है इसलिये हमने चारा बेचने वालों, घास बेचने वालों, उपला बेचने वालों एवं कुट्टी बेचने वालों पर टैक्स लगाया है । अब मैं आशा करता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी मैंने जो सुझाव रखे हैं उसको ध्यान में रख कर भविष्य में कुछ न कुछ उनके संबंध में अवश्य करेंगे।

श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट (जिला ननीताल)—अध्यक्ष महोदय, में कटौती के प्रस्ताव का तो समर्थन कर रहा हूं लेकिन प्रस्तावक की दलीलों का नहीं । मेरी अपनी दूसरी ही दलीलें हैं कल ऐसा हुआ कि अखबारों में खबरें ग़लत छपीं । कटौती का जो प्रस्ताव आया है उस पर सभी बोलने वाले प्रस्तावक का समर्थन करते चले जाते हैं । उनकी बातों का समर्थन नहीं कर रहा हूं केवल उनके कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं।

मुझे कोई शिकायत मंत्री महोदय से या उनके मुहकमे से इस बात की नहीं है कि किसी चीज की कमी क्यों की गयी है । मेरा तो अपना विश्वास है कि किसी म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये और खास कर बड़े बोर्डों के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने पैरों पर खड़े हों । अपने यहां वे इस तरह से टैक्सेशन करें और इतना अच्छा प्रबंध करें कि उनके पास इतना धन हो जिससे वे अपने नगर व ज़िले की उन्नति कर सकें । हां, कुछ विशेष कार्यों के लिये सरकार से सहायता पायें ।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा एक छोटी सी बात माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं और वह यह है कि छोटी छोटी हमारी कमेटियां हैं जो नोटिफाइड एरिया कमेटी और टाउन एरिया कमेटी कहलाती हैं, उनके पास इतना धन नहीं होता और उनका क्षेत्र भी सीमित होता है जिससे वे ज्यादा टैक्स भी नहीं लगा सकती हैं और दूसरे जराओं से भी वे कोई आमदनी नहीं कर सकती है । उनके पास कुछ बड़े बड़े काम भी होते हैं जैसे नगर में सड़कों का बनाना, अच्छी नालियों का बनाना तथा शिक्षा का प्रबंध करना इत्यादि । जो कुछ भी रक़म ५०,००० रुपये की टाउन एरिया कमेटियों के लिये रखी गयी है उसके संबंध में कहना यह है कि मेरे ज़िले नैनीताल में भी दो टाउन एरिया कमेटियां हैं एक तो टनकपुर में और दूसरी एक छोटे से कस्बे जसपुर में। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जिस समय आप इस रक़म का अलाटमेंट (बंटन) करें तो कम से कम इन दोनों छोटी सी कमेटियों की तरफ भी आप का ध्यान जाय । जसपुर की कमेटी काफ़ी समय से चल रही है । मुझे दुःख होता है कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई ग्रांट आज तक इनको प्राप्त नहीं हुई है । मैं चाहता हूं कि जिस समय आप अलाटमेंट करें तो इनका विशेषरूप से ध्यान रखें। टनकपुर की कमेटी अभी बनी है । पहिले वहां पंचायत थी । उसके पास भी एक जमाने तक पैसा इकट्ठा नहीं हो सकेगा जिसको वह अपनी नगर का निर्माण करने में खर्च कर सके । टनकपुर अच्छा प्रदेश है । नैपाल से व्यापार का एक बड़ा केंद्र है । जाड़े के

[श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट]

मौसम में काफी तादाद में लोग आ जाते हैं । मेरी यह प्रार्थना है कि जब कभी इस रकम का अलाटमेंट करें तो इन दोनों कमेटियों की तरफ भी ध्यान रखें ।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, दो प्रकार की नुक्ताचीनी इसमें की गई है । एक तो यह कि म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी और नोटीफाइड एरिया कमेटी की हालत खराब है और बमुकाबले दूसरे मुल्कों के यह बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है जो साहबान यह बात कहते हैं उनकी राय से मैं सहमत हूं और मैं मानता हूं और मैंने स्वयं देखा है कि यहां की म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और गांव की सड़कों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वे तरक्की की मुस्तहक़ हैं और तरक्की होनी चाहिये । इसमें कोई दो रायें किसी की भी नहीं होंगी और अगर इसका हिसाब लगाया जाय तो कई करोड़ नहीं, बल्कि दसियों और सैकड़ों करोड़ रुपये की जरूरत होगी ।

सिर्फ वाटर वर्क्स को ही लें हमारे यहां ११६ म्युनिसिपैलिटीज हैं । उनमें से ३१ म्युनिसिपैलिटीज में तीन टाउन एरियाज में वाटर वर्क्स हैं । इस तरह से ८८ म्युनिसिपैलिटीज में वाटर वर्क्स नहीं है । अगर प्रत्येक वाटर वर्क्स के लिये ५,६ लाख रुपये का औसत लगाया जाय तो ४,५ करोड़ रुपया तो केवल वाटर वर्क्स के लिये ही चाहियें । फिर इसके अलावा देहाती इलाके में भी, खास तौर से पहाड़ी इलाक़ों में बहुत सी जगहों पर शुद्ध पानी की आवश्यकता है । सड़कों की हालत बहुत खराब है और ड्रेनेज की हालत बहुत खराब है । इसको लें तो १० करोड़ रुपये की जरूरत होगी । इन चीजों से मुझे कोई मतभेद नहीं है । जितना रुपया मिल जाय, जितनी जल्दी दुरुस्त हो सकें वही ठीक है । हमारी मजबूरी यही है कि जो थोड़ा बहुत रुपया है उसे ही इस समय ऐसे काम में लाया जा रहा है ताकि हमारे देश की दौलत बढ़े जैसे इरीगेशन और पावर । मेरे दोस्त विश्वम्भरनाथ पाण्डेय अपनी बात पर पुनः गौर कर लें । उन्होंने मिसाल दी है कि जिस तरह से टेलीफोन देने के लिये दो हजार रुपये लेने की व्यवस्था की गयी है केंद्रीय सरकार की तरफ से, उसी तरफ से पानी का कनेक्शन देने के लिये भी ऐसी व्यवस्था कर दी जाय । मैं उनसे फिर दरख्वास्त करूंगा कि इस पर विचार कर लें । टेलीफोन एक ऐसी चीज है जिसे आदमी चाहे ले या न ले, उसकी मर्जी है, लेकिन किसी शहर में जलकर की व्यवस्था हो तो कुवें बेकार हो जाते हैं, उनकी मरम्मत नहीं होती । ऐसी अवस्था में पानी के ऊपर यह शर्त लगाना कि कोई आदमी जो पानी चाहता है उसको पानी न दिया जायगा जब तक कि वह एक खास रकम न दे दे यह कहां तक न्याय की बात होगी ? मैं कम से कम इस समय इससे सहमत नहीं हूं कि पानी का प्रबंध ठीक करने के लिये रुपया लिया जाय ॥

हरिजनों की बस्तियों का जहां तक संबंध है उसमें बहुत तरक्की की जरूरत है । उनकी नालियां, सड़कें और बिजली, पानी आदि जितनी भी चीजें हैं इनमें जितनी भी सुविधा उनको दी जाय वह थोड़ी है । परन्तु जितना हो सकेगा वह किया जायगा ।

मेरे मित्र नारायण दत्त तिवारी ने दो एक बातें कहीं । एक तो उन्होंने ३४ रुपये के हिसाब की बात वही । बजट में जो राउण्ड फीगर होते हैं उन्हीं को लिया जाता है । ५० से कम छोड़ दिया जाता है और ५० से ऊपर १०० गिन लिया जाता है । इस तरह अगर निकालने लगें तो सैकड़ों प्रोमीशन (छूट) उनको हिसाब में मिलेंगे । अगर ऐसी कमियों पर विचार होने लगे तब तो सारे फाइनेंस विभाग को अपनी राय बदलनी पड़ेगी और दूसरी किताब छापनी पड़ेगी । ६६ को अगर १०० मान लिया गया तो वह कोई ग़लती नहीं है ।

जहां तक छोटी छोटी रकमों का ताल्लुक है अल्मोड़े में इतने रुपये की ही जरूरत है । किसी स्कीम के तहत ही ये चीजें हैं । जो कमिटमेंट है जिसका प्राविजन गवर्नमेंट ने इसमें किया है । इसके मानी यह नहीं है कि नैनीताल या अल्मोड़े में कोई चीज नहीं मिलेगी । उन्होंने पूछा है लोन

(ऋण) क्या है । साफ लिखा हुआ है प्राण्ट्स इन एड । लोन का खाता बाद में आता है, उसमें लोन अलग होता ह । म उनकी इस ग़लतफ़हमी को दूर कर देना चाहता हूं।

इन अल्फाज के साथ मैं उन सब साथियों से उन तमाम दिक्कतों को महसूस करते हुये , उन के साथ हमदर्दी जाहिर करते हुये यह दरख्वास्त करता हूं कि यह मांग स्वीकार की जाय और यह विश्वास दिलाता हूं कि जितना भी हम इस संबंध में कर सकेंगे करने की कोशिश करेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—प्रादर्णीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ३४ रुपये की कमी का जो हवाला दिया उसको सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने कहा कि बहुत जगह बजट में ऐसी कमियां हो सकती हैं । मैं तो यह समझता हूं कि जो बजट हमारे सामने रखा हुआ है सैकड़ों कर्मचारियों, अच्छे से अच्छे एकाउंटेंट्स के हाथ से यह बजट तैयार होता है । अगर इस तरह से एक पाई की भी जोड़ या घटाने में ग़लती हो तो सरकार उसके लिये जिम्मेदार है ।

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने कहा ग़लती नहीं है। राउंड फीगर करने के लिये ऐसा किया जाता है ।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य को यह ग़लतफहमी हो गई है । उन्होंने यह कहा कि राउण्ड फिगर्स करने के लिये यह चीज होती है । यह तो माननीय मंत्री जी ने तरीका बतलाया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—खैर उन्होंने यह तरीका बतलाया लेकिन बात ऐसी हुई है, चाहे वह गलती हो, ओमिशन हो, यह उन्होंने माना भी है । इसलिये चाहे जो कुछ भी कहिये गलती कहिये, राउन्ड फिगर्स कहिये यह सब बात एक ही है । मैं यह समझता हूं कि ऐसी ग़लती नहीं होनी चाहिये और भविष्य में इस तरह की गलती का ध्यान रखने की जरूरत है ।

जहां तक ५ लाख रुपये की ग्रांट का सवाल है कि वह बाढ़ में सड़क टूट जाने से जो मरम्मत होती है उसके लिये है इसके बारे में कोई भी बात उन्होंने नहीं बतलायी । इसके लिये एक बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं और वह यह है कि यह जो तहबाजारी से रुपया आता है वह सारा प्रान्तीय सरकार के रेवेन्यू (राजस्व) में चला जाता है । उनका कहना है यह कि इसमें से ५५ फीसदी लोकल बाडीज को वापस चला जाता है । तो मेरा सुझाव यह है कि वह सारा का सारा रुपया जितना तहबाजारी से आवे वह सब लोकल बाडीज के लिये ही जाना चाहिये । अन्त में मैं यह और कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र जो सामने बैठे हैं उन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव के विचारों को स्वीकार नहीं किया है लेकिन इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करके इसका समर्थन तो किया है । मैं उनको इस बात का हृदय से स्वागत करता हूं कि कम से कम उन्होंने इतना तो माना और मैं यह भी आशा करता हूं कि मेरे इस कटौती के प्रस्ताव के वोट में भी हमारा साथ देंगे । मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने के लिये तैयार नहीं हूं कम से कम एक रुपया तो कम हो जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ ई० के लिये आयव्ययक में अनुदान संख्या ३४—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान—(लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य) के अन्तर्गत ३८,०१,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदानों के वर्गीकरण में परिवर्तन करने की सूचना

अध्यक्ष---अब मुझे माननीय सदस्यों को एक सूचना देनी है और वह यह है कि अनुदानों के लिये जो वर्गीकरण किया गया है उसमें कुछ परिवर्तन हो गया है। वह यह है कि १४,१५ तारीख के लिये जो यह लिखा गया है कि विद्युत योजनाओं पर व्यय, विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय, विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत राजस्व लेखे के बाहर, ये अनुदान वित्त मंत्री के हैं। इन सब पर विचार होने के लिये पहले रखे गये हैं। माननीय वित्त मंत्री की यह इच्छा है कि इन अनुदानों को बाद में लिया जाय और उद्योग मंत्री जी के अनुदान पहले ले लिये जायं। यानी पिछले जो चार अनुदान हैं उनको पहले ले लिया जाय और पहले जो चार अनुदान हैं उनको बाद में ले लिया जाय। इसका कारण यह है कि उसी दिन १४ तारीख को वित्त मंत्री जी विधान परिषद् में सम्मिलित रहेंगे और दोनों जगह एक ही समय में वे उपस्थित नहीं रह सकते। इसलिये मैंने यह परिवर्तन स्वीकार कर लिया है। मैंने माननीय नेता सदन से भी यह सलाह ले ली है कि यह परिवर्तन कर दिया जाय। यह सूचना है कि पहले के चार अनुदान बाद को ले लिये जायं और बाद के चार अनुदान पहिले लिये जायं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर सोमवार, १४ जुलाई, १९५२, के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१२ जुलाई, १९५२।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--५६ एल ए—१९५२—८५०